कज़ाखस्तान एवं किर्गीस्तान में संवैधानिक विकास : संस्था निर्माण

(एम.फिल. उपाधि हेतु लघु शोध प्रबंध)

शोध निर्देशक
डॉ. फूल बदन

शोधार्थी
गोविन्द कुमार ईणखिया

अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान
रूसी, मध्य एशियाई तथा पूर्वी यूरोपीय अध्ययन केंद्र
जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय
नई दिल्ली–110067
भारत

2004

JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY

SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES
NEW DELHI - 110067, INDIA

Tel. : 6107676, 6167557
Extn. 2365
Fax : (+91)-11-6165886
(+91)-11-6198234
Cable : JAYENU

Centre for Russian, Central Asian and East European Studies

Dated: 21st June 2004

DECLARATION

This dissertation entitled **"KAZAKHSTAN AWAM KYRGYZSTAN MEIN SANVAIDHANIK VIKAS: SANSTHA NIRMAN"** submitted for the degree of **MASTER OF PHILOSOPHY** of Jawaharlal Nehru University has not been submitted previously for any other degree of this or any other University and is my original work.

GOVIND KUMAR INAKHIYA

We recommend that this dissertation may be placed before the examiner for evaluation.

(Prof. Anuradha M. Chenoy)
CHAIRPERSON

(Dr. Phool Badan)
SUPERVISOR

<u>समर्पित</u>

माताजी एवं पिताजी को

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

प्राक्कथन i-iii

शब्द संक्षेप iv

मानचित्र v-vii

अध्याय एकः प्रस्तावना 1—10

- संविधान,
- संविधानवाद
- संविधानों का वर्गीकरण
- संवैधानिक विकास एवं संस्थाओं का निर्माण तथा अध्यायों का संक्षिप्त परिचय

अध्याय दो : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 11—29

- अक्टूबर क्रांति से पूर्व संवैधानिक विकास
- अक्टूबर क्रांति के पश्चात संवैधानिक विकास
- 1918 का आर.एस.एफ.एस.आर. संविधान
- 1924 का सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (यू.एस.एस.आर.) का संविधान
- 1936 का स्टालिन संविधान
- 1977 का यू.एस.एस.आर. संविधान
- गोरबच्योव के सुधार कार्यक्रम तथा कज़ाखस्तान एवं किर्गीस्तान गणराज्यों का उदय

अध्याय तीन : कज़ाखस्तान एवं किर्गीस्तान में संवैधानिक विकास : संस्था निर्माण 30—68

- कज़ाखस्तान में संवैधानिक विकास
- कजाखस्तान में संस्थाओं का निर्माण
- किर्गीस्तान में संवैधानिक विकास
- किर्गीस्तान में संस्थाओं का निर्माण

अध्याय चार : कजाखस्तान एवं किर्गीस्तान में लोकतंत्र तथा संस्था निर्माण के मार्ग में चुनौतियां 69–87

– सर्वाधिकारवादी व्यवस्था का परचम
– दलीय स्थिति एवं सुदृढ़ विपक्ष का अभाव
– प्रेस एवं मीडिया की स्थिति
– संजातीयता का प्रश्न एवं मुस्लिम रूढ़िवाता
– आर्थिक स्थायित्व का प्रश्न
– महिलाओं की स्थिति एवं मानवाधिकार

अध्याय पांच : निष्कर्ष 88–92

संदर्भ ग्रंथ सूची 93–103

प्राक्कथन

पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रों में राष्ट्रियता का प्रश्न 1985 में गोरब्च्योव की लोकतांत्रिक नीतियों के परिणामस्वरूप आया। सत्तावाद के स्थान पर खुली राजनीतिक व्यवस्था का उदय हुआ जिसका प्रभाव मध्य एशिया के राष्ट्रों कजाखस्तान एवम् किर्गीस्तान पर भी पड़ा। दिसम्बर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के साथ ही पाँच मध्य एशियाई राष्ट्रों में दो राष्ट्र कजाखस्तान एवम् किर्गीस्तान भी स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र राष्ट्रों के सम्मुख अपनी पहचान के साथ–साथ अपने नागरिकों की पहचान, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् राजनीतिक विकास के प्रश्न प्रमुख रहे थे। सुधार प्रक्रिया को प्रारम्भ में अभिजात वर्ग द्वारा रोका गया, साथ ही कानून व्यवस्था का अभाव, आर्थिक स्थिति का ठीक न रहना, संजातीय उपद्रवों ने गणराज्यों के विकासात्मक प्रयासों के मार्ग में रोड़े अटकाए हैं।

अतः लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाओं के बावजूद संक्रमण काल से गुजर रहे दोनों गणराज्य आगे बढ़ रहे हैं। संसदीय सरकार एवम् कार्यपालिका शक्तियों का विकास हुआ है। जो दोनों गणराज्यों में देखा जा सकता है। गणराज्यों द्वारा धर्मनिरपेक्ष एवम् लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थान प्रदान करने वाला संविधान अपनाया गया है जो राष्ट्रीय एवम् नागरिक हितों के साथ–साथ संस्था निर्माण में सफल साबित हुआ है। राष्ट्रीय राजनीति में सुदृढ़ विपक्ष का अभाव देखा जा सकता है परन्तु निरन्तर राजनीतिक बहुलवाद की ओर कदम बढ़ाये गए हैं। स्वतंत्रता के 12 वर्षों के उपरान्त भी कजाखस्तान एवम् किर्गीस्तान की रूस पर निर्भरता स्पष्ट तौर पर झलकती है।

हमने अपना अध्ययन पाँच अध्यायों में विभक्त किया है। अध्याय एक प्रस्तावना है, जिसमें संविधान के अर्थ, संविधानवाद, संवैधानिक विकास एवम् संस्थाओं यथा – कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल एवम् दबाव समूह तथा मीडिया (प्रेस तथा इलैक्ट्रोनिक मीडिया) के बारे मे अध्ययन किया गया है।

दूसरे अध्याय में कजाखस्तान एवं किर्गीस्तान में संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया गया है जिसमें अक्टूबर क्रांति से पूर्व तथा पश्चात् के संवैधानिक विकास तथा संस्था निर्माण के अध्ययन से संबंधित है।

अध्याय तीन कजाखस्तान एवं किर्गीस्तान में स्वतंत्रता के पश्चात् संवैधानिक विकास तथा संस्थाओं के निर्माण एवं इनकी कार्य–प्रणाली को दर्शाया गया है।

अध्याय चार में कजाखस्तान व किर्गीस्तान में लोकतंत्र की स्थापना, संस्था निर्माण एवं संवैधानिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डाला गया है। जिनका गणराज्यों द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात् सामना किया जा रहा है। गणराज्यों में लोकतंत्र एवं संस्था निर्माण के मार्ग में मुख्य चुनौतियां – सत्तासीनों की सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति, जाति की चुनौती तथा जाति संघर्ष, आतंकवाद तथा मुस्लिम विप्लव की चुनौती, आर्थिक चुनौती, स्त्रियों के अधिकारों एवं नागरिक हितों की चुनौती तथा मानवीय अधिकारों के क्रियान्वयन की चुनौती।

अध्याय पाँच में कजाखस्तान व किर्गीस्तान में संवैधानिक विकास, संस्थाओं के निर्माण तथा लोकतंत्र की स्थापना का मूल्यांकन एवं वर्तमान अध्ययन के बाद निष्कर्षों को प्रस्तुत किया गया है।

जे.एन.यू. में प्रवेश पश्चात् मुझमें एक नई सोच का विकास हुआ। राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर नया नजरिया विकसित हुआ। माध्यम को लेकर प्रारंभ से मैं काफी चिंतित रहा। क्योंकि शुरू से हिन्दी का माध्यम का छात्र होने के नाते जे.एन.यू. के वातावरण में ढलना एवं एम.फिल. के लघु शोध प्रबंध के लिए ऐसे शोध निर्देशक की आवश्यकता भी महसूस की जो कि अंग्रेजी के साथ हिन्दी भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हों। मेरा सौभाग्य रहा की मेंने शोध निर्देशक डॉ. फूल बदन के निर्देशन में अपना शोध कार्य प्रारंभ किया। इस विषय का ध्यान भी पहली बार 'सर' के साथ विचार–विमर्श के दौरान ही आया। फूल बदन 'सर' हमेशा शिक्षकीय विवशताओं से आगे जाकर मुझे प्रोत्साहित करते रहे। वैसे इस प्रोत्साहन का स्वर स्नेह एवं अपनत्व से परिपूर्ण रहा। उनके ऐसे कुशल निर्देशन और अभिभावकत्व का ही परिणाम है यह 'लघु शोध प्रबंध'।

प्रो. शम्सुद्दीन, प्रो. निर्मला जोशी, प्रो. शशिकांत झा, डॉ. गुलशन सचदेवा एवं डॉ. संजय पाण्डेय जी की कक्षाओं ने मेरी अंतदृष्टि का विकास किया है। इन गुरूजनों के प्रति आभार के लिए मेरे पास शब्द कहां?

मित्रों के मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूं। उनके सहयोग के बिना यह कार्य संभव नहीं था।

जे.एन.यू. आने से लेकर इस 'लघु शोध प्रबंध' को लिखने तक जिन अजीज मित्रों की अप्रत्यक्ष भूमिका, प्रत्यक्ष सहयोग से भी अधिक महत्वपूर्ण रही है जिनमें सुधीर कुमार, धनंजय त्रिपाठी, बलवंत प्रताप सिंह, अमित राजन जी, जय प्रकाश सागर जी, संजय जी, पदम जी, सोहन जी एवं मनोज मीणा।

मित्र विक्रम एवं हरेन्द्र जिनकी लगन और तत्परता ने बिखरे शब्दों और पन्नों को लघु शोध प्रबंध का रूप दिया है उन्हें भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

जे.एन.यू. पुस्तकालय एवं आई.डी.एस.ए. पुस्तकालय के स्टाफ एवं सेंटर के स्टाफ होंडा जी एवं विजय कुमार के सहयोग एवं अपनत्व को धन्यवाद देना ही काफी नहीं है।

अंततः भईया दिनेश का अपनत्व तथा प्रोत्साहन न केवल इस लघु शोध प्रबंध अपितु जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं – शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक के लिए भविष्य में भी मिलता रहेगा। डॉ. अरविंद परिहार एवं विजय कुमार हिंगड़ा के परामर्श एवं मार्गदर्शन से इस लघु शोध प्रबंध में गुणवत्ता आई है। अनुज अशोक मनोज एवं दीपक का स्नेह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रहा है। इन लोगों की प्रेरणाएं ही मेरे लिए बड़े कामों को छोटा बना देना संभव बना देती है।

गोविन्द कुमार ईणखिया

शब्द संक्षेप

सी.आई.एस.	–	स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल
(CIS)	–	(Commonwealth of Independent States)
सी.पी.एस.यू.	–	सोवियत संघ का साम्यवादी दल
(CPSU)	–	(Communist Party of Soviet Union)
आई.एम.एफ.	–	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश
(IMF)	–	(International Monetary Fund)
ओ.एस.सी.ई.	–	यूरोप में सुरक्षा एवं समन्वय संगठन
(OSCE)	–	(Organisation for Security and Co-operation in Europe)
आर.एस.एफ.एस.आर	–	रूसी समाजवादी संघीय सोवियत गणराज्य
(RSFSR)	–	(Russian Soviet Federative Socialist Republic)
यू.एस.एस.आर	–	सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ
(USSR)	–	(Union of Soviet Socialist Republic)

Central Asia (Political Map)

Kazakhstan (Political Map)

Kyrgyzstan (Political Map)

अध्याय एक

अध्याय एक

प्रस्तावना

"संविधान उस जीवन–पद्धति का प्रतीक होता है, जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है।"

– अरस्तू

मानव प्रकृति अच्छे एवं बुरे स्वभाव का सम्मिश्रण है। मानवीय स्वभाव का बुरा पक्ष सामाजिक अहित से जुड़ा है। इस अहित को रोकने व मानवीय भावनाओं को नियन्त्रित करने हेतु समाज में कुछ नियम स्वीकार किये जाते हैं। इन नियमों को राजनीतिक सिद्धान्त की शब्दावली में 'कानून' कहा जाता है। ये प्रभावकारी तब बनते हैं जब इनके साथ राज्य की शक्ति भी जुड़ जाती है। परन्तु राज्य (यहां सरकार के परिपेक्ष्य में) भी तो मानव–रहित संगठन नहीं है। अतः इस पर भी मानवीय स्वभाव का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। दूसरे शब्दों में अगर राज्य भी सामाजिक हित व मानवीय स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाने लगे तो स्पष्ट है कि ऐसे में राज्य पर भी नियन्त्रण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नियमों व कानूनों के ऐसे संग्रह की आवश्यकता समझी गयी जो न केवल मनुष्यों (अथवा नागरिकों) वरन् राज्य अथवा सरकार को भी नियन्त्रित करने का कार्य करे यही नियमों व कानूनों का संग्रह 'संविधान' कहलाता है।

संविधान लोकतंत्र का आधार माना जाता है। प्रत्येक राज्य का एक संविधान होना चाहिए और उस संविधान को समस्त जनता की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। संविधान की आवश्यकता, सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाने, व्यक्ति के हित में सरकार का नियंत्रण करने के लिए तथा वर्तमान और भावी पीढ़ियों को मनमानी न करने के लिए होती है। प्रत्येक समाज का संविधान अवश्य होना चाहिए अर्थात् ऐसे सिद्धान्तों का संग्रह होना चाहिए जो सरकार और उसकी प्रजा के सम्बन्ध निश्चित करे और जिसके अनुसार राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करे। संविधानहीन राज्य की कल्पना करना निरर्थक हैं। संविधान राजनीतिक समाज का एक ऐसा ढ़ाँचा है जिसे कानून के माध्यम से और कानून के द्वारा संगठित किया गया हो, अर्थात जिसमें कानून द्वारा ऐसी स्थाई संस्थाएँ स्थापित कर दी गई हो जिनके साथ मान्यता प्राप्त कृत्य और सुनिश्चित अधिकार जुड़े हों।[1]

---

[1] Lord Bryce, quoted in C.F. Strong, *Modern Political Constitution* (London, 1930), p. 10 .

संविधान के अभाव में किसी राज्य की शासन–व्यवस्था को व्यवस्थित एवं संचालित करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। इतिहास के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक राज्य में शासन को चलाने के लिए कुछ न कुछ नियमों की आवश्यकता सदा से किसी न किसी रूप में रही हैं। चाहे वह लोकतांत्रिक या अधिनायकवादी शासन व्यवस्था हो, कुछ ऐसे नियमों को स्वीकार किया जाना आवश्यक है जो राज्य की राजनीतिक संस्थाओं व शासकों की भूमिका को निर्धारित व सुनिश्चित कर, अराजकता से समाज को मुक्त रख सके यहां तक कि अत्यधिक निंरकुश व स्वेच्छाचारी राज्यों में भी कुछ नियमों का पाया जाना नितान्त आवश्यक है।

संविधान वह विधि है जिसका सम्बन्ध राज्य में प्रभुसत्तात्मक शक्तियों के पृथक्करण और प्रयोग से होता है। राज्य की समस्त विधियों को संविधान नहीं कहा जा सकता है। संविधान केवल उस विधि को कहते हैं जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि किसी राज्य का शासन किस प्रकार चलेगा? वहां की विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का संगठन किस प्रकार होगा, इनके क्या अधिकार तथा कर्त्तव्य होंगे, इनका एक दूसरे से क्या सम्बन्ध होगा? अतः संविधान को संक्षेप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है – "संविधान किसी राज्य की उस विधि को कहते हैं जिसके द्वारा उस राज्य की सरकार के संगठन का अवधारण किया जाता है।"[2]

संविधान उन समस्त लिखित और अलिखित (परम्पराऐं) नियमों और कानूनों का समूह है जिनके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है और शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है तथा उन सिद्धान्तों का निर्धारण होता है जिनके अनुसार वे शक्तियाँ प्रयोग में लाई जाती है। यह नियमों का वह संग्रह है जो उन उद्देश्यों की प्राप्ति कराता है जिनके लिए शासन शक्ति प्रबलित की जाती है और जो शासन के उन विविध अंगों का सृजन करता हैं जिनके माध्यम से सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। संविधान राजनीतिक समाज व्यवस्था का चरित्र या प्रकृति स्पष्ट करता है क्योंकि संविधान राज्य के लिए ठीक वैसा ही है जैसा व्यक्ति के लिए चरित्र। यह न केवल राजनीतिक खेल का आधार प्रस्तुत करता है अपितु विभिन्न राजनीतिक खिचावों व मांगों में सामंजस्य की अभिव्यक्ति भी करता है। किसी राजनीतिक व्यवस्था की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए संविधान के इस ढ़ांचे के तत्त्व, सिद्धान्त व व्यवहार, दोनों को समझना आवश्यक हैं,

---

2 Jai Jai Ram Pandey, *Bharat Ka Sanvidhan* (Delhi, 1999), p. 1.

क्योंकि संविधानवाद वहीं संभव है जहां संविधान के ढ़ाचे व तत्त्व में साम्य हो अर्थात संवैधानिक सरकार हो।

संविधानवाद

प्रत्येक राज्य में संविधान अनिवार्यतः होता हैं पर संवैधानिक सरकार भी हो आवश्यक नहीं है। संवैधानिक सरकार न होने पर संविधानवाद की व्यवस्था व्यवहारिक नहीं हो सकती। संविधानवाद विचारधारा, जिसका मूल अर्थ यही है कि शासन संविधान में लिखित नियमों व विधियों के अनुसार ही संचालित हो व उस पर प्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित रहे, जिससे वे मूल्य व राजनीतिक आदर्श सुरक्षित रहे जिनके लिए समाज राज्य के बंधन स्वीकार करता है। संविधानवाद उस निष्ठा का नाम है जो मनुष्य संविधान में निहित शक्ति में रखते है जिससे सरकार व्यवस्थित बनी रहती है। अर्थात् वह निष्ठा व आस्था की शक्ति जिसमें सुसंगठित राजनीतिक सत्ता नियन्त्रित रहती है, संविधानवाद है।[3] संविधानवाद तभी संभव है जब किसी राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति विभाजन के द्वारा सरकारी कार्यो पर प्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित किया जा सके। संविधानवाद उन विचारों व सिद्धान्तों की ओर संकेत करता है, जो उस संविधान का विवरण व समर्थन करते हैं, जिनके द्वारा राजनीतिक शक्ति पर प्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित किया जा सके।

संविधान के माध्यम से तो हम किसी भी देश को राजनीतिक व्यवस्था, अर्थात् सरकार के स्वरूप उसकी शक्तियों व नागरिकों और सरकार के सम्बन्धों से सम्बन्धित सिद्धान्तों व नियमों का संकेत पाते हैं। जबकि संविधानवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संविधान के माध्यम से ही सरकार की शक्तियों पर शक्ति वितरण द्वारा प्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित किया जाता है जिससे वह आकांक्षाए व मूल्य सुरक्षित रहे जिनकी उपलब्धि के साधन के रूप में संविधान को अपनाया व समर्थित किया गया व आज भी सर्मथन दिया जाता है। अत : "व्यवस्थित परिवर्त्तन की जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही संविधानवाद है।"[4]

---

[3] International *Encylopaedia of the Social Sciences*, Vol. III, (New York, 1968), pp.318-319.
[4] Carl J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy* (Oxford, 1966), p. 6.

संविधानों का वर्गीकरण

संविधानों का वर्गीकरण निम्न बिन्दुओं के आधार पर किया जा सकता है।

क. लिखित अथवा अलिखित संविधान

संविधान या तो लिखित अथवा अलिखित हो सकते है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा व भारत के संविधान जहाँ लिखित है वही इंग्लैण्ड का संविधान अलिखित है वैसे कोई भी संविधान न तो पूर्ण रूपेण लिखित होता है, और न पूर्णरूपेण अलिखित होता है। लिखित व अलिखित संविधान का होना जहाँ स्वयं संविधान को दो भागों में विभाजित कर देता है, वहीं वह संविधान के स्रोत का भी ज्ञान कराता है। लिखित संविधान का स्रोत जहां संविधान सभा होती हैं वहीं अलिखित सविधान का स्रोत विकास की एक प्रक्रिया होती है। इंग्लैण्ड का संविधान यद्यपि अलिखित है तथापि इसका बहुत सा भाग कानूनों, वाद विधियों संसदीय रूढ़ियों व संवैधानिक परम्पराओं के रूप में लिखित भी हैं। लिखित संविधान भी पूर्णरूपेण लिखित नहीं होता। संविधानिक परम्पराएँ जो अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत के संविधान के साथ–साथ विकसित हुई है, अलिखित और संविधान विधि का प्रभाव रखती है। इंग्लैण्ड में संविधान विधि और साधारण विधि जैसा कुछ भी अन्तर नहीं हैं क्योंकि वहां विधि का निर्माण संसद द्वारा होता हैं। इग्लैण्ड की यह स्थिति वहां के लिए लाभकारी हैं। लिखित संविधान में संशोधन के निमित जहां अन्यत्र देशों में विशिष्ट प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता हैं। वहां इंग्लैण्ड में कोई भी परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से संसद द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि डी. लुम्ब के शब्दों में "ब्रिटिश पार्लियामेंण्ट केवल पुरूष को स्त्री और स्त्री को पुरूष नहीं बना सकती है, शेष सब कुछ कर सकती है।"[5]

अलिखित संविधान सदैव नम्य होता है, जबकि इसके ठीक विपरीत लिखित संविधान प्रायः अनम्य होता है। इंग्लैण्ड की संप्रभुता सम्पन्न संसद राजकीय अंगों के समस्त कार्य कलापों को उसी प्रकार परिवर्तित कर सकती है, जिस प्रकार वह किसी भी साधारण विधि व्यवस्था में परिवर्तन कर सकती है उसका तात्पर्य यह नहीं है कि लिखित संविधान सदैव अनम्य होता है।

अलिखित संविधान जहां अपनी परिवर्तनशीलता के कारण गुणों से परिपूर्ण माना जाता है, वहां यह राष्ट्र के लिए एक खतरनाक स्थिति भी उत्पन्न कर सकता हैं, इसलिए इसके हर परिवर्तन पर सतर्कतापूर्ण दृष्टि रखनी पड़ती है। लिखित संविधान

---

[5] De Lombe, quoted in Pukhraj Jain *Pramukh Raj Vyavasthayen* (Agra, 2000), p.19.

विधानमण्डल में राजनीतिक बहुमत के बल पर शीघ्रता से किये जाने वाले परिवर्तनों से अपने आप को संरक्षित रखता है। इस तरह यह जन–मानस में अपने प्रति एक पवित्र अनुभूति का उद्गम् करता है। लोकवर्ग संविधान के उपबन्धों की विधिक अनुश्रुतियों पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यह श्रद्धा कभी–कभी पुरातनवादिता को भी जन्म देती है, क्योंकि लिखित उपबन्ध अपरिवर्तनशीलता की स्थिति उत्पन्न करते हैं।

ख. नम्य अथवा अनम्य संविधान

संविधान का वर्गीकरण उसकी संशोधनात्मक प्रकृति व प्रणाली के आधार पर भी किया जाता है। नम्य संविधान वह हैं, जिसके अन्तर्गत हर प्रकार की विधि, विधिपूर्ण ढंग से एक हो और उसी निकाय द्वारा सुगमतापूर्वक परिवर्तित कर दिया जाता है जैसे – इंग्लैण्ड का संविधान।

वे संविधान जिन्हें एक विशिष्ट संस्था द्वारा बनाया जाता है, जिनकी स्थिति साधारण कानूनों से उच्च होती है और जिनमें खास पद्धति से ही परिवर्तन किया जा सकता है, अनम्य संविधान कहलाते हैं। जैसे – अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया का संविधान।

ग. संघात्मक एवं एकात्मक संविधान

आधुनिक संविधान या तो संघात्मक होता हैं या एकात्मक। संधीय राज्य का तात्पर्य राज्यों, समुदायों अथवा घटकों की उस समिति से है, जिसमें सदस्य घटक राज्य एक विशिष्ट कार्य क्षेत्र में अपनी स्व अथवा आत्म निर्भरता बनाये रखता हैं। संघात्मक का मुख्य तत्त्व इस यथार्थ में निहित है कि प्राधिकार अथवा शक्ति का एक भाग सदस्य राज्यों में बंटा रहे। शक्तियों का ये वितरण स्वयं संविधान द्वारा किया जाता है। इस स्थिति में सदस्य राज्यों व केन्द्रीय सत्ता की कार्य कारणी विधायिनी व न्यायिक शक्तियाँ संविधान के अधीनस्थ और संविधान द्वारा नियंत्रित होती है।

संघात्मक राज्य व्यवस्था के ठीक विपरीत एकात्मक राज्य व्यवस्था होती हैं। एकात्मक राज्य व्यवस्था एक केन्द्रीय सत्ता में निहित रहती है। इस तरह की व्यवस्था में केन्द्रीय सत्ता सर्वोच्च होती है। और उसी के विवेक और प्रत्यायोजन पर राज्य के अन्य अंग कार्य करते है। एकात्मक राज्य व्यवस्था में सम्प्रभुता अविभाजित रहती है, क्योंकि विधि परिवर्तन की शक्ति केन्द्र में निहित रहती है और अन्य कोई घटक उसके समकक्ष नहीं होते।

संवैधानिक विकास एवं संस्थाओं का निर्माण

संवैधानिक विकास को मापने हेतु निम्न लक्षणों को महत्वपूर्ण माना जाता है प्रथम विभिन्न अभिकरणों को किस प्रकार संगठित किया गया है। द्वितीय उन अभिकरणों को क्या–क्या शक्तियां सौंपी गई है तथा तृतीय उन शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना है। संविधान तब तक केवल कागज के पन्नों तक ही सीमित हैं जब तक कि व्यवहार में उसका अनुपालन न हो। संविधान में अधिकथित संस्थाएं एवं संविधान के लागू होने के बाद उनका निर्माण एवं कार्य रूप में रूपान्तरण ही संविधान की व्यावहारिकता की प्रथम कसौटी है।[6]

किसी राष्ट्र के अन्दर, संगठित व्यवहार का ऐसा जटिल और चिरस्थायी प्रतिमान जिसमें परस्पर सम्बधित व्यक्तियों की भूमिकाऐं निश्चित और नियत कर दी जाती हैं, उन पर राष्ट्र द्वारा नियंत्रण रखा जाता है; और बुनियादी सामाजिक इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती हैं। इसके अन्तर्गत परिवार, पाठशाला इत्यादि से लेकर राज्य जैसे विशाल संगठन आ जाते हैं। संस्था निर्माण में सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, नेतृत्व की ओर से ऐसा प्रयत्न जिसके अन्तर्गत व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूहों को उपयुक्त नियमों और प्रक्रिया के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे अपने विचारों, भावनाओं और मांगों को प्रकट करने के लिए समाज व्यवस्था को अस्त–व्यस्त न कर दें।[7]

संवैधानिक संस्थाओं के अन्तर्गत सामान्यतः संस्थाओं को शामिल किया जाता है।

क. नियम निर्माण संस्थाएं (व्यवस्थापिका)

वह संस्थाएँ जो कानून निर्माण का कार्य करती हैं व्यवस्थापिका कहलाती हैं। वर्तमान में लोकतन्त्र की विचारधारा में यह माना जाता है कि कानून निर्माण का कार्य जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही करें। अर्थात् व्यवस्थापिका व्यक्तियों का एक ऐसा सामूहिक संगठन है जो कानून बनाने के अधिकार से युक्त होता है। व्यवस्थापिका एकसदनीय तथा द्विसदनीय भी हो सकती हैं।

ख. नियम अनुपालन या क्रियान्वयन संस्थाऐं (कार्यपालिका)

आधुनिक राज्य के अन्तर्गत कार्यपालिका की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि आम बोलचाल में कार्यपालिका को ही सरकार के रूप में पहचाना जाता है परन्तु लोकतंत्र

---

6 For Detail See A.D. Ashirwadam and Krishna Kant Mishra, *Political Science* (New Delhi, 2000), pp. 482-501.

7 O.P. Gaba, *Vivechanatamak Rajnitik Siddhant Kosh* (New Delhi, 2000), p. 172.

की रक्षा के लिए यह आवश्यक हैं कि कार्यपालिका अपनी मर्यादा में रहे। जहां सारी शक्तियां कार्यपालिका के हाथों में आ जाती हैं, वहां अधिनायक तंत्र की प्रकृति पैदा हो जाती है। लोकतांत्रिक राष्ट्रों में इसकी सत्ता जितनी समझी जाती हैं उससे बहुत अधिक होती है। फाइनर के शब्दों में "सरकार के दो अन्य अंग विधायिका और न्यायपालिका के जितने अधिकार होते हैं उनके बाद बचे बाकी अधिकार कार्यपालिका के ही हैं। विधायिका द्वारा बनाये गये और न्यायालयों द्वारा व्याख्या किए गए कानूनों को लागू करने के अतिरिक्त बहुत से कार्य कार्यपालिका द्वारा सम्बन्ध किए जाते है।"[8]

ग. न्याय निर्णयन संस्थाऐं (न्यायपालिका)

यदि किसी राष्ट्र में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका श्रेष्ठता से अपने कार्य सम्पन्न कर रही हो परन्तु स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका न हो तो उस राष्ट्र के संविधान का अधिक मूल्य नहीं रह जाता। सभ्य समाज में प्रत्येक नागरिक यह आशा करता हैं कि उसके साथ मनमानी, ज्यादती या अत्याचार नहीं किया जाएगा। उसे ऐसी सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वाधीन और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था आवश्यक हैं। विधानमण्डल और कार्यपालिका कितनी ही कार्य कुशल क्यों न हो, व्यवस्थित न्यायपालिका के अभाव में "विधि का शासन" कार्यान्वित नहीं हो सकता। विधि के शासन से तात्पर्य यह है कि पहले कानून को विधिवत् पारित किया गया हो और फिर शासन का संचालन उस कानून के द्वारा अधिकृत प्रक्रिया के अनुसार किया जाए। न्यायपालिका इस व्यवस्था की संरक्षक होती हो। इसी लिए प्रायः यह कहा जाता हैं कि उत्कृष्ट न्यायपालिका उत्कृष्ट शासन का प्रमाण हैं।

न्यायपालिका शासन का वह अंग हैं जो विवादास्पद एवं जटील मामलों में कानून के अनुसार निर्णय देता है ये मामले साधारण व्यक्तियों के बीच, सरकारी अभिकरणों के बीच या साधारण व्यक्तियों और सरकारी अभिकरणों के बीच पैदा हो सकते हैं और इनका चरित्र दीवानी या फौजदारी हो सकता है।

घ. जनमत का निर्माण एवं उस पर प्रभाव डालने वाली संस्थाएं

(अ) *मीडिया*

स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए यह आवश्यक हैं कि समाचारों का प्रसारण निश्चित रूप से हो। सम्प्रेषण के अनेक साधन होते हे परन्तु उनमें समाचारपत्रों की

---

[8] For Detail, Andrew Haywood, *Politics* (New York, 2003) and Vernon Bogdanor, *Blackwell Encyclopaedia of Political Institution* (London, 1987).

महत्ती भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। यह समाज में विचारों का नेतृत्व करते हैं तथा जनता को सब बातों से अवगत कराते हैं। सरकार, राजनीतिक दलों व अन्य समूहों के विचार जनता तक ले जाने का काम समाचार पत्रों द्वारा ही सम्पन्न होता हैं। इसी तरह एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति तक तथा समाज में प्रचलित सभी विचार व बातें सरकार तक समाचार पत्रों तथा अन्य संचार माध्यमों यथा– रेडियो एवं दूरदर्शन के द्वारा ही पंहुचती है। यह विचारों व समाचार पत्रों का आदान–प्रदान लोकमत के निर्माण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं।

(ब) *राजनीतिक दल एवं हित समूह*

आधुनिक समय में राजनीतिक दल, राजनीति की जीवन डोर बन गए हैं। यह आधुनिक व आधुनिकीकरण में लगे राजनीतिक समाजों की संतति होने के कारण किसी न किसी रूप में हर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में अनिवार्यरूप से विद्यमान रहते हैं। वर्तमान में राजनीतिक दल आधुनिकता के प्रतीक समझे जाने के कारण निरंकुश से निरंकुश व्यवस्था में भी प्रस्थापित किए जाने लगे हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिज्ञों के राजनीति में प्रवेश का एक मात्र संस्थागत साधन राजनीतिक दल ही होते हैं।

"राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह हैं जिसके सदस्य सामान्य सिद्धान्तों पर सहमत हो और सामूहिक प्रत्यत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहित करने के लिए एकता के सूत्र में बन्धे हुए हो।"[9]

व्यक्ति का अपने हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संगठित होना अनिवार्य हो गया है। जो वर्ग अपने हित के लिए अधिक चैतन्य एवं प्रबुद्ध होते है वे अपना औपचारिक संगठन बनाकर शासन की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करने लगे है। इस प्रकार के संगठित समूह चूंकि अपने–अपने संगठन की शक्ति के दबाव के द्वारा सार्वजनिक नीतियों तथा शासकीय निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। अतः इन्हे मनुष्यों के ऐसे सगठित समूह कहते हैं जिनका ध्येय शासन के निर्णयों को प्रभावित करना हैं, परन्तु वे स्वयं अपने सदस्यों को शासन के पदों पर स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता।"[10]

इस प्रकार किसी भी देश की शासन व्यवस्था तथा उसके राजनीतिक भविष्य का अध्ययन करने के लिए संविधान, संविधानवाद, संस्था निर्माण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

---

[9] AD Ashirwadam & Krishan Kant Mishra, n. 7, p. 538.

मध्य एशियाई राष्ट्रों में यह प्रक्रिया 1991 के बाद स्वतंत्र रूप से आरंभ हुई। मिखाईल गौरब्च्योव का सोवियत संघ के साम्यवादी दल के महासचिव पद पर आसीन होना तथा सुधार नीतियों के अन्तर्गत *ग्लास्तनोत* तथा *प्रेरेस्त्रोइका* को लागू करना, जिसने संघीय गणराज्यों में स्वतंत्रता, समरूपता एवं अधिक स्वतंत्रता के विचारों को बढ़ावा दिया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। विघटन से विश्व परदृश्य पर पन्द्रह नवीन गणराज्य का उदय हुआ। मध्य एशियाई राष्ट्र कजाखस्तान एवं किर्गीस्तान भी इन गणराज्यों में शामिल थे। गोरबाच्योव की सुधार नीतियो के परिणामस्वरूप साम्यवादी दल के एकाधिकार को धक्का पहुँचा। स्वतंत्रता के पश्चात इन गणराज्यों में सुधारों की नीतियों का परिचय नवीन संविधानों तथा संस्थाओं के निर्माण के उदय की ओर ले गया जिसके परिणामस्वरूप नवीन राजनीतिक दल तथा संस्थाओं का उदय हुआ। प्रस्तुत अध्ययन में इन्हें समझने का एक प्रयास है।

सोवियत संघ के विघटन ने कजाखस्तान एवं किर्गीस्तान को पुनराकृति का अवसर प्रदान किया। अप्रैल 1990 में कजाखस्तान गणतंत्र की संसद ने नाजरबायेव को राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचित किया। 1 दिसम्बर 1991 को पुनः नाजरबायेव को समस्त गणराज्य के बहुमत द्वारा मात्र एक उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया गया। 16 दिसम्बर 1991 को कजाखस्तान ने स्वतंत्रता की घोषणा की।

अक्टूबर 1991 को ऑस्कर अकाऐव किर्गीस्तान के राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचित हुए। राष्ट्रपति ऑस्कर अकाऐव तथा अन्य नेताओं के स्वतंत्रता प्रयासों ने गणतंत्र में लोकतंत्र को विकसित किया। कज़ाखस्तान में 10 जनवरी 1993 को तथा किर्गीस्तान में 5 मई 1993 को नये संविधान अपनाये गये। इन संविधानों में गणतंत्रों को लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, एकीकृत तथा मौलिक अधिकारों वाले गणराज्यों के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

दूसरे अध्याय में कज़ाखस्तान एवं किर्गीस्तान में संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया गया है जिसमें अक्टूबर क्रांति से पूर्व तथा पश्चात् के संवैधानिक विकास तथा संस्था निर्माण का अध्ययन किया गया है। इसमें सोवियत संविधानों – 1918, 1924, 1936 तथा 1977 में जो संविधान बने थे, का भी वर्णन इस अध्याय में समाहित हैं। 1985 के पश्चात् गोरबच्योव के सुधार एवं इन सुधारों

---

[10] O.P. Gaba, n. 8, p. 176.

का सोवियत संघ पर प्रभाव के साथ ही साथ सोवियत संघ का विघटन भी इस अध्याय में निहित हैं।

अध्याय तीन कजाखस्तान एवं किर्गीस्तान में स्वतंत्रता के पश्चात् संवैधानिक विकास तथा संस्थाओं के निर्माण एवं इनकी कार्य–प्रणाली को दर्शाया गया है जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल तथा दबाव समूह, नौकरशाही, चुनाव आयोग तथा मीडिया की स्थिति का विश्लेषण किया गया है।

अध्याय चार में कजाखस्तान व किर्गीस्तान में लोकतंत्र की स्थापना, संस्था निर्माण एवं संवैधानिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डाला गया है। जिनका गणराज्यों द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात् सामना किया जा रहा है। गणराज्यों में लोकतंत्र एवं संस्था निर्माण के मार्ग में मुख्य चुनौतियां – सत्तासीनों की सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति, जाति की चुनौती तथा जाति संघर्ष, आतंकवाद तथा मुस्लिम विप्लव की चुनौती, आर्थिक चुनौती, स्त्रियों के अधिकारों एवं नागरिक हितों की चुनौती तथा मानवीय अधिकारों के क्रियान्वयन की चुनौती।

अध्याय पाँच में कजाखस्तान व किर्गीस्तान में संवैधानिक विकास, संस्थाओं के निर्माण तथा लोकतंत्र की स्थापना का मूल्यांकन एवं वर्तमान अध्ययन के बाद निष्कर्षों को प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय दो

अध्याय दो

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

21 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के पश्चात पंद्रह राष्ट्र विश्व परिदृश्य पर उभरे। जिनमें मध्य एशिया के पांच राष्ट्र–कज़ाखस्तान, किर्गीस्तान, उज्बेकिस्तान, तज़ाखस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान प्रमुख हैं। इस अध्याय में कजाखस्तान एवं किर्गीस्तान की मध्य एशिया में स्थिति तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया गया है।

सोवियत संघ से अलग हुए राष्ट्रों में कजाखस्तान दूसरा बड़ा राष्ट्र है। यह वोल्गा नदी से पूर्व में अल्ताई पहाड़ियों तक लगभग 1,900 किमी का क्षेत्रफल लिए हुए हैं, वहीं साईबेरिया मैदान से मध्य एशियाई रेगिस्तान तक उत्तर–दक्षिण में 1,300 किलोमीटर का क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। जहां दक्षिण में इसकी सीमा तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गीस्तान से लगती हैं वहीं इसके पूर्व का पड़ोसी चीन है।[1]

सोवियत संघ से अलग हुए राष्ट्रों में किर्गीस्तान एक छोटा सा राष्ट्र है जो कि मध्य एशिया के पूर्वी भाग में स्थित है। किर्गीस्तान की सीमा उत्तर में कज़ाखस्तान से, पश्चिम में उज्बेकिस्तान से दक्षिण–पश्चिम में ताज़किस्तान से तथा दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी सीमा चीन से लगती है। इसका क्षेत्रफल 1,99,900 वर्ग किलोमीटर है।

कज़ाखस्तान एवं किर्गीस्तान दोंनो बहुसंजातीय राष्ट्र हैं। यहां प्राचीन समय से मंगोल, तुर्क तथा कास्कर के मिश्रित समुदाय रहते थे। इनमें 14वीं से 16वीं शताब्दी का कषल संकट काल था। जिसमें इन लोगों ने अपने अस्तित्व को लेकर लड़ाईयां लड़ी थीं। 1685 तक इस क्षेत्र में तुर्क लोगों ने शासन किया। मध्यकाल के पश्चात मध्य एशिया का यह क्षेत्र जहां कजाखस्तान व किर्गीस्तान भी था, तीन खानेट और अमीरात में बंट गया – 1. कोंकण के खानेट, 2. खीवा के खानेट तथा 3 बुखारा का अमीरात। खानेट व्यवस्था पिछड़ी एवं सामंतवादी व्यवस्था थी जो मुस्लिम नियमों और कानूनों का अनुसरण करती थी। खानेट कालीन अधिकांश शासक रूढ़ीवादी थे तथा इस्लाम धर्म की पुरातन परंपराओं का पालन करते थे। आम नागरिकों को भी इस

---

[1] Adel E. Abishev, *Kazakhstan in Focus: Ten years of Indepenence* (Almaty, 2002), p.6.

व्यवस्था का अनुसरण करने के लिए बाध्य किया जाता था।[2] खानेट व्यवस्था में शासक क्रूर प्रकृति के थे। यदि नागरिक शासकों के आदेशों की पालना नहीं करते थे तो उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। इन्हें पुरुष प्रधान समाज में अवांछनीय तरीकों से प्रताड़ित किया जाता था। बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया था।

खानेट ने मुख्यतया भूमि का विस्तार, राज्यों का एकीकरण करने के लिए सक्रिय बाहरी नीति का पालन किया। लेकिन उपद्रवी जत्थों (होर्ड्स), खान, सुल्तान व अन्य आंतरिक विद्रोहियों एवं राजनीतिक झगड़ों ने खानेट को कमजोर किया। 17वीं शताब्दी के आरंभ में कजाख भूमि पर झुंगुर कबीलों के आक्रमणों में वृद्धि हुई। झुंगुर कबीलों तथा कजाखों के मध्य 1723 तथा 1727 के मध्य युद्ध जैसी घटनाएं घटित हुई। झुंगर कबीलों के विस्तार की प्रबलता तथा आक्रमणों को रोकने के लिए "अखिल कजाख कांग्रेस" ने निर्णायक भूमिका का निर्वाह करते हुए झुंगुर आक्रमणों के विरोध में "वांछित लोक सेना" (People's Volunteer Corps) जैसा एक संगठित सुरक्षा दस्ते बनाने की स्वीकृति प्रदान की।[3]

समाज सामन्तवादी प्रकृति का था। लोगों को नीति निर्माण एवं राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया था। याज़क (Clergy) वर्ग का समाज में उच्च स्थान था। वे इस्लामिक कानूनों की मनमाने तरीकों से व्याख्या करते थे। आम जनता अशिक्षित थी, अशिक्षा के कारण जनता में अंधविश्वास तथा रूढ़ीवादिता घर कर गई थी। इसी कारण लोगों द्वारा धार्मिक उन्मादों को सहजता से ग्रहण किया जाता था।

न्याय प्रणाली मुख्य रूप से मुस्लिम कानून सरिया एवं अदत् पर आधारित थी। न्यायिक व्यवस्था समाज में काजी के अधीन थी। यह अभिजात काजी जीवन पर्यन्त नियुक्त किए जाते थे। मृत्यु के पश्चात इन्हीं के वंशज उत्तराधिकारी इस पद पर आसीन होते थे। काजियों द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक विवादों के संबंध में न्याय किया जाता था। न्याय भी पूर्णतया प्रभावी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि काजी भ्रष्ट प्रवृत्ति के थे। गरीबों के पक्ष में निर्णय कम ही हुआ करते थे। अमीर लोग धन बल

---

2 Regional Survey of The World, *Eastern Europe, Russia and Central Asia* (London 2002), Edition III, p.235.

3 Adel E. Abishev, n.1, pp.11-12.

के द्वारा निर्णय अपनें पक्ष में करवाते थे। भ्रष्ट न्याय व्यवस्था आम जनता का शोषण करती थी।[4]

आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो समाज का शोषण खान शासकों द्वारा किया जाता था। कराधान एवं भू–राजस्व व्यवस्था पर्सीयन तथा अरबी व्यवस्था पर आधारित थी। जनता शोषक खानों को प्रतिदिन दो टेंगा (मुद्रा) कर के रूप में देती थी। कर का विरोध करने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जाता था।

जैसा कि प्रो. देवेन्द्र कौशिक कहते हैं कि आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों ने कज़ाखस्तान एवं किर्गीस्तान को रूसी उपनिवेश बनने के लिए मजबूर किया।[5] जूनियर हार्ड्स (उपद्रवी जत्थे) ने रूसी जार की सम्प्रभुता को स्वेच्छा से अपना लिया। रूस का अधिकार होने से पहले मध्य एशिया तीन खानेट में विभक्त था। ये तीनों खानेट आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सामंती राज्ये थे, जिनमें दास–प्रथा प्रचलित थी। तुर्कमान, कजाख और किर्गीज खानेट देशों में कबीला जिरगा व्यवस्था प्रचलित थी। 18वीं सदी में रूस एवं कजाखों के मध्य संबंध सबल हुए, जब लघु और मध्य कजाख आर्दू की अपील पर कजाखस्तान का बड़ा भाग रूस में शामिल कर लिया गया। जार निकोलाई प्रथम ने 1836 में व्यापार संबंधों में सुधारों के बारे में विभिन्न सुझावों पर विचार करने के लिए एक संयुक्त समिति नियुक्त की जो खान–शासकों से गहरे आर्थिक संबंध कायम करने की मांग की, जहां रूस को अन्य यूरोपीय शक्तियों द्वारा प्रतियोगिता का सामना नहीं करना था। मध्य एशिया से रूस के व्यापार के महत्त्व पर व्यापार संबंधी पत्रिकाओं और औद्योगिक हल्कों में जोर दिया जाने लगा।[6]

क्रीमिया युद्ध में रूसी पराजय ने रूस को मध्य एशिया की तरफ ध्यान देने पर मजबूर किया। 1867 में तुर्कमेनिस्तान पर रूसी गवर्नर जनरल का आधिपत्य स्थापित हुआ। 1864–1868 के दौरान मध्य एशिया के सबसे बड़े खान शासित क्षेत्र कोंकण और बुखारा को रूसी गवर्नरों द्वारा पराजित किया गया। संधियों के द्वारा रूसी व्यापारियों को खान–शासित प्रदेश के सभी शहरों में जाने, सराए स्थापित करने तथा व्यापारिक

---

4 Phool Badan, *Dynamics of Political Development in Central Asia* (New Delhi, 2001), p.29.
5 Devendra Kaushik, *Adhunik Madhya Asia* (Mascow, 1977), pp.35-39.
6 Ibid., p.40.

प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार मिला।[7] जारशाही ने मध्य एशिया में कठोर औपनिवेशिक शासन स्थापित कर रखा था, जिसका हित स्थानीय जनता और रूसी मजदूर वर्गों के हितों के विरुद्ध था।

जार शासन मध्य एशिया में सैन्य प्रकृति का था। जारों ने आर्थिक एवं राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु मध्य एशिया को पूर्णरूप से पंगू बनाने का प्रयास किया। सामंती राज्यों की मेहनतकश जनता का तरह–तरह से शोषण किया जाता था। पूंजीवादी प्रक्रिया जारशाही के दौरान बहुत ही धीमी गति से चल रही थी। मध्य एशिया रूस को कच्चे माल की पूर्ति करने वाला क्षेत्र बन गया था।

प्रशासन सैन्य अधिकारियों के अधीन था तथा 19वीं शताब्दी के अंत में मध्य एशिया के किसानों ने जारशाही के औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपनी राजनैतिक कार्रवाईयां शुरू की। गरीब किसानों ने औपनिवेशिक शासन के तहत अपनी दयनीय स्थिति के प्रतिरोध के रूप में धनी लोगों और औपनिवेशिक अधिकारियों पर छापा मारना शुरू किया। यह संघर्ष 20वीं सदी के प्रथम दशक में भी जारी रहा।[8] रूसी औपनिवेशिक शासन के तहत क्षेत्रीय इकाई ओब्लास्ट रूसी गवर्नरों के अधीन प्रशासक द्वारा संचालित होती थी। रूसी औपनिवेशिक शासन के दौरान रूसी लोगों का पलायन मध्य एशियाई क्षेत्रों में बढ़ा।

जारशाही शासन के दौरान समाज में मुस्लिम कानूनों एवं कट्टरता एवं रूढ़ीवादिता स्पष्ट रूप से झलकती थी। रूसियों ने सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रयास किया लेकिन रूढ़ीवादिता के चलते ऐसा होना संभव नहीं हो पाया। न्याय प्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ। रूसियों की संख्या की वृद्धि ने जातीय सर्वोच्चता तथा भेदभाव को इस काल के दौरान काफी बढ़ावा दिया। जारशाही के दौरान राजनीतिक समझ का अभाव मध्य एशियाई राज्यों में मुख्य रूप से देखा जा सकता है।

ऊपर दिए गए वर्णन से स्पष्ट है कि सदियों तक मुस्लिम सुल्तान तथा खान शासकों के अधीन मध्य एशियाई गणराज्य आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक शोषण के शिकार रहे। 19वीं शताब्दी से 1917 की अक्टूबर क्रांति तक गणराज्य रूसी जार

[7] Ibid., pp.49-56.
[8] Ibid., pp.104-105.

शासन के औपनिवेश रहे। 19वीं शताब्दी का अंतिम दशक एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दो दशक मध्य एशिया के आर्थिक तथा राजनीतिक भागों के लिए औपनिवेशिक शासन के लिए मांगे मनवाने के लिए प्रारंभिक प्रयास थे। 1905 की क्रांति के पश्चात रूसी जारशाही एवं औपनिवेशिक गणराज्यों की स्थिति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा सकते हैं। उपरोक्त ऐतिहासिक विश्लेषण से स्पष्ट है कि शोषण एवं औपनिवेशिक सत्ता का शिकार रहे इन राष्ट्रों में राजनीतिक जागृति ना के बराबर ही विकसित हुई।

कजाखस्तान एवं किर्गीस्तान के संवैधानिक विकास एवं संस्था निर्माण को ठीक प्रकार से समझने के लिए सोवियत सत्ता के शुरुआत से एक लघु ऐतिहासिक सर्वेक्षण करना आवश्यक होगा। कजाखस्तान एवं किर्गीस्तान के इतिहास में पूर्वोत्तर सोवियत युग का हमारे अध्ययन के लिए बहुत कम महत्त्व है। दोनों राष्ट्रों के संवैधानिक विकास में रूस के अंतिम जार निकोलस द्वितीय के शासन काल के अंतिम वर्षों को सम्मिलित किया जा सकता है। जार निकोलस ने 'ड्यूमा' नाम की विधायी संस्था बनाकर संवैधानिक इतिहास की शुरुआत की थी।[9]

अक्टूबर क्रांति से पूर्व संवैधानिक विकास

1905 की रूसी क्रांति रूसी जारशाही के अंत एवं संविधानवाद की शुरुआत को दर्शाती है। 1905 तक जार "अनियंत्रित एवं असिमित" शक्तियों से परिपूर्ण माना जाता था।[10] 1905 की क्रांति से पहले रूसी जनता के उदारवादी एवं प्रगतिशील तत्त्वों ने स्वतंत्रता के लिए अपनी इच्छा प्रकट की एवं मांग की कि रूस में कानून के शासन की स्थापना की जाए। क्रांतिकारियों ने पश्चिमी यूरोप में प्रचलित विभिन्न अधिकारों जैसे कि संगठन बनाने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता इत्यादि के साथ–साथ यह भी मांग की कि संविधान को राष्ट्रीय संसद तथा लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। 1905 की क्रांति रूस की जारशाही की प्रकृति में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ले आई। यह परिवर्तन गैर रूसी जार शासित क्षेत्रों में भी आया। एक निर्वाचित 'ड्यूमा' के लिए चुनाव सम्पन्न हुए। इस निर्वाचित संस्था को कई विधायी शक्तियां दी गई थीं

---

9 J.N. Westwood, Endurance and Endeavour, *Russian History*, 1812-1917 (Oxford, 1973), p.164

10 N. Harper Samuel, *The Government of the Soviet Union* (New York, 1938), p.11.

परंतु ड्यूमा को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता कम ही मिली; क्योंकि इसमें संस्थागत कमजोरियां एवं विरोधी प्रतिनिधियों का अभाव था। वहीं वास्तविक शक्तियां जार में निहित थीं एवं ड्यूमा मात्र परामर्शदात्री संस्था थी। प्रथम ड्यूमा को जार ने 22 जुलाई 1906 को भंग कर दिया। दूसरी ड्यूमा 5 मार्च 1907 को बनी। इसमें व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य टकराव पैदा हो गया क्योंकि मजदूरों एवं किसानों के जो प्रतिनिधि चुने गए उनके विचार प्रतिक्रियावादी विचार थे वहीं जार सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति का था। प्रतिक्रियावादी ड्यूमा व सर्वाधिकारवादी जार में मनमुटाव स्वाभाविक था इसी संघर्ष में दूसरी ड्यूमा भी भंग कर दी गई। इसलिए 24 नवंबर 1907 को तीसरी ड्यूमा अस्तित्व में आई।[11]

1914 में प्रथम विश्वयुद्ध शुरू हुआ, जिसमें रूस को जर्मनी के हाथों परास्त होना पड़ा (1916)। इस शर्मनाक हार से जगह–जगह पर जार के खिलाफ प्रदर्शन प्रारम्भ हो गए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने जार शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने रूसी जार की तानाशाही को समाप्त कर नई व्यवस्था का सृजन किया इसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। अक्टूबर क्रांति विश्व इतिहास में सवर्णिम अक्षरों में अंकित हैं जिसके द्वारा रूसी जनता, कृषक एवं मजदूरों को एक जारशाही सत्ता से निजात मिली।

अक्टूबर क्रांति के पश्चात संवैधानिक विकास

अक्टूबर क्रांति के पश्चात लेनिन के नेतृत्व में मार्क्सवाद पर आधारित समाजवादी ढंग की नई सरकार का गठन किया गया। इसके उदय ने नवीन संविधान की संभावना को अधिक प्रबल किया। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के पश्चात कज़ाखस्तान एवं किर्गीस्तान अन्य मध्य एशियाई राष्ट्रों की तरह नये शासन के भी अविभाज्य अंग बन गए थे। ये गणराज्य वास्तव में मास्को के केंद्रीय प्रशासन के उपनिवेश ही थे। लेनिन ने 1918 को रूसी समाजवादी संघीय सोवियत गणराज्य (आर. एस.एफ.एस.आर.) के संविधान का प्रारूप तैयार किया।

---

11 Iqbal Narain, *Vishav Ke Sanvidhan* (Agra, 1989), p.533.

क. 1918 का आर.एस.एफ.एस.आर. संविधान

आर.एस.एफ.एस.आर. संविधान विश्व में समाजवादी प्रकार का पहला संविधान था जो कि पश्चिमी संविधानों से बिल्कुल अलग था। यह क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग द्वारा बनाया गया था, जिसे कि बोल्शेविक नेता लेनिन का समर्थन प्राप्त था। यह संविधान पृथक दस्तावेज के रूप में 10 जुलाई 1918 को पांचवीं अखिल रूसी आर.एस.एफ.एस.आर. कांग्रेस द्वारा अपनाया गया।[12] इस संविधान को अपनाये जाने से पहले कई अन्य संवैधानिक दस्तावेज जारी हुए जिन्हें अक्टूबर डिक्रीज (प्रसंविदा) के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे दस्तावेजों को दूसरी अखिल रूस कांग्रेस ने 25 नवंबर को अपनाया था। यह वह दिन था जब सोवियतों ने सत्ता पर कब्जा किया था। इन संहिताओं (डिक्रीज) में 1918 के संविधान एवं तत्पश्चात, आने वाले अन्य गणराज्यों के संविधान के लिए नींव का काम किया। लेनिन की पहले की संविदाएं (डिक्रीज) जमीन, शांति एवं समस्त शक्तियां मजदूरों एवं कृषकों को स्थानांतरित करने हेतु उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण तथा उन्हें राज्य की सम्पत्ति में परिवर्तित कर देने हेतु थी। आर.एस.एफ.एस.आर. संविधान ने अक्टूबर क्रांति के लाभों को कानूनी मान्यता प्रदान की तथा इसके पीछे मूलभूत उद्देश्यों व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को रोकना, समाज का वर्गों में विभाजन रोकना, समाजवाद को समाजवादी तरीके से संगठित करना तथा समाजवाद की विजय को सभी राष्ट्रों में स्थापित करना था।[13]

संविधान रूसी सोवियत गणराज्य के मुक्त संघ और मुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों की और संघ स्थापना की ओर संकेत करता है, राष्ट्रीय सोवियत गणराज्य के परिसंघ के रूप में इसकी स्थापना अनुच्छेद 4, 5 तथा 6 मुक्त आत्म, दृढ़ राष्ट्र के रूप में करता है। 1918 के संविधान के मूल सिद्धांतों का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी कार्यकर्ताओं की तानाशाही की स्थापना के साथ संक्रमण की ओर संकेत करता है। संविधान आगे यह घोषणा करता है कि रूसी गणराज्य एक सभी मुक्त कार्यकताओं का सामाजिक समुदाय है। दूसरी और कुछ स्वायत्त क्षेत्रीय संघों का प्रवेश आर.एस.एफ.एस.आर. के अन्तर्गत संघ के आधार पर हुआ है। सभी राष्ट्रों के कार्यकताओं की ठोस पहचान के लिए आर.एस.एफ.एस.आर. ने सभी राजनीतिक अधिकार जो कि रूस निवासियों द्वारा विदेशी

---

[12] Jitendra Sharma, *New Soviet Constitution: An Indian Assessment* (New Delhi, 1978), p.6.
[13] Anderson & Roth Stein (ed.), *The Soviet Constitution* (London, 1923), p.12.

कार्यकर्ताओं को रूसी गणराज्य के क्षेत्र में जुटाए गए थे; उनका सम्बन्ध मजदूर श्रेणी या कृषकों से था। इसी कारण कार्यकर्ताओं तथा शोषित जनता के अधिकारों की घोषणा को एक विशेष महत्व के रूप में सम्मान किया जाता है। लेनिन के प्रस्ताव के आधार पर इस दस्तावेज को 1918 के संविधान द्वारा कार्यकर्ताओं को उनकी जाति तथा धर्म, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की घोषणा करता था।[14]

सोवियत सरकार के प्रारम्भिक वर्षों के दौरान सोवियत राज्य की संवैधानिक व्यवस्था का चरित्र–चित्रण और आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों जिनमें कि कारखानों के कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधित्व की भागीदारी सोवियत के रूप में थी; वह किसानों में सबसे ऊँची थी। लेनिन ने 1918 के आर.एस. एफ.एस.आर. के संविधान के बारे में कहा कि विश्व में ऐसा संविधान कहीं भी नहीं पाया जाता जैसा कि हमारा संविधान है। 1918 का संविधान दूसरे अन्य सोवियत गणराज्यों के लिए आदर्श संविधान का प्रतिरूप बन गया था।

ख. 1924 का सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (यू.एस.एस.आर.) का संविधान

रूस में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार 1918 के संविधान में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। 1922 में तीन अन्य गणराज्य बेलारूस, यूक्रेन तथा ट्रान्सकाकेशिया रूसी गणराज्य के साथ मिल गये तथा इन्होंने सोवियत संघ की नींव डाली। 30 दिसम्बर 1922 को कांग्रेस की एक संघीय सभा मास्को में आयोजित की गई। जिसमें दो निश्चयों को अपनाया गया – संघ की घोषणा या सोवियत सामाजिक गणराज्य जिसमें विभिन्न संघीय गणराज्य सम्मलित थे। ऐसे राज्य की स्थापना की परियोजना को लेनिन द्वारा आगे बढ़ाया गया था। जिसने स्वयंसेवी, समान संघीय गणराज्यों के महत्त्व की ओर बल दिया। सभी सोवियत गणराज्यों में समान प्रकार की आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था थी।

1923 में सोवियत संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु एक संवैधानिक आयोग को नियुक्त किया। आयोग द्वारा निर्मित प्रारूप 31 जनवरी 1924 को सोवियत संघ की द्वितीय सोवियत कांग्रेस ने स्वीकार किया।

---

[14] J. Stalin, *Problem of Leninism* (Moscow, 1947), pp.637-38.

1918 के संविधान को, 1923 में संशोधित किया गया। उज्बेक तथा तुर्कमेनिस्तान के संविधान को 1924 में जोड़ा गया, सोवियत मध्य एशिया की उत्पत्ति के पश्चात राष्ट्रीय प्रक्रिया के रूप में की गई।[15]

नवीन संविधान के द्वारा रूसी समाजवादी सोवियत गणराज्य तथा नये तीन गणराज्यों के एक संघ की स्थापना की गई, जिसका नाम सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ रखा गया। इस संघ का निर्माण इकाइयों की स्वेच्छा से हुआ तथा उन्हें संघ से अलग होने का अधिकार भी दिया गया। ये संघ होते हुए भी संघ का जो स्वरूप बना, उसमें केन्द्रीकरण अत्यधिक था। संघ की व्यवस्थापन सम्बन्धी शक्ति एक अखिल संघीय सोवियत कांग्रेस में निहित की गई जो समस्त सोवियतों के ऊपर थी तथा जिसका निर्माण अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाता था।

इस संविधान के दो भाग हैं – यू.एस.एस.आर. की संरचना की घोषणा, तथा यू. एस.एस.आर. की संरचना की संघीय घोषणा में राष्ट्रीय नीति सोवियत सरकार की स्वायत्त स्वीकृति, अधिकारों की समानता, संघ के प्रति कर्त्तव्यनिष्ठा। संविधान के मूल सिद्धांतों व संशोधनों की मान्यता सोवियत कांग्रेस यू. एस. एस. आर. को एक विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस संविधान के द्वारा अधिनायक तंत्र के बंधन कुछ ढीले करने का प्रयत्न अवश्य किया गया था फिर भी इसका उद्देश्य सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतंत्र को बनाए रखना था जिसमें बुर्जुआ वर्ग को दबाया जा सके। मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण समाप्त किया जा सके तथा ऐसे साम्यवादी समाज की स्थापना की जा सके, जिसमें न वर्ग भेद रहे, न राज्य की शक्ति। संघीय गणतंत्र की सम्प्रभुता पर एकमात्र प्रतिबंध संविधान की विशेष हिदायतों की सीमितता को लेकर किया गया है। अनुच्छेद–3 के अनुसार "इन बाहरी सीमाओं – प्रत्येक संघीय गणराज्य अपने राज्य की सत्ता को स्वतंत्र करने तथा यू. एस. एस. आर. के साथ वहां गणतंत्र के अधिकारों की सुरक्षा का अभ्यास करती है।"

सोवियत कांग्रेस राज्य की उच्च सत्ता थी जिसके अधीन दो अन्य शक्तियां – सोवियत ऑफ द यूनियन तथा सोवियत ऑफ नेशनेलिटी, काउंसिल ऑफ पीपूलास कमिसार, एक प्रशासनिक एवं कार्यपालिका अंग थी, जिसके कुछ विधायी कार्य भी थे जो कि यू. एस. एस. आर. की केंद्रीय कार्यपालिका समिति द्वारा बनाई गई थी।

[15] Steven Sabol: "The Creation of Soviet Central Asia: The 1924 National Delimitation", *Central Asian Survey*, vol.14, no.2 (Oxford), 1995, p.225.

गणराज्यों का अपना स्वयं का संविधान था जिसे संघ द्वारा स्वीकृत करना आवश्यक नहीं था परंतु संघीय गणराज्य के संविधान को अखिल संघीय संविधान के विरोध में नहीं होना चाहिए।[16]

हालांकि 1924 का संविधान 1918 के संविधान का विस्तृत रूप था अर्थात पदचिन्हों का अनुकरण करता था कुछ अच्छाइयों के साथ–साथ इसमें कमियां भी थी, सर्वोच्च सोवियत के अप्रत्यक्ष चुनाव जिससे की लोकतंत्र संभव नहीं हो पाया। निर्वाचन के समय हाथ ऊपर कर वोट देना जिसके परिणामस्वरूप मतदाताओं द्वारा स्वतंत्र चुनाव मुश्किल हो गया एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की बजाय कार्यात्मक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया। साम्यवादी दल की सर्वोच्चता के उदय ने सोवियत राज्य की राजनीति के लोकतंत्रीकरण में बाधा डाली। यह संविधान 12 वर्षों तक अस्तित्व में रहा 1936 में स्टालिन द्वारा नये संविधान का निर्माण किया गया तथा इस संविधान का परित्याग कर दिया गया।[17]

ग. 1936 का स्टालिन संविधान

1935 तक रूस में समाजवाद भली प्रकार स्थापित हो गया था और इस समय तक सोवियत संघ ने आर्थिक क्षेत्र में असाधारण प्रगति कर ली थी। सोवियत संघ में इस समय तक 11 गणराज्य सम्मिलित हो गये थे। इन परिवर्तित परिस्थितियों से यह आवश्यक समझा गया कि 1924 के संविधान में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाए, जो कि नवीन परिस्थितियों के अनुरूप हों। 7वीं सोवियत कांग्रेस ने 1935 में यह संकल्प लिया कि देश में हुए परिवर्तनों के कारण संविधान में भी कुछ बदलाव किए जाएं। 1935 में सोवियत कांग्रेस के आदेसानुसार स्टालिन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग में 31 सदस्य थे। कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में कहा कि आयोग एक संविधान की रचना करे जो अधिक प्रजातांत्रिक तथा समाजवादी सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित हो। 12 जून 1936 को आयोग ने अपने प्रारुप को अंतिम रूप दिया तथा राष्ट्रव्यापी बहस के लिए इसे प्रकाशित किया गया। इसकी 6 करोड़ प्रतियां छापकर जनता में वितरित की गई जिससे वे उस पर विचार विमर्श कर

---

16 V.N. Kudrayavtsev & A.I. Lukyanov, (eds.), *A Dictionary of the Soviet Constitution* (Moscow, 1986), p.62.

17 Iqbal Narain, n.11, pp.540-541.

सके। इस बहस में देश की वयस्क आबादी के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों ने भाग लिया तथा 20 लाख एडिसन संशोधन हेतु प्रस्तावित किए गए।

1936 के संविधान में 13 अध्याय तथा 196 अनुच्छेद थे। राज्य के ढांचे के प्रश्नों को 1936 के संविधान के दूसरे अध्याय में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। इस संविधान का महत्वपूर्ण भाग यह था कि इसमें सोवियत संघ के साम्यवादी दल (सी.पी.एस.यू.) की भूमिका को परिभाषित किया गया। और संघीय गणराज्यों के संविधानों की भूमिका के बारे में विस्तारपूर्वक बात की गई परंतु सभी तरीके एवं उनका प्रयोग स्टालिन के तानाशाही शासन में अप्रासंगिक बन कर रह गया एवं सोवियत संघवाद स्वयं को एक पारदर्शी झूठ के रूप में प्रकट हुआ।

Jawaharlal Nehru University Library

1936 के संविधान की विशेषताएं

यह लिखित संविधान था, 196 अनुच्छेद तथा 13 अध्याय थे, यह संविधान कठोरता लिए हुए था, क्योंकि इसमें संशोधन सर्वोच्च सोवियत के प्रत्येक सदन में मतदान देने वाले सदस्यों, के अलग-अलग दो तिहाई बहुमत से हो सकते थे, इसमें समाजवाद की स्थापना की बात स्पष्ट की गई थी, इसमें संसदीय लोकतंत्र की बात कही गई थी क्योंकि मंत्रिपरिषद को सदन के निचले सदन अर्थात् संघ की सोवियत की ओर उत्तरदायी बनाया गया था, इसमें सोवियतों को विशेष महत्व दिया गया था, संघात्मक प्रणाली अपनाई गई थी, सोवियत संघ को बहुराष्ट्रीय राज्य घोषित किया गया था, सामान्य संपत्ति की मान्यता प्रदान की गई थी, नियोजित अर्थव्यवस्था को उचित स्थान दिया गया था, नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा कर्तव्यों का वर्णन किया गया था तथा केवल एक दलीय प्रणाली को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इसमें जनमत संग्रह तथा प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की व्यवस्था की गई थी।[18]

TH-11430

1936 के संविधान में सोवियत बहुराष्ट्रीय राज्य के विकास को प्रतिबिम्बित किया गया, पूर्व में स्वायत्त गणराज्य कजाख एवं किर्गीजिया संघीय गणराज्य बन गए। इससे पहले तुर्कमिनिस्तान, तजाखस्तान एवं उज्बेकिस्तान संघीय गणराज्यों के रूप में सोवियत रूस से जुड़ चुके थे। 1936 के संविधान ने सोवियत राजनीतिक व्यवस्था एवं साम्यवादी दल की भूमिका को परिभाषित किया जिसके अनुसार यह दल सभी सरकारी

[18] R.C. Agrawal, *Vishva ke Sanvidhan* (New Delhi, 1974), p.8.

एवं गैरसरकारी लोगों का संघ श्रमिक लोगों का संगठन (working people organization) मार्ग निर्देशन करता था। अतः साम्यवादी दल सोवियत समाज को निर्देसित करने वाली शक्ति बन गई। 1936 के संविधान ने नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की वैधता का विस्तार किया। यह संविधान 8वीं असाधारण सोवियत कांग्रेस द्वारा 9 दिसंबर 1936 को अपना लिया गया।[19] संविधान में गणराज्यों की स्वतंत्रता एवम् स्वायत्तता एक दिखावा मात्र थी। संघीय गणराज्यों को संविधान द्वारा पृथक होने का अधिकार प्रदान किया था लेकिन यह एक दिखावा व छल मात्र था। संविधान की प्रकृति एक संघवादी ढांचे से अधिक बंधनों वाली थी। इसमें विकेंद्रीकृत संस्थाओं के स्थान पर बहुत अधिक केंद्रीकृत तंत्र था। स्टालिन के आतंक भरे शासन ने इस संविधान की सारी मूल-भूत विशेषताओं को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। वास्तव में स्टालिन का आदेश एक संवैधानिक प्रावधान के समान था।

घ. 1977 का यू.एस.एस.आर. संविधान

जनवरी 1959 में आयोजित कांग्रेस में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए दल के तत्कालिक महामंत्री ख्रुश्चेव ने एक नये संविधान के निर्माण या सन 1936 के संविधान को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बनाने की चर्चा की थी। ख्रुश्चेव का यह तर्क था कि सन 1936 के संविधान के लागू होने के समय से सोवियत समाज समाजवादी मार्ग पर काफी आगे बढ़ चुका है तथा नये संपत्ति संबंध स्थापित हो चुके हैं। स्टालिन के शासन के अंतर्गत सोवियत संघ ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास किया तथा जल्दी ही एक ऐसी विश्व शक्ति बन गया जो अमेरिका के बराबर के दर्जे का था। ब्रेझनेव जो कि उस समय सी.पी.एस.यू. के महासचिव थे ने यू.एस.एस.आर. के नये संविधान को बनाने के पीछे मूल कारणों को समझाते हुए कहा – "1936 का संविधान उस समय अपनाया गया था जब हमने वास्तव में अभी समाजवाद के निवों का निर्माण पूरा ही किया था... ब्रिझनेव की अध्यक्षता में 96 सदस्यों वाली समिति का गठन हुआ। जिसने 24 मई 1977 को सोवियत संघ के साम्यवादी दल (सी.पी.एस.यू.) के समक्ष संविधान का नया प्रारूप प्रस्तुत किया। केंद्रीय समिति ने संविधान के नये प्रारूप को स्वीकार कर लिया तथा

---

19 Article 126 -136, *USSR Constitution*, 1936, in The Constitutional System of The Soviet Union, edited by Research Board (Delhi, 1972), p.85..

राष्ट्रीय चर्चा के लिए उसके प्रारूप की अनुसंशा की। इस प्रारूप की सोवियत समाज के हर वर्ग द्वारा, समूहों एवं सभाओं में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। संवैधानिक आयोग ने प्रारूप को संशोधित करने के करीब 4 लाख आवेदन प्राप्त किए।" राष्ट्रव्यापी विचार विमर्श का यह कार्य लगभग चार महीने तक चला और इस विचार विमर्श में वयस्क जनसंख्या के 80 प्रतिशत से अधिक नागरिकों ने भाग लिया। प्राप्त सुझावों के आधार पर संविधान के प्रारूप में संशोधन किया गया तथा उसमें अनेक नई बातें जोड़ी गई।[20] संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष ब्रिझनेव ने सर्वोच्च सोवियत के सातवें असाधारण अधिवेशन में 4 अक्टूबर, 1977 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में कहा गया कि "नवीन संविधान सोवियत राज्य के विकास के संपूर्ण 60 वर्षों का सार संग्रह है। नया संविधान एक ऐसे राज्य का मूलभूत कानून है जो साम्यवाद के चरण में नहीं वरन् विकसित समाजवाद के चरण में है।"

1977 के इस संविधान को निरंतर संवैधानिक विकास की संज्ञा दी गई हैं। सर्वाधिक प्रमुख रूप में 1936 के संविधान में अंतर्निहित विचारों और सिद्धांतों की निरंतरता को कायम रखते हुए इस संविधान की रचना की गई है। 1977 के संविधान में पूर्व 1936 के संविधान का विस्तार किया गया है।

ब्रेझनेव ने संविधान लागू किए जाने वाले दिन के समापन भाषण में कहा था कि "अन्य सभी कानून जिन्हें संविधान के लागू होने से पहले स्वीकृत किया गया था, उस हद तक लागू रहेंगे, जिस हद तक सोवियत संघ के नये संविधान से उनका टकराव नहीं होता हो।"[21]

1977 का सोवियत संघ संविधान विकसित समाजवाद की अवधारणा पर आधारित था। पुराने सोवियत संविधान में निहित विचारों एवं सिद्धांतों की निरंतरता भी नये संविधान में सुनिश्चित की गई। 1977 के संविधान में राज्य एवं समस्त सामाजिक जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को प्रतिबिम्बित किया। जिसके अनुसार समस्त शक्ति श्रमिकों के हाथों में थी। इसके अतिरिक्त समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था में सी.पी.एस.यू. को अग्रणी भूमिका, उत्पादन के साधनों, सार्वजनिक नियंत्रण का दबदबा एवम् राज्य की

---

20 Pukhraj Jain, *Vishva ke Pramukh Sanvidhan* (Agra, 1980), p.8.
21 *Soviet Darpan*, Quoted in Pukhraj Jain, n.20, p.9.

योजनाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था का प्रबंध, राज्य मशिनरी के अंतर्गत सोवियतों की सर्वोच्चता जो कि यू.एस.एस.आर. की राजनीतिक आधारशीला थे। लोकतंत्रीकरण व समाजवादी सोवियत राज्य के विकास में लोकतांत्रिक केंद्रीकरण एवं समाजवादी वैधता के सिद्धांतों का शांति से पालन किया जाना था।

1977 के संविधान की मुख्य विशेषता "सामाजिक विकास एवं संस्कृति" पर एक नया अध्याय जोड़ा गया था जो कि पिछले संविधानों में मौजूद नहीं था। इस संविधान में प्रथम बार प्रस्तावना को भी जोड़ा गया जबकि पिछले संविधानों में इसका अभाव था। इस प्रस्तावना में सोवियत क्रांति के बाद से देश में सोवियत लोगों की उपलब्धियों तथा विकसित समाजवाद की चर्चा की गयी हैं। संविधान की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता विकसित समाजवादी समाज में सत्ता के प्रयोग की प्रासंगिकता थी। अनुच्छेद–2 में यू. एस.एस.आर. में जनशक्ति की बात, तथा कई अनुच्छेदों में सोवियत लोगों के संप्रभु शासन की बात करते हैं। अनुच्छेद–19 यू.एस.एस.आर. के सामाजिक आधार से संबंधित था। इसमें स्वामित्व के प्रकारों एवं एकल सार्वांगीण संपत्ति की बात करता है। संविधान में सी.पी.एस.यू. के कर्त्तव्यों को परिभाषित किया गया था। यह समस्त संविधानों का स्वायत गणराज्यों के संविधानों को जोड़ा करती थी एवं उनकी सीमाओं की परिभाषा करती थी, राष्ट्रीय आर्थिक, योजना एवं गणराज्य के बजट को मंजूरी देती थी तथा संघीय गणराज्य के विदेशी संबंधों, अपने विदेशी संबंधों में गणराज्य के प्रतिनिधित्व से जुड़े, प्रश्नों पर निर्णय लेती थी।

सोवियत संघ के नये संविधान की यह विशेषता भी है कि इसको सर्वोच्च कानून घोषित किया गया है। संविधान ही सर्वोच्च कानूनी शक्ति होगा। सोवियत संघ तथा इसके गणराज्यों को इसी के अधीन संचालित किया जाएगा। संविधान द्वारा संघवाद की महत्ता प्रदान की थी परंतु प्रकृति संघवाद से अधिक बंधनों वाली थी। इसमें विकेंद्रीकृत संस्थाओं के स्थान पर अधिक केंद्रीकृत तंत्र था। संविधान के तीसरे अनुच्छेद की स्थानीय पहल के साथ केंद्रीय नेतृत्व के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के महत्व के बारे में बात की। अनुच्छेद 7 में पूर्णतया सार्वजनिक संगठनों की चर्चा की गई थी तथा – व्यापार संघ, युवा साम्यवादी, कॉपरेटिव सोसायटी एवं श्रमिक लोगों के अन्य संगठन प्रमुख थे।

उत्पादन के साधनों से समाजवादी संपत्ति सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था का आधार होगी। राज्य संपत्ति समस्त जनता की संपत्ति होगी, सामूहिक खेतों तथा सरकारी संगठनों की संपत्ति, मजदूर संगठन एवं अन्य सरकारी संगठनों की संपत्ति। किसी भी व्यक्ति को समाजवादी संपत्ति के निजी लाभ के लिए प्रयोग करने की आज्ञा नहीं होगी। राज्य समाजवादी संपत्ति की रक्षा करेगा।[22]

संविधान के तीसरे अध्याय में श्रमिकों, कृषकों एवं बुद्धिजीवियों के अंदर अटूट संबंधों के साथ–साथ सामाजिक विकास एवं संस्कृति के प्रावधान शामिल थे। राज्य ने श्रम वर्ग भेद को मिटाने एवं यू.एस.एस.आर. के चहुमुखी विकास में सहायता की बात कही गई हैं। यू.एस.एस.आर. में स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, व्यापार एवं सार्वजनिक केटरिंग, सामूहिक सेवाएं एवं सुविधाएं तथा जनउपयोगी सभी सोवियत नागरिकों को राज्य व्यवस्था द्वारा प्रदान की गई।

नवीन संविधान में राज्य के आंतरिक और वैदेशिक नीतियों के बीच घनिष्ठ अंतःसंबंध प्रतिबिंबित किए गए। सोवियत संघ ने सदैव शांति का समर्थन किया। संविधान में कहा गया है कि इसका सतत् उद्देश्य उस देश में साम्यवाद के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां सुनिश्चित करना, धरती पर राष्ट्रों की सुरक्षा बढ़ाना, आक्रामक मुद्दों को रोकना, विश्व समाजवाद की स्थितियां मजबूत करना और स्वाधीनता एवं सामाजिक प्रगति के लिए संघर्षरत राष्ट्रों का समर्थन करना।[23]

संविधान के अनुच्छेद 33 में यू.एस.एस.आर. के प्रत्येक नागरिक के लिए समान संघीय नागरिकता का प्रावधान किया संघ गणराज्य का प्रत्येक नागरिक यू.एस.एस.आर. का नागरिक है। सभी नागरिक कानूनी रूप से बिना मूल, सामाजिक स्तर, नस्ल अथवा राष्ट्रीयता के भेदभाव के बिना समान थे। यू.एस.एस.आर. में पुरुषों एवं महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त थे।

1918 से लेकर 1977 तक के उक्त चारों संविधानों ने सोवियत संघ को सुदृढ़ता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। सोवियत संघ के संवैधानिक विकास का विश्लेषण इस बात को तार्किकता प्रदान करता है कि सोवियत संघ का संविधान सर्वोच्च था, अन्य सदस्य गणराज्यों के अपने संविधान भी थे लेकिन गणराज्य संविधानों

22 Article 10, *Constitution of USSR*, 1977.
23 Article 28, *USSR Constitution*, 1977.

को शांति पूर्णता से संबंध नहीं माना जा सकता। जहां तक कज़ाखस्तान एवं किर्गीस्तान में भी सोवियत संविधानों के साथ–साथ परिवर्तन हुए – कज़ाखस्तान का प्रथम संविधान 5 दिसम्बर 1937 में अस्तित्व में आ गया था। 1977 के सोवियत संविधान के पश्चात कजाख गणराज्य का द्वितीय संविधान 20 अप्रैल 1978 को अस्तित्व में आया जिसमें 19 अध्याय तथा 173 अनुच्छेद थे। कजाखस्तान की भांति किर्गीस्तान में भी संविधानों का निर्माण हुआ 23 मार्च 1937 को प्रथम किर्गीज संविधान अस्तित्व में आया था। किर्गीस्तान में द्वितीय संविधान सोवियत संविधान 1977 के पश्चात् 2 अप्रैल 1978 को अस्तित्व में आया। जिसमें 19 अध्याय तथा 172 अनुच्छेद थे।

कजाखस्तान एवम् किर्गीस्तान में संविधान मात्र सोवियत संघ के संविधानों का अनुसरण थे। संविधान में जो भी परिवर्तन किए जाते थे संघीय कानूनों एवं नियमों के आधार पर होते थे। गणराज्यों के संविधान के प्रावधानों में समाजवादी व्यवस्था का चेहरा झलकता था। संघीय साम्यवादी दल का पूर्ण प्रभाव संघीय गणराज्यों के संविधानों पर स्पष्टतया परिलक्षित होता था। नागरिक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक संबंधों का निर्माण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संघ से पृथक एवं सम्मिलित होने का अधिकार, राष्ट्रीय नीतियों, प्रशासन संचालन तथा अन्य मामलों का प्रावधान गणराज्यों के संविधान में तो था ही परंतु वास्तविकता कुछ और ही बयान करती थी। संघीय व्यवस्था में संघात्मकता के स्थान पर केंद्रीकृत शासन के लक्षण अत्यधिक थे। संघीय गणराज्य सोवियत संविधान के निर्माण के पश्चात् संघीय संविधान में हुए परिवर्तनों को देखते हुए अपने संविधान का निर्माण करते थे। यदि संघीय संविधान तथा गणराज्य के संविधानों के मध्य कोई तथ्यात्मक मतभेद उत्पन्न होता था तो वहां पर संघीय कानूनों एवं नियमों का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था।

कजाखस्तान एवं किर्गीस्तान में संवैधानिक विकास का इतिहास सोवियत संवैधानिक विकास से पूर्णतया प्रभावित रहा था। अंततः कहा जा सकता है कि कजाखस्तान एवं किर्गीस्तान के संविधान जो सोवियत औपनिवेश के अधीन बने थे वे केवल कागज के पन्नों तक सीमित थे अर्थात् इन संविधानों को मात्र एक पुलीन्दों की भी संज्ञा से संबोधित किया जा सकता है।

गोरबच्योव के सुधार कार्यक्रम तथा कज़ाखस्तान एवं किर्गीस्तान गणराज्यों का उदय

मार्च 1985 को सोवियत संघ की साम्यवादी दल के महासचिव पद पर मिखाईल गोरबच्योव को चुना गया। गोरबच्योव ने जिस समय शासन की बागडोर अपने हाथों में ली सोवियत संघ के समस्त गणराज्य गंभीर आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे थे। सोवियत संघ के सदस्य गणराज्यों के आर्थिक विकास की दर गत 15 वर्षो की तुलना में निम्न स्तर पर पहुंच गई थी। गोरबच्योव इन परिस्थितियों से तथा समाजवाद को, मानवतावाद एवं खुलेपन के माध्यम से बचाना चाहता था। गोरबच्योव ने विरासत में प्राप्त समस्याओं तथा आर्थिक पतन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, नौकरशाही का दबाव एवं अव्यवस्था को नियंत्रित करने हेतु एक कार्यक्रम निर्धारित किया जो 1986 से 2005 तक की अवधि के लिए था। 27वीं सी.पी.एस.यू. कांग्रेस जो 1986 में संपन्न हुई थी जिसके समक्ष यह ब्यौरा, प्रस्तुत किया। शासन को और अधिक लोकतांत्रिक रूप देने और आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए एक पारदर्शी एवं खुलापन वाली नीति *ग्लास्तनोस्त* का पक्ष लिया गया। जिसके लिए संस्थाओं का पुनर्निर्माण अपरिहार्य माना गया। पुनर्निर्माण संबंधी नीति अर्थात् *पेरोस्त्रोइका* का समर्थन किया गया। *गलासनोस्त* का सीधा संकेत आर्थिक विकास तथा राजनीतिक लोकतांत्रीकरण की तरफ था।

पेरेस्त्रोइका तथा *ग्लासनोस्त* नीतियां पुनर्निर्माण तथा खुलापन, सोवियत अर्थव्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवस्था को पुनर्जीवित करने तथा यू.एस.एस.आर. को सर्वोच्च शक्ति प्रदान करने के लिए लागू की गई थी।[24] गोरबच्योव की सुधार नीति *पेरेस्त्रोइका* का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में सुधार, स्थिरता एवं निरंतरता लाना था।[25]

ग्लासनोस्त नीति के निम्न उद्देश्य थे

राष्ट्र की आर्थिक समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक बनाना और उन्हें कठिन कार्य करने हेतु प्रेरित करना तथा राजनीतिक एवं प्रबंधकीय स्तर पर हुई भूलों को

---

24 Dr. Phool Badan, n.4, p.53.

25 Shireen T. Hunter, "Islam in Post-Independence Central Asia: Internal and External Dimension" *Journal of Islamic Studies* (London), Vol.7, no.2, July, 1996, p.295.

सुधारते हुए नौकरशाही का पुनर्निर्माण एवं नव नेतृत्व का निर्माण करना मुख्य उद्देश्य था।[26]

गोरबच्योव के इस खुलेपन की नीति ने खुला विवाद और विचारों के आदान–प्रदान को प्रोत्साहित किया। *ग्लासनोस्त* नीति द्वारा राजनैतिक स्वतंत्रता के विचारों को बढ़ावा मिला। *ग्लासनोस्त* ने समाजवादी समाज को खुलेपन के लिए तैयार किया। आर्थिक एवं राजनीतिक खुलापन पर ध्यान केंद्रित किया। गोरबच्योव के राजनीतिक सुधार सोवियत संघ के लोकतांत्रिकरण के वादों को प्रबलता प्रदान करता था, जो तीन तत्वों को अपने में समाहित करते हुए थे –

दल तथा नौकरशाही, सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा सोवियत नौकरशाही में राजनीतिक अभिमुखीकरण में बदलाव लाना।[27]

गोरबच्योव ने 1989 में सी.पी.एस.यू. के अधिवेशन में आर्थिक कार्यक्रमों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। लोकतांत्रिकीकरण कार्यक्रमों में सुधारों एवं दल के बाहरी कार्यक्रमों को रखा गया जो निम्नानुसार थे –

नौकरशाही एवं सी.पी.एस.यू. के लोकतंत्रीकरण का प्रयत्न, बहुउम्मीदवार निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ, राजनीतिक बहुलवाद, अधिकारियों की जवाबदेहिता, उद्यमों की स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत समूहों की स्वायत्तता, नागरिक समाज का विकास एवं संस्थाओं की स्वतंत्रता, कांग्रेस की पीपुल्स ऑफ डैप्यूटीज की जनता द्वारा चुना जाना तथा यू.एस.एस.आर. की सर्वोच्च सोवियत सत्ता को निश्चित मात्रा तक नीचे गिराया गया तथा 1977 के यू.एस.एस.आर. संविधान का अनुच्छेद–6 दलीय स्वतंत्रता को प्रतिबिंबित करता था में भी परिवर्तन का प्रयास किया।[28]

जुलाई 1988 में सी.पी.एस.यू. की 28वीं कांग्रेस ने विलयकारी कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान की। सर्वोच्च शक्ति को केंद्रीय दल के संगठन से सोवियत आम डैप्यूटीज तथा राष्ट्रपति पद तक स्थानांतरित किया गया, जो कि सी.पी.एस.यू. के

---

[26] Ernest Mandel, *Bayond Perestroika the Future of Gorbachev's USSR* (London, 1989), p.56.
[27] Phool Badan, n.4, p.61.
[28] Arvind Gupta, "Evolution of the Conseptual Basis of Perestroika", *The Indian Journal of Social Sciences* (New Delhi), vol.4, no.1, 1991, pp.60-73

राजनीतिक सत्ताकरण को कम करता था तथा लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाने पर बल देता था।

गोरबच्योव ने *पेरेस्त्रोइका* तथा *गलास्तनोस्त* नीतियों के माध्यम से सोवियत जनता के आर्थिक, सामाजिक विकास की ओर अग्रसर होने का प्रयास किया था। लेकिन आर्थिक सुधार कार्यक्रम तथा लोकतंत्रीकरण ने सोवियत गणराज्यों में नयी व्यवस्था, स्वतंत्रता, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा दिया। गणराज्यों की विदेश नीतियों में परिवर्तन देखा गया। पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों में व्यक्तिगत अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता आदि विचारों से सोवियत गणराज्य इन नीतियों के कारण संपर्क में आए। हालांकि गोरबच्योव सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से सोवियत संघ को पुनर्जीवित करना चाहता था लेकिन इन सुधार कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप सोवियत संघ के गणराज्यों ने उनके सोवियत संघ में विलय को लेकर प्रश्न उठाने शुरु कर दिए। लोकतंत्र की चिनगारी ऐसे लगी की थोड़े बहुत सुधारों से न रुक सकी। इसे कुछ हद तक शांत करने का प्रयास गोरबच्योव ने 1989 में बहु–उम्मीदवार व्यवस्था को लागू कर किया। परंतु इससे भी स्थिति नियंत्रित नहीं हुई। फलतः सुधारों की दिशा में एक और प्रयास, 1990 में 1977 के संविधान से अनुच्छेद–6 को हटाकर बहुदलीय व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया गया। परंतु लोकतंत्र की चिनगारी आग का रूप धारण कर चुकी थी। 08 दिसंबर 1991 में बाल्टीक देशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 21 दिसम्बर 1991 में रूस, बेलारूस तथा उक्रेन के द्वारा सोवियत संघ के विघटन की घोषणा के साथ ही सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया।

मध्य एशिया के दोनों गणराज्य पुनर्निर्माण एवं खुलेपन की नीतियों से पुर्णतया, प्रभावित हुए। सोवियत शासन के अधीन इन गणराज्यों का भी शोषण चरम सीमा तक पहुंच चुका था। राष्ट्रीयता का प्रश्न इन गणराज्यों में राजनीति बहुलवाद के पश्चात् अस्तित्व में आया। जनता में संवैधानिक वाद–विवाद, राष्ट्रीय नागरिकों में व्यक्तिगत जागरुकता आदि का विकास 1985 के पश्चात सुधार कार्यक्रमों से आया। मध्य एशिया के अन्य गणराज्यों के साथ ही साथ कजाखस्थान एवं किर्गीस्तान ने राष्ट्रीय संप्रभुता की मांग की अंततः सोवियत संघ के विघटन के साथ ही कजाखस्तान एवं किर्गीस्तान नव संप्रभू राष्ट्रों के रूप में विश्व परिदृश्य में उभर कर सामने आए।

अध्याय तीन

अध्याय तीन

कज़ाखस्तान एवं किर्गीस्तान में संवैधानिक विकास : संस्था निर्माण

दिसंबर 1991 के अंत में सोवियत संघ के विघटन के परिणामस्वरूप पंद्रह नये राष्ट्रों का उदय हुआ। विघटन के पश्चात इन नव स्वतंत्र राष्ट्रों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। मध्य एशियाई गणराज्य यथा कज़ाखस्तान, किर्गीस्तान, तुर्कमिनिस्तान, तज़किस्तान तथा उज्बेकिस्तान सत्तर वर्षों तक सोवियत शासन के उपनिवेश रहे। ये राष्ट्र सोवियत व्यवस्था के अत्यधिक नियंत्रण, भ्रष्टाचार, साम्यवादी दल की सर्वोच्चता इत्यादि से त्रस्त थे। गोरबच्योव के सुधार कार्यक्रमों ने इनके प्रतिबंधात्मक कार्यक्रमों तथा गैर रूसी गणतंत्रों के अंदर स्वतंत्रता के बीजों को प्रस्फुस्ठित किया।

कज़ाखस्तान में संवैधानिक विकास

कज़ाखस्तान द्वारा 16 दिसम्बर 1991 को स्वतंत्रता की घोषणा की गई। स्वतंत्रता पश्चात नयी व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। सोवियत व्यवस्था का अनुसरण किया गया। कज़ाखस्तान के लिए अपनी स्वतंत्रता एवं संप्रभुता को बनाए रखने के लिए संविधान तथा नई राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था का विकास आवश्यक हो गया था। यद्यपि 1936 एवं 1977 में सोवियत संविधानों के अनुसरण के आधार पर 1937 एवं 1978 में कज़ाखस्तान में भी संविधान निर्मित हुए लेकिन उक्त संविधान केवल दिखावा मात्र कहे जा सकते हैं क्योंकि वास्तविक शक्तियां सोवियत संविधान में निहित थी।

25 अप्रैल 1990 को सर्वोच्च सोवियत ने नजरबायेव को कज़ाखस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना। स्वतंत्रता से 15 दिन पूर्व कजाखस्तान में 1 दिसंबर 1991 को राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव सम्पन्न हुए जिसमें मतदाताओं के 98.89 प्रतिशत मत का समर्थन प्राप्त कर सुल्तान नाजरबायेव पुनः राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए।[1]

कज़ाखस्तान में संविधान निर्माण हेतु स्वतंत्रता से पहले ही नाजरबायेव ने प्रयास किए। दिसंबर 1990 को नाजरबायेव ने अपनी अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग का

---

[1] Sally N. Cuimming (eds.), *Power and Change in Central Asia* (London, 2002), p.59.

गठन किया। लेकिन उस समय की वार्ताओं एवं भेटों का कम ही खुलासा किया गया। संविधान के प्रारूप हेतु सर्वोच्च सोवियत के उप–चेयरमैन जीनेयडा फेडोटोव तथा आयोग के सदस्यों ने एक संसदीय समूह की चर्चा की। आयोग ने विदेशों के संविधानों का अध्ययन अन्य सी.आई.एस. राष्ट्रों के साथ किया एवं संविधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूहों जैसे कि अमेनेष्टी अंतर्राष्ट्रीय से संपर्क किया। मई 1991 में एक गोल मेज वार्ता की गई जिसमें आयोग के सदस्य, डैप्यूटीज तथा अन्य सोवियत गणराज्यों के सांसदों ने भाग लिया। इन सभी द्वारा प्रस्तावित प्रारूप पर चर्चा की गई। इस प्रारूप में कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यास्थापिका की शक्तियों का विभाजन स्पष्ट किया गया। 11 जून 1992 को संविधान प्रारूप पुस्तिका प्रकाशित की गई तथा इस प्रारूप को मुक्त बहस हेतु लाया गया। चार माह तक प्रारूप पर बहस हुई। 3 लाख से भी अधिक लोगों के 18,000 से भी अधिक प्रस्तावों को संवैधानिक आयोग द्वारा स्वीकार किया गया। आयोग द्वारा प्रारूप को पुनराकृति प्रदान की गई तथा इसे सर्वोच्च सोवियत में बहस हेतु रखा गया।[2] प्रारूप में कार्यपालिका शक्तियों, भाषा, सामाजिक, आर्थिक मुद्दों को लेकर बहस हुई। सर्वोच्च सोवियत में प्रारूप पर बहस के पश्चात 28 जनवरी 1993 को कजाख गणराज्य का प्रथम नया संविधान अस्तित्व में आया। इस संविधान से पूर्व में कजाखस्तान को लोकतांत्रिक संविधान का अनुभव नहीं था। गणराज्य के नये संविधान में सोवियत संविधान के प्रभाव के साथ–साथ इस संविधान पर रूसी संविधान का भी प्रभाव देखा जा सकता है। संविधान के अंतर्गत कजाखस्तान को एक सदनीय संसद के साथ–साथ अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है।[3] संविधान द्वारा राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां प्रदान की गई तथा उसे राष्ट्र प्रमुख के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

1993 का संविधान कजाखस्तान में कार्यपालिका शक्तियों के संवैधानिक परिवर्तन को गणतंत्र के 1978 के संविधान की तुलना तथा मूल सोवियत कानून के योग को सामने लाया। इस संविधान में कार्यपालिका शक्तियों को उनके स्वतंत्र अंगों की शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। उसमें सर्वोच्च सोवियत की मान्यता का अनुसरण किया गया था।[4]

---

2 John Anderson, "Constitutional Development in Central Asia", *Central Asian Survey* (Oxford), vol.16, no.3, 1997, pp.302-303.

3 Alexi Vassilive (eds.) *Central Asian Political And Economic Challenges in the Post Soviet Era* (London, 2001), p.32.

4 D. Galyalmova, "Divisian of Power in Kazakhstan Constitutional Exprience in Independent Development", *Contemporary Central Asia* (New Delhi), Vol.II, No.3, December 1998, p.32.

1993 के संविधान ने कार्यपालिका शक्ति को सुदृढ़ करने की ओर कदम बढ़ाया। कार्यपालिका एवं राष्ट्रपति के मध्य स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची गई। 1993 के संविधान के तहत प्रथम संसदीय चुनाव मार्च 1994 को संपन्न हुए। यह चुनाव बहुदलीय व्यवस्था के आधार पर लड़े गए लेकिन चुनावों को एक वर्ष के पश्चात् संवैधानिक न्यायालय ने अवैध घोषित करते हुए कहा कि इसमें व्यापक तौर धांधलियां हुईं थी। इस निर्णय ने नजरबायेव के सम्मुख एक चुनौती पेश की जिसके तहत उसे संसद को भंग करना पड़ा।

1993 के संविधान के लागू होने के दो वर्ष पश्चात 1995 में कजाखस्तान में नये संविधान के लिए जनमत संग्रह करवाया गया। 10,253 मतदान केंद्रों (पोलिंग स्टेशनों) पर जनसंख्या के 90.58 प्रतिशत जनता ने जनमत संग्रह में भाग लिया। इसमें से 9.9 प्रतिशत लोगों ने संविधान के निर्माण को निरर्थक बताते हुए विरोध में मत व्यक्त किया।[5] कानूनी तौर पर पुराने संविधान के स्थान पर 5 सितंबर, 1995 को नये संविधान पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए। नये संविधान को अपनाए जाने के पीछे मुख्य निम्न कारण थे – (i) संसद के द्विसदनीय स्वरूप को अंगीकर करना, (ii) संवैधानिक न्यायालय की शक्तियों को कम करना तथा (iii) राष्ट्रपति पद को और अधिक शक्ति संपन्न बनाना था।

1995 के संविधान में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। जिसमें कजाखस्तान को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, कानून आधारित एकीकृत राज्य के रूप में मान्यता दी गई। लोकतांत्रिक सिद्धांतों को संविधान के केंद्र में रखा गया। मूल अधिकारों के रूप में जीवन की स्वतंत्रता, समानता, अपृथक्क व्यक्तिगत अधिकार एवं संगठन निर्माण की स्वतंत्रता इत्यादि को मान्यता प्रदान की। नागरिकों को भाषण एवं अभिव्यक्ति, प्रेस एवं मीडिया की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता संविधान प्रदान करता है।[6]

संविधान 5 भागों में विभक्त है, जिसमें 21 अध्याय एवं 131 अनुच्छेद हैं। कजाखस्तान संविधान अन्य संविधानों की भांति प्रस्तावना के साथ प्रारंभ होता हैं–

कजाखस्तानी नागरिकों को विश्व समुदाय का एक अखंड हिस्सा घोषित करता है जो कि मानवीय अधिकारों तथा स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक समाज की उत्पत्ति, विधि का

---

5 Alexi Vassilive, n.3, p.45.

6 Kazakhstan; *Preamble of the Republic Constitution FBIS Central Asian*, 19 April, 1993, (Reference Article Quoted from Original Text), pp.2-3.

शासन, आम नागरिकों की शांति, अंतरजातीय सामंजस्य तथा अपने वर्तमान संविधान को अपनाने की घोषणा करता है।[7]

राज्य का संविधान जनता को एकता, अंहिसा तथा प्रांतियता आदि की सुरक्षा की गारंटी देता है। राज्य की शक्तियां जनता में निहित हैं जो कि जनमत संग्रह तथा स्वतंत्र मतदान द्वारा इनका उपयोग कर सकेगी। राज्य की शक्तियों का पृथक्करण वैधानिक कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शाखाओं के रूप में किया गया है।

संविधान का अनुच्छेद–12, कजाखस्तान को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्वीकृति प्रदान करता हैं, नागरिक किसी भी धर्म को अपनी इच्छा से ग्रहण कर सकता है। अध्याय–चार, नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों, स्वतंत्रताओं तथा नागरिकों की राज्य प्रशासन में अनुपातिक महत्ता को दर्शाता हैं तथा राज्य सेवाओं को गणतंत्र के संविधान के अनुसार समान रूप से नागरिकों के लिए जुटाया गया है। अध्याय–5, आर्थिक एंव सामाजिक अधिकारों से सम्बन्ध रखता है। जिसके तहत नागरिकों की व्यक्तिगत सम्पति का अधिकार तथा श्रम की स्वतंत्रा की गारंटी संविधान प्रदान करता हैं।[8] संविधान का अनुच्छेद –24 नागरिक अधिकारों से सम्बंधित है शिक्षा का अधिकार, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, जिसमें गणतंत्र की सुरक्षा आदि सम्मिलित हैं। कोई भी कदम जो कि अंतरजातीय विभेद को लेकर उठता है उसे गैर संवैधानिक करार दिया जाता है। नागरिक अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं पर राजनीतिकि मुद्दों को लेकर लगाया गया प्रतिबंध किसी भी रूप में किसी भी नागरिक के प्रति उसकी स्थिति के प्रति अपमानजनक माना जाएगा तथा उसे अनुमती नहीं दी जाएगी।

राष्ट्र की संसद गणतंत्र की सर्वोच्च प्रतिनिधि निकाय है। 1995 के संविधान में द्विसदनीय संसद स्थापित की गई है। जो कि वैधानिक कार्य प्रणाली का संचालन करती है। संसद के दो सदन हैं– (1) सीनेट (उच्च सदन), (2) मजलिस (निम्न सदन)। सीनेट के सदस्यों की संख्या 47 है जिसमें 40 सदस्यों का निर्वाचन समस्त सयुक्त प्रतिनिधित्व क्षेत्रीय प्रतिनिधि (डैप्यूटीज) तथा राजधानी क्षेत्रों (अल्माटी और अस्ताना) से किया जाता है तथा शेष 7 डैप्यूटीज को राष्ट्रपति द्वारा (मनोनीत) नियुक्त किया जाता है। मजलिस में 77 सदस्य होते हैं, जिसमें 67 का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। 10 सदस्य दलीय सूची के आधार पर नियुक्त किये जाते हैं। संसद का कार्यकाल चार वर्ष

7 Ibid., pp.2-3.
8 Article 17, *Constitution of Kazakhstan,* 1995.

का होता है। आधे सीनेटर प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात बदलते रहते हैं। संसद का निम्न सदन अधिक शक्तियों से परिपूर्ण है अर्थात सीनेट से मजलिस को अत्यधिक शक्तियां सौंपी गई है।

संसद के कार्यों को संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है। जिसमें प्रमुख हैं – गणतंत्र की वैधानिक व्याख्या करना, बजट की स्वीकृति प्रदान करभा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सलाह, संवैधानिक न्यायालय का चुनाव तथा निम्न स्तरीय अदालतों का सुदृढ़ीकरण, प्रोसक्यूक्टर जनरल की नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का समर्थन, राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध एवं शांति इत्यादि कार्यों को संसद स्वीकृति प्रदान करती हैं।

संविधान में कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। वह राज्य के प्रमुख के रूप में घरेलू एवं विदेश नीतियों के संबंध में विशेष रूप से शक्तियों से परिपूर्ण है। वह कजाखस्तान गणतंत्र का विदेशों में प्रतिनिधित्व तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की रूप–रेखा निर्धारित करता है।[9] राष्ट्रपति पांच वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। संविधान में राष्ट्रपति की पदमुक्ति के संबंध में जटिल व्यवस्था को अपनाया गया है। 1995 का संविधान 1993 के रूस के संविधान से काफी हद तक प्रभावित है। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में निहित हैं, जिनका प्रयोग वह प्रधानमंत्री एवं उसके सहयोगी मंत्रियों के सहयोग से करता है। इन मंत्रियों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट के परामर्श से करता है। यदि मजलिस मंजूरी नहीं देती है तो राष्ट्रपति स्वविवेक पर नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति को संसद को भंग करने का भी अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। एक व्यक्ति अपने जीवन में दो बार ही राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है।[10] राष्ट्रपति को संविधान द्वारा सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर का दर्जा प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री तथा मंत्रियों एवं सरकार के ढांचे को निश्चित करता है।

सरकार के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में संविधान द्वारा प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया है। संसद की सहमति से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह सरकारी गतिविधियों को प्रत्यक्ष रूप से संचालित करता है। स्थानीय, राज्य प्रशासन का संचालन स्थानीय प्रतिनिधियों तथा कार्यकारी अंगों द्वारा किया जाता है।

---

9 Article 78(a) *Constitution of Kazakhstan*, (1995).
10 Kazakhstan: *The Europa Year Book*, Vol.II, (London, 2003), p.2363.

प्रतिनिधि शाखा – मस्लाखात (परिषद) जो कि जनता की इच्छाओं को प्रकट करती हैं। मस्लाखात का निर्वाचन 4 वर्ष के लिए किया जाता है। यह निर्वाचन गुप्त मतदान पर आधारित होता है।[11] प्रत्येक स्थानीय कार्यकारी शाखा की अध्यक्षता, हाकिम (गवर्नर) के द्वारा की जाती हैं जो कि गणतंत्र के राष्ट्रपति तथा सरकार का प्रतिनिधि होता है।

कजाख गणराज्य के संविधान एवं कानूनों के क्षेत्र में न्यायपालिका स्वतंत्र होती हैं। न्यायिक शक्तियां – संवैधानिक न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तथा राष्ट्र के उच्चत्तर पंच निर्णय (Arbitration) न्यायालयों में निहित हैं। न्यायाधीशों को 10 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है।[12] 1995 के संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान रखा गया है। उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि 1993 के संविधान का विस्तार कर 1995 का नव संविधान को अंगीकर किया गया। यद्यपि प्रधानमंत्री एवं अन्य महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में संसद की स्वीकृति को उच्च स्थान प्रदान किया गया। परंतु प्रधानमंत्री को पूर्व की भांति राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रखा गया। 1995 के संविधान के लागू होने के पश्चात् 1998 को पुनः संविधान में संशोधन किए गए जो निम्न बातों को लेकर थे –

प्रथमः सरकार के संबंध में संसद की शक्तियों का विस्तार करना – अगर संसद के सरकार के किसी सदस्य को उसके पद से हटाने की मांग करें, तो राष्ट्रपति उस पर सकारात्मक निर्णय लेगा या अगर वह असहमति प्रकट करता है तो संसद छः माह के पश्चात् इस मांग को पुनः दोहरा सकती हैं तब वह मांग संवैधानिक रूप से पूर्णतया वैद्य होगी यदि इससे संसद के दो–तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त हों तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को सरकार के सदस्य को उसके पद से हटाना पड़ेगा।

द्वितीय : संसद तथा राष्ट्रपति के पारस्परिक संबंधों को लेकर किए गए परिवर्तनः– संसद को पहले यह अधिकार था कि वह राष्ट्रपति के सम्मुख संविधान में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव रखे, उस पर राष्ट्रपति सहमति एवं असहमति व्यक्त कर सकता है। अब यदि संसद के प्रत्येक सदन के 4/5 बहुमत प्रस्तावित किसी परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की असहमति हो तब वह इस स्थिति में जनमत संग्रह का आदेश दे सकता है।

तृतीय : राष्ट्रपति की स्थिति को लेकर किए गए परिवर्तन – राष्ट्रपति की शक्तियों को अस्थाई रूप से संसद के उच्च सदन सीनेट के चेयरमैन को स्थानांतरित किया जा सकता है। चेयरमैन की अक्षमता की स्थिति में सीनेट की समस्त शक्तियां प्रधानमंत्री को

---

11 Article-129, *Constitution of Kazakhstan*, (1995).
12 Article 95, *Constitution of Kazakhstan*, (1995).

सौंपती थी। अब ये शक्तियां अस्थाई रूप से निम्न प्रकार से सौंपी जाएगी, यथा – सीनेट का चेयरमैन, मजलिस का चेयरमैन तथा प्रधानमंत्री को।

चतुर्थ : राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तनों ने स्थान ग्रहण किया – राज्य के कानून में मूलभूत परिवर्तन, कार्यपालिका शक्ति की स्थिति की कमजोरी का परीक्षण, शक्तियों का रिफ्लेक्शन वैधानिक शक्ति तथा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।[13]

अक्टूबर 1998 के संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेतु न्यूनतम आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 40 तथा उच्च आयु का कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष कर दिया गया।[14]

1993 को कज़ाखस्तान में संविधान के लागू होने से लेकर वर्तमान तक 1995 में नया संविधान बनाया गया इसके 3 वर्ष पश्चात पुनः अक्टूबर 1998 को राष्ट्रपति ने संसद, कार्यपालिका तथा स्वयं के पद की शक्तियों का विस्तार के साथ–साथ राष्ट्रपति पद हेतु जो आयु सीमा से संबंधित प्रावधान जो कि पूर्व में थे वह परिवर्तित किए गए तथा स्वयं नजरबायेव ने 1995 के संविधान में प्रदत्त संविधान संशोधन की शक्ति का प्रयोग अपनी शक्तियों में वृद्धि हेतु पूर्ण रूप से किया है। संविधान के लागू होने से लेकर वर्तमान तक किस प्रकार संविधान एवं संस्थाओं का उपयोग राष्ट्रपति ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किया है इसका विवेचन अलग शीर्षक के अंतर्गत किया जाएगा।

कजाखस्तान में संस्थाओं का निर्माण

किसी भी राष्ट्र में संस्थानों की कार्यप्रणाली यह दर्शाती है कि वहां पर लोकतंत्र कार्य कर रहा है या नहीं। संविधान तब तक केवल कागज के पन्नों तक सीमित है जब तक कि व्यवहार में संस्थाएं एवं संविधान के लागू होने के बाद उनका निर्माण एवं कार्यरूप में रूपान्तरण हुआ है या नहीं।

कजाखस्तान में लोकतांत्रिक विकास एवं संवैधानिक नियमों एवं कानूनों की पूर्णता उसके संस्थानों में निहित है। राजनीतिक व्यवस्था में नये तत्वों का उदय इस गणराज्य में सर्वप्रथम 1988 के मध्य में अनौपचारिक समूहों एवं आंदोलनों में दिखा था।[15] कजाखस्तान की राजनैतिक व्यवस्था एवं संस्थानों का निर्माण यू. एस. एस. आर. के अंतिम दिनों में प्रारंभ हुआ था। सन् 1990 में कजाखस्तान के संविधान में कुछ

13 D. Golyamora, n.4, p.37.
14 Sally N. Cumming, n.1, p.65.
15 K. Warikoo, *Central Asia Emerging New Order* (New Delhi, 1995), p.47.

परिवर्तन किए गए तथा राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया। 25 अप्रैल 1990 में गणतंत्र की संसद ने नजरबायेव को कजाखस्तान का राष्ट्रपति निर्वाचित किया। 1 दिसंबर, 1991 को पुनः समस्त गणतंत्र के बहुमत द्वारा मात्र एक उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया गया।[16]

स्वतंत्रता से पूर्व राजनीतिक दलों के रूप में कजाखस्तान की सामाजिक – लोकतांत्रिक दल अलाश, अजात आंदोलन इत्यादि प्रमुख थे।

इस अध्याय में 1991 के पश्चात संविधान द्वारा निर्मित संस्थाओं में यथा – क.राष्ट्रपति (कार्यपालिका), ख.संसद (व्यवस्थापिका), ग.न्यायपालिका, घ.राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, ड.मीडिया च. नौकरशाही तथा छ. चुनाव एवं चुनाव आयोग का विश्लेषण किया जाएगा।

क. राष्ट्रपति (कार्यपालिका)

कजाखस्तान में 1995 के संविधान के अनुसार अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संविधान में राष्ट्रपति को राष्ट्र के प्रमुख के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। सशस्त्र सेनाओं का चीफ कमांडर का पद प्रदान किया गया है। संविधान का अध्याय–तीन तथा अनुच्छेद 40 से लेकर अनुच्छेद 48 राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है।

राष्ट्रपति राज्य का प्रतीक है तथा वह कजाख लोगों की एकता तथा शक्ति को मान्यता देता है।

राष्ट्रपति का निर्वाचन सार्वभौमिक तथा प्रत्यक्ष गुप्त मतदान द्वारा होता है। वह सात वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। 1999 तक राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष था। 10 जनवरी 1999 को संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के कार्यकाल को पांच वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष कर दिया गया। एक व्यक्ति अपने जीवन में केवल दो बार इस पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति के अधीन निम्न शक्तियां रहती हैं। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के परामर्श द्वारा करता है। सरकार का गठन एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है।

---

16 Rafis Abazov, "The Presidential Election in Kazakhstan: Winner Takesall?", *Contemporary Central Asia* (New Delhi), Vol.III, no.2, 1999, p.24.

राष्ट्रपति इस बात को सुनिश्चित करता है कि राज्य की समस्त शाखाएं सही ढंग से कार्य कर रही हैं या नहीं। इसके लिए वह मध्यस्थ की भूमिका निभाता है।[17] राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित कानूनों पर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है तथा वैधानिक प्रारूप की अग्र विवेचना हेतु प्रारूप को वापस लौटाने का अधिकार रखता है। सीनेट के परामर्श पर वह प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, सुरक्षा, वित्त तथा आंतरिक मामलों, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के चेयरमैन तथा कूटनीतिक एवं प्रतिनिधि विभाग के प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है।[18]

न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। गणराज्य के बैंक प्रमुखों की नियुक्ति तथा बर्खास्तगी का अधिकार राष्ट्रपति के पास सुरक्षित हैं।[19]

स्थानीय प्रशासन का संचालन राष्ट्रपति के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। स्थानीय प्रशासन की इकाई मस्लाखात (परिषद्) के प्रमुख हाकिम (गवर्नर) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं।

संसद के अधिवेशनों का आह्वान एवं संसद को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के अधीन संरक्षित है। आंतरिक आपातकाल, युद्ध एवं विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन हैं। निम्न परामर्शदात्री संस्थाएं राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहती हैं – कजाख गणराज्य की सुरक्षा परिषद, कजाख गणराज्य की उच्च न्यायालय परिषद, मीडिया परिषद एवं पर्यवेक्षण परिषद, कजाख गणराज्य की राज्य राष्ट्रीय विकास परिषद, गणतंत्र की मानवाधिकार समिति, राष्ट्रीय परिवार एवं महिला कल्याण आयोग तथा कजाख नागरिक सभा इत्यादि।[20]

कजाखस्तान में अब तक के राष्ट्रपति चुनाव एंव नेतृत्व

कजाखस्तान में राष्ट्रपति पद को 25 अप्रैल 1990 में सर्वोच्च सोवियत के निर्णय द्वारा अंगीकर किया गया। प्रथम राष्ट्रपति के रूप में नाजरबायेव को नियुक्त किया गया।[21] स्वतंत्रता से 15 दिन पूर्व 1 दिसंबर 1991 को राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन हुआ जिसमें एकमात्र उम्मीदवार के रूप में नाजरबायेव को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित

---

17 Adel E. Abishev, *Kazakhstan in Focus: Ten years of Indepenence* (Almaty, 2002), p.27.
18 Phool Badan, *Dynamics of Political Development in Central Asia* (New Delhi, 2001), p.97.
19 Ibid., p.97.
20 Adel E. Abishev, n.17, pp.397-98.
21 Alexei Vassilliev, n.3, p.32.

किया गया। 1995 को पुनः नाजरबायेव ने जनमत संग्रह के द्वारा 5 वर्ष के लिए अपना कार्यकाल बढ़ा कर दिसंबर 2000 तक किया।

नजरबायेव के नेतृत्व में दो संविधानों का निर्माण हुआ (1993, 1995)। संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों का विवरण विशेष रूप से किया गया है। 1993 एवं 1995 के संविधान में राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष थी, परंतु 1998 के संविधान संशोधन एवं 10 जनवरी 1999 को आयोजित संसद की संयुक्त बैठक द्वारा राष्ट्रपति के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 वर्ष से 7 वर्ष कर दिया गया है।

नये संविधान एवं 1998 के संशोधन के पश्चात 10 जनवरी 1999 को राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव सम्पन्न हुए जिसमें चार उम्मीदवारों ने भाग लिया। नजरबायेव ने 81.71 प्रतिशत, सेरीक्बलोसन ए. अब्दीलदीन ने 12.08 प्रतिशत, गनी कासलोव ने 4.72 तथा एंगेल्स गब्बासोव ने 0.78 प्रतिशत मत प्राप्त किए। इन चुनावों में नजरबायेव ने विजय प्राप्त की तथा आगामी 2006 तक अपने पद को सुरक्षित किया है।[22] ये चुनाव लोकतांत्रिक नहीं कहे जा सकते क्योंकि इसमें प्रचार अवधि मात्र 3 माह तक कर दी गई तथा विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन संबंधी खानापूर्तियों द्वारा रोका गया।

राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में यदि देखा जाए तो 1993 के संविधान की अपेक्षा 1995 में इसे और अधिक बढ़ा दिया गया है जहां तक 1998 के संविधान संशोधन से स्पष्ट होता कि यदि कोई संशोधन संविधान में वे करना चाहते हैं तो अमुक परिवर्तन किया जाएगा। परंतु यदि राष्ट्रपति इसे अस्वीकृत कर देता है तो वह विलुप्त नहीं होगा बल्कि उसे आगे जनमत संग्रह हेतु भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की शक्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि देखी जा सकती है। कार्यपालिका के साथ–साथ राष्ट्रपति का हस्तक्षेप न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका की ओर भी अधिक बढ़ा है।

नजरबायेव ने 1990 से लेकर 1999 के चुनाव के पश्चात् 2006 तक इस पद पर स्वयं को सुरक्षित कर लिया है। लेकिन सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति ने राष्ट्र के लोकतंत्र के पथ एवं संस्था निर्माण में भी बाधाएं उत्पन्न करती आ रही हैं। 1994 के पश्चात् कजाखस्तान में राष्ट्रपति नजरबायेव ने संसद, न्यायपालिका, मीडिया एवं संस्थानों को अपने अधीन करने का प्रयास किया, उसमें वह सफल रहा। संसद को भंग करने, संविधान में बार–बार अपनी शाक्तियों में वृद्धि हेतु संशोधन करना, अपने परिवारजनों का उच्च पदों पर आसीन करना, अपने विपक्षी उम्मीदवारों को प्रताड़ित करना एवं

---

[22] Selly N. Cumming, n.1, p.65.

मीडिया पर प्रतिबंध लगाना इत्यादि समस्त एक सर्वाधिकारवाद के द्योतक हैं जो लोकतंत्र एवं संस्था निर्माण के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं।

ख. संसद (व्यवस्थापिका)

स्वतंत्रता के पश्चात 1993 के संविधान के तहत संसद के एक सदनीय स्वरूप को स्वीकार किया गया जो कि सोवियत परंपरा का अनुसरण मात्र कहा जा सकता है। कजाखस्तान में संसदीय परंपरा के अस्तित्व के बारे में हमें सर्वोच्च साम्यवादी राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन करना होगा जो कि विभिन्न अनौपचारिक प्रकारों में थी। गणतंत्र का स्पष्ट नियामकीय स्टाफ सर्वोच्च सोवियत हमेशा दल के निर्णयों को निश्चित करके उन्हें कानून की आकृति प्रदान करती थी।[23]

स्वतंत्रता के पश्चात 7 मार्च 1994 को प्रथम बार संसदीय चुनाव करवाएं गए। इन चुनावों में प्रथम बार बहुदलीय व्यवस्था लागू की गई। 177 स्थानों के लिए चुनाव संपन्न हुए। इन चुनावों में 754 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जिसमें 75 प्रतिशत कजाक थे। चुने गए उम्मीदवारों में 59 प्रतिशत कजाक तथा 28 प्रतिशत रूसी थे। इन चुनावों में नजरबायेव के समर्थकों को भारी सफलता मिली। परंतु थोड़े समयान्तराल पश्चात फरवरी 1995 को इसे संवैधानिक न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया तथा इसे भंग करने की घोषणा कर दी गई। इसको भंग करने के पीछे यह कारण बताया गया कि संसदीय चुनावों में अनियमितताएं तथा धांधलियों का बोल–बाला रहा।[24]

1995 के संविधान में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई है जो इस प्रकार है–

(1) सीनेट (उच्च सदन)

(2) मजलिस (निम्न सदन)

उक्त दोनों सदन कजाख गणराज्य में व्यवस्थापिकीय कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है तथा मजलिस का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।

संविधान के अध्याय–चार, में अनुच्छेद 49 से 63 तक संसद के निर्माण, निर्वाचन, कार्य एवं संसदीय शक्तियों का उल्लेख किया गया है।

संसद के उच्च सदन सीनेट में सदस्यों की संख्या 47 हैं। सीनेट के 40 सदस्यों का निर्वाचन समस्त संयुक्त प्रतिनिधि क्षेत्रीय डैप्यूटीज तथा दो नगर (अस्ताना, अल्माटी)

---

23 Khaylzhan Dzunsova & Denisbagamil, Quoted in n.15, pp.51-52.

24 Adel E. Abishev, n.17, p.38.

क्षेत्रों से किया जाता है। शेष 7 डैप्यूटीज को राष्ट्रपति द्वारा मनोनित किया जाता है। सीनेट के सदस्य वे व्यक्ति बन सकते हैं जो कजाख गणराज्य का पांच वर्ष से अधिक समय तक नागरिक रहा हो, उच्च शैक्षणिक डिप्लोमा उत्तीर्ण हों, जिसका स्थाई आवास कजाखस्तान की सीमा के अंदर हो। इसके अतिरिक्त आवास स्थल राजधानी क्षेत्र या स्थानीय क्षेत्र या सब–ऑर्डीनेट क्षेत्र में हो जहां पर वह कम से कम तीन वर्ष तक रह चुका हो। वह व्यक्ति सीनेट के लिए चुना जा सकता है।

संसद के निम्न सदन मजलिस में सदस्यों की संख्या 77 हैं। 77 डैप्यूटीज में से 67 डैप्यूटीज का निर्वाचन एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से किया जाता है। शेष 10 डैप्यूटीज को दलीय सूची के अनुसार चुना जाता है। मजलिस के चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली के सार्वभौमिक सम्मान तथा प्रत्यक्ष मतदान पद्धति द्वारा होते हैं।[25] मजलिस के चुनाव हेतु कजाख गणराज्य का कोई भी नागरिक जिसने 25 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो वह उम्मीदवार के रूप में भाग ले सकता है। मजलिस को सीनेट के मुकाबले अत्यधिक शक्ति सम्पन्न बनाया गया है मजलिस मुख्यतया निम्न मुद्दों पर ध्यान देती हैं–

नियम (कानून) निर्माण, राष्ट्रपति द्वारा दिये गये परामर्शों का पालन करते हुए नियमों का निर्माण करना, केन्द्रीय चुनाव आयोग के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन तथा सचिव का चुनाव एवं पदमुक्ति राष्ट्रपति की उपस्थिति में मजलिस करती हैं, समय–समय पर चुनावों की घोषणा करना – राष्ट्रपति एवं संसदीय चुनाव तथा न्यायिक बोर्ड के लिए दो प्रतिनिधि डैप्यूटीज की नियुक्ति करना।

1995 के संविधान में संसद के कार्यों को स्पष्ट किया गया है जो निम्नानुसार हैं, राष्ट्रपति के सुझाव पर संविधान में संशोधन का कार्य करना, गणराज्य के बजट को पारित करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा राष्ट्रीय बैंक के चेयरमैन की नियुक्ति में परामर्श प्रदान करती है, युद्ध एवं आपातकालीन निर्णय संसद की स्वीकृति से पारित होते हैं, सैन्य शक्ति के उपयोग के लिए राष्ट्रपति को सुझाव देती है तथा गणराज्य में जनमत संग्रह करवाने में योगदान देती हैं।

संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को निम्न शक्तियां प्रदान की गई हैं –

1. अगर संसद सरकार के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो राष्ट्रपति संसद को भंग करता है। तथा

[25] Article 51, *Constitution of Kazakhstan,* 1995.

2. राजनीतिक उपद्रव व आपसी झगड़ों एवं राज्य की शाखाओं तथा संसद के मध्य विवादों के कारण संसद भंग कर दी जाती है।

संविधान में यह भी प्रावधान है कि 6 माह से अधिक संसद को भंग नहीं रखा जा सकता है। 6 माह की अवधि से पहले पुनः निर्वाचन करवाना आवश्यक होगा। दो ही स्थितियों में संसद 6 माह से अधिक समय के लिए भंग रह सकती है वह है –

1 राष्ट्रीय आपातकाल तथा

2 युद्ध के समय

1995 के संविधान के तहत संसद का द्विसदनीय स्वरूप अपनाया गया। प्रथम 5 दिसंबर 1995 को सीनेट तथा 9 दिसंबर 1995 को मजीलस के चुनाव संपन्न हुए। सीनेट के चुनावों में 28 (70 प्रतिशत) कजाक तथा 12 रूसी उम्मीदवार सफल रहे। 28 उम्मीदवार बिना विरोध के चुने गए जिस पर निरक्षकों को ताज्जुब था। मजलीस के चुनाव में 67 स्थानों के लिए 300 उम्मीदवारों ने भाग लिया जिसमें 172 उम्मीदवार 32 दलों तथा संगठनों से संबंध रखते थे तथा शेष 128 उम्मीदवार स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में थे।

द्वितीय संसदीय चुनाव सीनेट तथा मजलीस के लिए 17 सितंबर तथा 10 अक्टूबर 1999 को संपन्न हुए। जिसमें स्वतंत्र उम्मीदवरों ने 34 स्थानों पर विजय प्राप्त की, ओतन (Otan), दल ने 23, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ कजाखस्तान ने 13, अगेरीयन पार्टी ऑफ कजाखस्तान ने 3 तथा नेशनल को–ऑपरेटिव पार्टी ऑफ कजाखस्तान ने 1 स्थान पर विजय प्राप्त की। मजलीस के 10 स्थान दलीय सूची के आधार पर भरे गए।[26]

चुनावों में उम्मीदवारों की भारी संख्या देखी गई। केन्द्रीय चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव विभिन्न चरणों में सम्पन्न करवाए गए।

चुनावी प्रचार में विपक्षी नेताओं पर रहस्यमय आक्रमण लगातार होते रहे। सांसद ब्लादिमीर चैयनेस्व के साथ मार–पीट हुई। चुनावों से पहले कानून मंत्रालय द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण भी रद्द किए गए। 1998 में ऐसा लोकतांत्रिक दल के साथ घटित हो चुका है।[27]

---

[26] Kazakhstan: Regional Survey of World, *Eastern Europe, Russia and Central Asia* (London, 2003) edition-III, p.224.

[27] N.I. Perror & M.S. Gafarly, Quoted in n.3, pp.41-42.

संसद के निर्माण से लेकर उसकी कार्यप्रणाली पूर्णतय लोकतांत्रिक नहीं बन पाई है। संसद में 1995 के पश्चात प्रतिनिधित्व कमजोर हुआ। नजरबायेव स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि संसद पर तानाशाही हावी हो रही है क्योंकि संविधान प्रदत्त कानून समस्याओं का उत्तर देने में मौन है।[28] नजरबायेव द्वारा समय–समय पर संसद की शक्तियों में वृद्धि के लिए संविधान में संशोधन किए लेकिन उक्त संशोधन केवल दिखावा मात्र कहे जा सकते हैं। यदि संसद राष्ट्रपति विरोधी गतिविधियों या उसकी हां में हां नहीं मिलाती है तो उसे भंग होने या पुनः चुनावों का डर सदैव बना रहता है।

ग. न्यायपालिका

गणतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है, न्यायिक शक्तियां, संवैधानिक न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तथा प्रदेश के निम्न स्तरीय न्यायालयों में निहित हैं।[29]

संविधान के अध्याय–सात के अनुच्छेद 75 से 84 तक कजाख गणराज्य की न्यायिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।

कजाखस्तान में तीन प्रकार के न्यायालय हैं – स्थानीय, ओब्लास्ट तथा सर्वोच्च न्यायालय। स्थानीय न्यायालय कम गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है। ओब्लास्ट न्यायालय में गंभीर आपराधिक मामलों यथा हत्या, डकैती तथा अन्य अपराधिक गतिविधियों से सम्मिलित मामलों के संबंध में सुनवाई की जाती है जो कि स्थानीय न्यायालयों में सही रूप से निपटारा नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में ओब्लास्ट न्यायालय में अपील की जाती हैं। यदि कोई मामला ओब्लास्ट न्यायालय में नहीं निपटाया जाता है तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है। कजाखस्तान में सैनिक न्यायालयों की व्यवस्था भी है।

संविधान के अनुसार संसद के उच्च सदन सीनेट के परामर्श से संवैधानिक परिषद के चेयरमैन, प्रोस्क्यूटर जनरल, न्यायमंत्री, जजों एवं अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ओब्लास्ट न्यायालयों के जजों की नियुक्ति (जो सर्वोच्च न्यायिक परिषद द्वारा प्रस्तावित होते हैं), स्थानीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो कि न्यायिक मंत्रालय द्वारा दी गई नाम सूची को ध्यान में रखते हुए करता है।[30]

---

[28] Shireen T. Hunter, *Central Asia since Independence* (London, 1996), p.58.
[29] Article 75, Constitutition of Kazakhstan, 1995.
[30] Article 82, Constitutition of Kazakhstan, 1995.

1995 की राष्ट्रपतीय डिक्री के तहत जजों की पदमुक्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रखी गई। जजों की नियुक्ति, योग्यता, अधिकार इत्यादि संवैधानिक परिषद के द्वारा निर्धारित होते हैं। इनकी पदमुक्ति का अधिकार सीनेट के पास है जो राष्ट्रपति के परामर्श से होता है।

1995 के संविधान में संवैधानिक न्यायालय के स्थान पर संवैधानिक परिषद का गठन किया गया है। यह परिषद चुनाव, जनमत संग्रह, संविधान संशोधन एवं संसद द्वारा दिए गए निर्णयों का विमोचन करती हैं। परिषद राष्ट्रपति के वीटो को दो तिहाई बहुमत से निरस्त कर सकती हैं। वर्तमान में नागरिकों को सरकार के विरोध में परिषद में जाने का अधिकार नहीं है जो कि संवैधानिक न्यायालय में पूर्व में था। नये संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संसद के अध्यक्ष, मजलिस के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री संसद के 1/5 सदस्य और विधि न्यायालय के सदस्य संवैधानिक परिषद में जा सकते हैं।

संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात् न्यायालयों की स्थापना, जजों की नियुक्ति पूर्णतया राष्ट्रपति के अधीन रही है। इसलिए यहां की न्यायिक व्यवस्था को कमजोर न्यायिक व्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। यह व्यवस्था पूर्व सोवियत व्यवस्था की वंशानुगत है। जनता के संरक्षक के रूप में प्रोसीक्यूटर जनरल अनेक शक्तियां रखता है लेकिन वास्तविक रूप में वह ऐसा नहीं कर पाता है। न्यायालयों में जनता की याचिकाओं की सुरक्षा, याचिका पर पूर्ण रूप से विचार नहीं किया जाता है तथा याचिका प्रार्थना को संस्थागत नहीं किया गया है। 1995 में राष्ट्रपति एवं संवैधानिक न्यायाल के मध्य 1994 के संसदीय चुनावों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। संवैधानिक न्यायालय द्वारा 1994 के संसदीय चुनाव को अवैध करार देते हुए कहा कि इन चुनावों में व्यापक तौर पर धांधलियां हुई थी इस कारण नजरबायेव को संसद भंग करनी पड़ी। 1995 के संविधान में संवैधानिक न्यायालय के स्थान पर संवैधानिक परिषद् का प्रावधान किया तथा इसके सात सदस्य 6 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं जिसमें परिषद् के अध्यक्ष एवं दो सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार स्वयं राष्ट्रपति ने अपने अधीन रखा। इससे यह स्पष्ट होता है कि सर्वोच्च न्यायिक निकाय की शक्तियों को कम करने में राष्ट्रपति नजरबायेव ने भरसक प्रयास किए। परिषद की कार्य प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह उस समय लग जाता है, जब नागरिकों को सरकार के विरोध में परिषद में जाने का अधिकार छीन लिया गया है। न्यायपालिका

को संविधान के रक्षक तथा लोकतांत्रिक एवं मानवीय अधिकारों के सरंक्षक के रूप में अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया गया है।[31]

घ. राजनीतिक दल एवं दबाव समूह

कजाखस्तान में नवीन राजनीतिक दलों व समूहों का उदय मिखाईल गोरबच्योव द्वारा शुरू किए गए सुधार नीतियों का परिणाम कहे जा सकते हैं। सोवियत संघ के साम्यवादी दल की सत्ता स्वतंत्रता से पूर्व कजाखस्तान में भी स्थापित रही। 1999 में मिखाईल गोरबच्योव ने 1977 के संविधान से अनुच्छेद–6 को हटाकर बहुदलीय व्यवस्था का सूत्रपात किया। इसका प्रभाव समस्त सदस्य गणराज्यों में मिला–जुला देखा गया।

स्वतंत्रता के पश्चात गणतंत्र में जो राजनीतिक व्यवस्था उदित हुई वह धर्मनिरपेक्ष एवं सत्तावादी चरित्र से परिपूर्ण हैं। स्वतंत्रता के पश्चात सत्तासिन नेता वे ही व्यक्ति हैं जो गोरबाच्योव के समय में भी काफी प्रभावी रहे थे।

गोरबच्योव की *ग्लासनोस्त* नीति ने समस्त गणराज्यों में राजनीतिक बहुलवाद का मार्ग प्रशस्त किया। 7 मार्च 1994 के संसदीय चुनावों में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम बार बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया।[32] कजाख गणराज्य में निम्न राजनीतिक दल एवं दबाव समूह देखे जा सकते हैं जो राज्य के संपूर्ण राजनीतिक, लोकतांत्रिक एवं सामाजिक स्वरूप को प्रभावित कर रहे हैं।

1995 संसदीय चुनावों में यदि देखा जाए तो मुख्यतया 8 दलों की भूमिका महत्वपूर्ण रही जिसका विवरण निम्नानुसार है – पीपुल्स यूनिटी पार्टी, यह जनवरी 1993 को गठित की गयी थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक समाज का विकास तथा बाजार आधारित अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक बहुलवाद, राज्य की संप्रभुता इत्यादि। चुनावों में 24 स्थानों पर विजय हासिल की। यह राष्ट्रपति को समर्थन प्रदान करने वाला दल था। पार्टी की कमान नेता कुनुश सुल्तानोव के हाथ में है। दी पीपुल्स कांग्रेस ऑफ कजाखस्तान, यह साम्यवादी दल के विरोध में अस्तित्व में आई। 31 दिसंबर 1991 को इसे पंजीकृत किया गया। यह उदारवादी लोकतांत्रिक दल है। इसके प्रमुख नेता सुलेमेनव तथा मुख्तार शेखनोव है। इसकी शाखाएं राष्ट्र के 19 भागों में हैं। यह परमाणु प्रसार का विरोध करती है। संसद के चुनाव (मजलिस) में 23 सदस्यों को इसका समर्थन प्राप्त था। यह दल कजाख राष्ट्रपति नाजरबायेव को समर्थन प्रदान करता है, दी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ कजाखस्तान, अक्टूर 1991 को पंजीकृत की गई। इसकी

---

[31] Phool Badan, n.18, p.112.

[32] "Kazakhstan", *The Europa Year Book*, n.10, p.2362.

30,000 सदस्य संख्या है। 1994 के संसदीय चुनावों हेतु इसके 55 सदस्य चुनावी जिलों के लिए नामांकित किए गए। जिसमें 12 को विजय हासिल हुई। दी रिवाइवल पार्टी ऑफ कजाखस्तान, इसकी स्थापना 27 नवंबर 1995 को हुई। दल का मुख्य उद्देश्य नागरिक समाज का विकास तथा कानून शासित राज्य तथा समाजवादी बाजारीकृत अर्थव्यवस्था में विश्वास करती है, दी पीपुल्स कॉओपरेटिव पार्टी, 20 फरवरी 1995 को पंजीकृत किया गया। इसके उद्देश्य नागरिक समाज की स्थापना करना तथा नागरिक अधिकारों की क्रियान्विति तथा स्वतंत्रता एवं कानून आधारित आदर्शों में विश्वास करती है। 1995 मजलिस के चुनावों में 21 सदस्यों को समर्थन प्रदान किया। चुनावों में सीनेट एवं मजलिस में एक–एक स्थान पर विजय हासिल की थी, दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कजाखस्तान, सी. पी. के. की स्थापना 1991 को की गई थी। सरकारी तौर पर दल का पंजीकरण 28 फरवरी 1994 को हुआ। दल का मुख्य उद्देश्य संविधान का निर्माण करना, सामाजिक स्वतंत्रता तथा सामाजिक न्याय प्रदान करना रहा है और 1995 के चुनावों में 5 स्थानों पर विजय प्राप्त की, दी पब्लिकन पार्टी ऑफ कजाखस्तान, आर. पी. के. की स्थापना 22 नवंबर, 1992 को हुई तथा इसका पंजीकरण 26 दिसंबर 1992 को हुआ। इसकी शाखाएं गणराज्य के सभी क्षेत्रों में विद्यमान हैं।[33]

इसके अतिरिक्त 1999 के संसदीय चुनावों से पहले कुछ दलों को पंजीकृत किया गया जिसमें दी अग्रेरियन पार्टी कजाखस्तान (मार्च 1999), ओतन (Otan, फरवरी, 1999) रिपब्लिकन पार्टी बाद में तथा दी सिविल पार्टी ऑफ कज़ाखस्तान प्रमुख थी। कजाखस्तान में 24 अक्टूबर तथा 26 दिसंबर 1999 को संपन्न चुनावों में मुख्य रूप से पांच दलों की भूमिका महत्वपूर्ण रही जिसमें – ओतन ने 19 स्थानों पर विजय प्राप्त की तथा 4 स्थानों पर दलीय सूची के आधार पर सदस्य चुने गए, सिविल पार्टी ऑफ कजाखस्तान ने 11 स्थानों पर विजय प्राप्त की तथा 2 सदस्य दलीय सूची के आधार पर चुने गए, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ कजाखस्तान को एक स्थान पर विजय मिली तथा 2 सदस्य दलीय सूची के आधार पर चुने गए। अग्रेरियन पार्टी ऑफ कजाखस्तान का 1 सदस्य विजयी रहा तथा 2 सदस्य दलीय सूची के आधार पर चुने गए तथा नेशनल कॉ–ऑपरेटिव पार्टी ऑफ कजाखस्तान का एक सदस्य विजयी रहा। इसके अतिरिक्त 24 स्थानों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे।[34]

---

[33] Phool Badan, n.18, pp.127-129.

[34] Martha Brill Olcott, *Kazakhsthan Unfulfilled Promise* (Washington D.C., 2002), p.252.

1995 तथा 1999 के चुनावों को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो 1999 के चुनावों में स्वतंत्र (निर्दलीय) उम्मीदवारों ने काफी सफलता प्राप्त की हैं जहां 1995 के संसदीय चुनावों में पीपुल यूनिटी पार्टी ने 24 स्थानों पर विजय हासिल की थी लेकिन 1999 के चुनावों में एक भी स्थान नहीं मिला। पीपुल्स कॉ–ऑपरेटिव ने 1995 के संसदीय चुनावों में मजलीस तथा सीनेट के चुनावों में 1–1 स्थान हासिल किया था लेकिन 1999 के संसदीय चुनावों में मात्र 1 सीट से संतुष्टि करनी पड़ी। 1995 के चुनावों के मुकाबले 1999 के चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ–साथ नवीन गठित दल ओतन, अगेरियन, सिविल पार्टी ऑफ कजाखस्तान इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

1994 के पश्चात कजाक गणराज्य में बहुदलीय व्यवस्था का विकास हुआ है। दलों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। 1995 तथा 1999 के संसदीय चुनावों में दलों को बढ़ावा मिला है।

कजाख गणराज्य में विपक्ष की भूमिका सामाजिक लोकतांत्रिक दल निभा रहा है। हालांकि विपक्ष सिर्फ नाम मात्र का रह गया है। विपक्ष भी राष्ट्रपति के दबाव में देखा गया है। फिर भी साम्यवादी दल राष्ट्रपति नाजरबायेव की नीतियों से संतुष्ट न होने पर नीतियों का विरोध भी करता आ रहा है।

दबाव समूहों के रूप में अजात, जेल्तोखसन तथा अलाश प्रमुख हैं।

अजात की स्थापना 1990 में हुई। यह एक नागरिक आंदोलन हैं इसका मुख्य कार्य सरकार एवं नागरिकों के मध्य संचार एवं सम्प्रेषण को बढ़ावा देना। अजात नें सदैव अंतरजातीय संबंधों के खिलाफ आवाज उठाई। इसकी ओब्लाष्ट स्तर पर शाखाएं कार्य कर रही हैं यह नगरीय क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

जेल्तोखसन 29 मार्च 1990 को अस्तित्व में आया। यह साम्यवाद विरोधी विचारधारा का समर्थक था। इसका मुख्य उद्देश्य रूसियों का विरोध था।

अलाश की स्थापना 1990 अरोन अताबेक तथा बोलतवेक अखमत द्वारा की गई। इसका नारा "इस्लाम, तुर्किस्तान, लोकतंत्र" यह रूसियों के हितों की कजाख गणराज्य की सकारात्मक मांग करता है।[35]

राष्ट्र के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बहुदलीय व्यवस्था का सूत्रपात किया गया है इसको अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए कानून के द्वारा सभी

---

[35] Shireen T. Hunter,n.28, p.49.

राजनीतिक दलों की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। 1999 को संसद के निम्न सदन मजलिस के चुनाव में प्रथम बार राजनीतिक दलों को दलीय सूची द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इन चुनावों में राजनीतिक दलों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

ड. मीडिया

लोकतंत्र के मुख्य आधारभूत तत्व के रूप में नागरिक समाज में संस्थान निर्माण में मीडिया की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। सत्ताधारी दल एवं विपक्षी दल दोनों के राजनीतिक संतुलन में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रेस (मीडिया) की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है।

कजाखस्तान में स्वतंत्रता से पहले 1989 में 453 सरकार से पंजीकृत अखबार प्रकाशित होते थे। जिसमें 160 कजाख भाषा में तथा शेष रूसी, उक्रेनीयन, उगैर, जर्मन, अंग्रेजी तथा कोरियन भाषा में प्रकाशित होते थे। 2001 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो 950 अखबार तथा 342 पीरियोडिकल टाइटल प्रकाशित होते थे। कजाखस्तान में 15 समाचार एजेंसियां वर्तमान में कार्यरत हैं। प्रसारण केंद्रों जिसमें रोड़ियो एवं दूरदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कजाख रेडियो, अल्माटी जो कि कजाख, रूसी, उगैर तथा जर्मन भाषा में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदरर्शन कार्यक्रमों को प्रसारित करने वाला प्रमुख खबर न्यूज एजेंसी अल्माटी, के.टी.के., अल्माटी, एन.टी.के. (एसोसिएशन ऑफ टीवी एण्ड रोड़ियो ब्रॉडकास्टिंग ऑफ कजाखस्तान) इसके अतिरिक्त अन्य कई निजी टीवी कंपनियां हैं जो समाचार एवं प्रसारण का कार्य करती हैं।[36]

रेडियो, टी. वी. तथा मुद्रण संबंधी समस्त सुविधाएं सरकारी नियंत्रण में हैं। इस नियंत्रण के विरोध में कई सामूहिक संगठनों ने कहा कि मीडिया पर सरकार का नियंत्रण अवांछनीय है।

अखबारों को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। 1994 में प्रेस को विशेष रूप से प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। जब प्रेस द्वारा अपराधों का खुला विरोध किया गया था। 1994 के संसदीय चुनावों से पहले प्रसिद्ध स्वतंत्र टेलिविजन तथा रेड़ियो कंपनी मैक्स (Max) को अस्थाई तौर पर प्रतिबंधित किया गया। इसके साथ–साथ राष्ट्रवादी अखबार कजाखसकाया प्राव्दा तथा ओरबा को भी प्रतिबंधित किया गया।[37]

---

36 Kazakhstan: Regional Survey of World, n.26, pp.226-229.

37 Ian Bremmer and Cory Welt, "The Trouble with Democracy in Kazakhstan", *Central Asia* Survey (Oxford), vol.11, no.2, September 1998, p.187.

संसदीय चुनावों तथा राष्ट्रपति चुनावों से पहले सत्तासीनों द्वारा रेडियो, टी. वी. तथा अखबारों का भरपूर दुरुपयोग किया जाता है। कई बार पत्रकारों को मार–पीट का सामना करना पड़ा। प्रेसों को सरकार द्वारा मुद्रण सामग्री की कटोती को झेलना पड़ता है।

17 अप्रैल 2001 को सीनेट द्वारा मीडिया कानून पारित किया जिसके तहत विदेशी प्रसारणों को कजाखस्तान में पुनः प्रसारित नहीं किया जाएगा। वेबसाइट को मीडिया का अंग माना गया। न्यायिक मंत्रालय में मीडिया का पंजीकरण अनिवार्य किया गया। इस कानून के तहत केटीके को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित किया गया।[38]

उक्त तथ्यों को यदि ध्यान में रखा जाए तो कजाक गणराज्य का संविधान स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मीडिया की बात करता है लेकिन यह एक दिखावा मात्र ही कहा जा सकता है। जनता की आवाज की पैरवी करने वाले मीडिया तंत्र को सरकार द्वारा नये कानूनों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है जो कि लोकतंत्र की स्थापना में एक महत्वपूर्ण बाधा कही जा सकती है।

च. नौकरशाही

आधुनिक राज्यों में कल्याणकारी गतिविधियों के विस्तार के साथ ही राज्य की नीतियों के निष्पादन हेतु एक वृहत प्रशासनिक तंत्र की अनिवार्य आवश्यकता है तथा इस तंत्र में उपयुक्त व्यक्तियों का प्रवेश, प्रविष्ठ व्यक्तियों का सम्यक प्रशिक्षण व अनुप्रेरणा, उनकी समझ का समाधान तथा उन पर नियंत्रण गंभीर समस्या है। सोवियत शासन के दौरान नौकरशाही पूर्णतया सोवियत व्यवस्था से प्रभावित थी। समस्त निर्णय मास्को से निर्धारित होते थे। नौकरशाही पूर्णतया साम्यवादी दल के निर्णयों का अनुसरण मात्र थी।[39] कजाखस्तान में यह देखा गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात नौकरशाही का पूर्णतया विकास नहीं हो पाया है। यह पूर्ण रूप से सोवियत व्यवस्था की अनुसरण मात्र कही जा सकती है। नौकरशाही का व्यावसायिकरण नहीं हो पाया है।

छ. चुनाव तथा चुनाव आयोग

चुनावों में चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कजाखस्तान में केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय चुनाव आयोग तथा क्षेत्रीय स्तर पर जिला चुनाव आयोग का गठन किया गया है। चुनाव आयोग गणराज्य में राष्ट्रपति, संसदीय, स्थानीय निकायों के

---

[38] "Media Legislation" *Keesing Record of World Events* (Washington D.C.), vol.47, no.4, April 2001, p.44104.

[39] Shireen T. Hunter, n.34, p.16.

चुनावों के साथ–साथ जनमत संग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अब तक कजाखस्तान में तीन बार संसदीय चुनाव तथा 1991 में राष्ट्रपति चुनाव के साथ दूसरी बार पुनः 1999 को राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव संपन्न कर चुका है। चुनावों में उम्मीदवारों के नामांकन राष्ट्रपति तथा दलीय सूची के आधार पर किया जाता है। आधी सीटों का वितरण राष्ट्रपति सूची के आधार पर तथा शेष आधी सीटों को संपूर्ण जनसंख्या के आधार पर वितरीत किया जाता है।

1991 के राष्ट्रपति चुनावों में विपक्षी उम्मीदवार जो कि जोल्सन समूह के नेता थे, ने यह दावा किया उसने राष्ट्रपति के चुनाव हेतु उम्मीदवार के रूप में नामांकन संबंधी खानापूर्ती पहले कर ली थी लेकिन चुनाव से पहले 40,000 लोगों के हस्ताक्षर का समर्थन पत्र चोरी किया गया जिसके परिणामस्वरूप नाजरबायेव को राष्ट्रपति पद हेतु निर्विरोध निर्वाचित किया गया।

1999 के राष्ट्रपति चुनावों के बारे में ओ.एस.ओ.सी.ई. ने टिप्पणी की कि इस पद हेतु 6 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए लेकिन चुनाव आयोग ने 4 उम्मीदवारों को अनुमति प्रदान की। 1994 में प्रथम बार संसदीय चुनाव सम्पन्न हुए। लेकिन 17 मार्च 1994 के अंत में संसद को संवैधानिक न्यायालय द्वारा भंग कर दिया गया। इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि चुनावों में व्यापक तौर पर धांधलियां तथा अनियमितताएं बरती गई थी।

1995 तथा 1999 को चुनाव आयोग की देख–रेख में संसदीय चुनाव संपन्न हुए, जिसमें बहुदलीय व्यवस्था उभरकर सामने आयी लेकिन चुनाव आयोग एवं न्यायिक मंत्रालय के प्रतिबंधों ने दलों के पंजीयन तथा नवीनीकरण की प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया कि दलों का अस्तित्व जो कि 1995 के चुनावों में जो थे वह 1999 के चुनाव में कम देखने को मिले। इन प्रतिबंधों को देखते हुए स्वतंत्र उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके साथ–साथ चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार के लिए एक लाख लोगों का हस्ताक्षरयुक्त समर्थन पत्र आवेदन पत्र के साथ लगाना एक अनिवार्य खानापूर्ति के रूप में है जिसके कारण इस पद हेतु कई योग्य उम्मीदवार इस झमेले से दूर रहते हैं। चुनाव आयोग के प्रतिबंधों तथा नियमों ने दलों तथा दलीय नेताओं के उत्साहवर्धन को कम किया है तथा चुनाव आयोग की कार्यप्रणालि शीर्षस्थ दबाव में देखी गई हैं।

किर्गीस्तान में संवैधानिक विकास एवं संस्था निर्माण

सोवियत संघ के विघटन की घोशणा के परिणामस्वरूप 12 दिसंबर 1991 को किर्गीस्तान स्वतंत्र हुआ। प्रथम राश्ट्रपति के रूप में ऑस्कर अकाऐव को अक्टूबर 1991 को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। संविधान निर्माण की दृश्टि से देखा जाए तो अन्य मध्य एियाई गणराज्यों के समान सोवियत व्यवस्था के अंतर्गत 1937 तथा 1978 में किर्गीस्तान में संविधान बने थे। परंतु सोवियत संघ के संविधान की सर्वोच्चता के सम्मुख किर्गीस्तान के संविधान केवल दिखावा मात्र थे। स्वतंत्रता के प चात नई व्यवस्था सृजित की गई। जिसके तहत नया संविधान, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संस्कृति का विकास अनिवार्य हो गया था। संविधान निर्माण के क्षेत्र में देखा जाए तो प्रथम प्रयास 1992 के मध्य में किया गया। जिसके अंतर्गत संविधान के लिए तीन प्रारूप आगे आए। इसमें प्रथम प्रारूप राश्ट्रपति आस्कर अकाऐव का था तथा दो अन्य प्रारूप सामाजिक संगठनों की ओर से थे। प्रथम प्रारूप राष्ट्रपति की शक्तियों को पूर्णता प्रदान करता था तो दूसरे दो प्रारूप राष्ट्रपति की शक्तियों का विरोध तथा व्यवस्थापिका को अधिक शक्ति सम्पन्न बनाने की बात करते थे।[40] प्रारूपों के अलावा संविधान निर्माता इस बात पर विश्वास करते थे कि राष्ट्रीय स्थिरता हेतु तीन तत्त्वों का होना आवश्यक था। (i) राजनीतिक व्यवस्था अभिप्रेण तथा कुशलता एक मजबूत राष्ट्रपति के अधीन हो, राज्य के प्रधान के रूप में हो, (ii) वह राष्ट्रीय एकता की मान्यता प्रदान करता हो तथा (iii) संविधानिक व्यवस्था की स्थिरता को एक स्वतंत्र संसद अर्थात् विधानपालिका तथा राज्य की नियंत्रण शाखा के रूप में मान्यता प्रदान करता हो। इन सभी बातों पर संसद में बहस के पश्चात प्रारूप को सार्वजनिक बहस हेतु प्रस्तुत किया गया। चार माह की सार्वजनिक बहस के पश्चात सरकार के संसदीय स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई तथा 5 मई, 1993 को गंणतंत्र का नया संविधान अस्तित्व में आया, जो कि राज्य की संरचना, वैधता तथा राजनीतिक व्यवस्था को अभिव्यक्त करता है।

संविधान गणराज्य को सम्प्रभु, एकीकृत, लोकतांत्रिक गणराज्य एवं विधि आधारित धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में मान्यता देता है।[41]

---

[40] John Anderson, n.2, p.303.

[41] Article 1, *Constitution of Kyrgyzstan*, 1993.

सवंधिान इस बात को परिभाषित करता है कि राष्ट्रपति का स्तर तथा शक्तियाँ, सर्वोच्च परिषद जोगरकू केनेश, सरकार, स्थानीय सरकार तथा न्यायपालिका इत्यादि गणराज्य के प्रमुख अंग है। संविधान एक आधुनिक विकसित लोकतंत्र की विशेषताऐं धारण किए हुए है।[42]

संविधान का वर्तमान स्वरूप जो व्यवहार में उसमें 8 अध्याय तथा 97 अनुच्छेद समाहित है।

संविधान द्वारा जीवन की स्वतंत्रता एंव नागरिकों के मूल अधिकारों को जो कि मानव के व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास हेतु अपरिहार्य है को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। नागरिक अधिकारों में विचार एंव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार एंव राजनीतिक संगठनों की स्थापना की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। राज्य को कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करते हुए स्वास्थ्य, मजदूरी, शिक्षा आदि सामाजिक अधिकार भी प्रदान किए गएं है। संविधान किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, नाम, लिंग तथा भाषा के आधार पर भेदभाव का विरोध करता है।[43]

संविधान में किर्गीज भाषा को राष्ट्रीय भाषा एवं कार्यालयी भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है तथा साथ में रूसी भाषा को अन्तर्जातीय संचार भाषा का दर्जा दिया गया है।

संविधान द्वारा राज्य में शक्ति पृथक्करण के सिद्वान्त को अपनाया गया हैं जो कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा स्थानीय स्वायत सरकार में विभक्त है।[44]

किर्गीज संविधान गणतंत्र की वैधानिकता को अभिव्यक्त करता है तथा अंहिसा को कानून के द्वारा दबाता है। गणतंत्र के नागरिकों को सम्पति एंव धर्म का अधिकार प्रदान किया गया है।[45] मानवधिकारों को अन्तराष्ट्रीय कानूनों तथा अन्तराष्ट्रीय संधियों द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए है।[46]

संविधान के अध्याय–तीन में अनुच्छेद 42 से 53 तक राष्ट्रपति पद के सृजन, चुनाव, अर्हताओं, शक्तियों तथा उसके विरूद्ध महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का स्पष्ट

42 V.F. Kovalskii, Quoted in n.3, p.235.
43 Article, 151.
44 Anna Matveena, ''Democratization, legitmacy and political change in central Asia'', *International Affairs* (London), Vol.7, no.4, (1999), p.28.
45 Article 7, *Constitution of Kyrgyzstan*, 1993.
46 Phool Badan, n.18, p.98.

रूप से विवरण किया गया है। किर्गीज गणराज्य का राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष, संविधान को वैधता प्रदान करने वाला तथा नागरिक अधिकारों एंव कानूनों के रखवाले के रूप में एक सर्वोच्च अधिकारी है। इसको 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है इस पद पर एक व्यक्ति अपने जीवन में केवल दो बार ही आसीन हो सकता है। सत्ता में आने के बाद राष्ट्रपति गणतंत्र के नागरिकों को सुरक्षा का आश्वासन देता है। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सरकार के अन्य सदस्यों की नियुक्ति तथा गणतंत्र के समस्त प्रशासकों की नियुक्ति का अधिकार रखता है। वह जोगरूक केनेश के समर्थन से प्रोस्क्यूटर जनरल, राष्ट्रीय बैंक के चेयरमैन, न्याय पालिका के मुख्य पदाधिकारियों जिनमें संविधानिक न्यायालय के पदाधिकारी इत्यादि को नियुक्त करता है। समस्त सैन्य दलों का चीफ कमान्डर का दर्जा राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। वह सेना के उच्च स्तरीय अधिकारियों को पद मुक्त करने की शक्ति रखता है। संविधान में राष्ट्रपति के पदमुक्ति का प्रावधान किया गया है। उसे केवल इस पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, वह यदि धोखाधड़ी, अपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित रहता है, तथा अपने कार्यों को सम्पन्न करने में असमर्थ रहता है तो उस पर यह कार्यवाही की जाती है।[47]

1994 के संविधान संशोधन के तहत संसद के द्विसदनीय स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई है। संसद (जोगरकू केनेश) 1. उच्च सदन में सदस्यों की संख्या 70 तथा 2 निम्न सदन में सदस्यों की संख्या 35 है। उच्च सदन जिसका वर्ष में दो बार अधिवेशन आहूत होता है। सांसदों को पांच वर्ष के लिए चुना जाता है। संसद के चुनाव, – सार्वभौमिक, प्रत्यक्ष गुप्त मतदान के द्वारा सम्पन्न होते हैं। जोगरकू केनेश संविधान में संशोधन की पुनार्वत्ति प्रदान करती है।

किर्गीज गणतंत्र की सर्वोच्च शक्ति उसकी कार्यपालिका में निहित है जो कि प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रीपरिषद को मिलाकर बनती है। उसमें राज्य समितियां, प्रशासनिक विभाग तथा स्थानीय राज्य प्रशासन भी सम्मिलित होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है।[48]

गणराज्य का संविधान स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की बात करता है जिसमें – संवैधानिक न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च पंच निर्णय न्यायालय तथा स्थानीय न्यायालय प्रमुख हैं। न्यायाधीशों की आयु सीमा 35 से 70 वर्ष रखी गई है तथा 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त व्यक्ति न्यायाधीश पद पर आसीन हो सकता है।

---

[47] Article 52, *Constitution of Kyrgyzstan*, 1993.
[48] Article 69, *Constitution of Kyrgyzstan*, 1993.

संवैधानिक विकास की दृष्टि से यदि देखा जाए तो 1993 के संविधान में समय–समय पर परिवर्तन हुए हैं। 1993 के संविधान के लागू होने के 18 माह पश्चात संविधान में संशोधन हेतु अक्टूबर 1994 को एक जनमत संग्रह करवाा गया यह संसद (जोगरकू केनेश) के संबंध में था, जिसके तहत द्विसदनीय व्यवस्था का लागू करना था। ससंद के (1) उच्च सदन में 70 सदस्य तथा (2) निम्न सदन में 35 सदस्य संख्या का प्रावधान किया गया। जनमत संग्रह में 87 प्रतिशत मतदाताओं ने भाग लिया तथा जिसमें 70 प्रतिशत मतदाताओं ने संविधान संशोधन का समर्थन किया।

संविधान संशोधन के पश्चात जोगरकू केनेश को राष्ट्रपति द्वारा भंग किया गया। 5 फरवरी 1995 को प्रथम बार द्विसदनीय संसद के चुनाव सम्पन्न हुए जिसमें 1,021 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया। अगस्त 1995 के जनमत संग्रह द्वारा राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 2001 तक बढ़ाया गया। 30 दिसंबर 1995 को राष्ट्रपति अकाऐव ने एक डिक्री द्वारा राष्ट्रपति कार्यकाल एवं संसद की शक्तियों का विस्तार किया। इस हेतु, 10 फरवरी 1996 को संविधान में संशोधन हेतु जनमत संग्रह करवाया गया जिसमें 96.6 प्रतिशत मतदाताओं ने भाग लिया 94.3 प्रतिशत मतदाताअें ने संविधान संशोधन के पक्ष में मतदान किया। इस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्वि की गई।

17 अक्टूबर 1998 राष्ट्रपति आकाऐव द्वारा संविधान में संशोधन हेतु जनमत संग्रह का आयोजन किया गया। इसमें 96 प्रतिशत मतदाताओं ने भाग लिया। जिसमें से 90 प्रतिशत मतदाताओं ने संविधान संशोधन के मुद्दे को समर्थन प्रदान किया। इस संशोधन के द्वारा लैजिस्लेटिव असेंबली में डैप्यूटीज की संख्या 35 से बढ़ाकर 45 की गई तथा पीपुल्स असेम्बली में सदस्यों की संख्या 70 से घटाकर 60 कर दी है।[49]

1993 के संविधान के लागू होने से अब तक 1994, 1996 तथा 1998 में पुनः संविधान में संशोधन किए गए। 1994 के पश्चात संविधान में जो भी संशोधन किए गए वे राष्ट्रपति के पद की स्थिति को मजबूत करने, पदावधि को बढ़ाने तथा संसद को नियंत्रित करने से संबंधित थे। 1994 के संशोधन द्वारा संसद के एक सदनीय स्वरूप के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया। परंतु इसके साथ–साथ शक्तियों को भी कम किया गया। 1996 को राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल को बढ़ाने हेतु जनमत संग्रह करवाया गया। 1998 को संसद में डैप्यूटीज की संख्या तथा राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर संविधान में संशोधन किए गए तथा न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ाने

[49] "Kyrgyzstan" *The Europa Year Book 2003* Vol. II (London, 2003), p.2490.

तथा अधिकतम आयु सीमा असीमित कर दी गई। उक्त समस्त संशोधन इस बात को स्पष्ट करते हैं कि 1993 के संविधान में लोकतंत्र की स्थापना एवं संस्था निर्माण को प्राथमिकता प्रदान की गई थी, वह 1994 के पश्चात जो भी संशोधन हुए हैं, जिसमें राष्ट्रपति को सर्वाधिकारवादी व्यवस्था का जामा धारण करने में सहयोग प्रदान किया है। इस प्रवृत्ति के चलते संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, विपक्ष, मीडिया इत्यादि की स्थिति कमजोर हुई है। उक्त समस्त का विश्लेषण आगे संस्था निर्माण में शीर्षकवार किया जाएगा।

किर्गीस्तान में संस्थाओं का निर्माण

सोवियत काल में साम्यवादी दल की तानाशाही, राजनीतिक बहुलवाद व्यवस्था का अभाव तथा गोरबच्योव की सुधार नीतियों ने संघ के समस्त गणराज्यों में एक नवशक्ति का संचार किया हालांकि स्वतंत्रता से पहले इस क्षेत्र में विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। परंतु 1991 के पश्चात् संस्था निर्माण के कार्य को गति मिली। 1991 को स्वतंत्रता के पहले ही राष्ट्रपति पद का सृजन सर्वोच्च सोवियत द्वारा किया गया था लेकिन 1991 में स्वतंत्रता के पश्चात एक नव स्वतंत्रत संप्रभु राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा राजनीतिक विकास का जो दौर शुरू होता है वह 1992 के पश्चात तथा मुख्य रूप से 1993 के पश्चात ही कहा जा सकता है जब किर्गीज गणराज्य का प्रथम संविधान अस्तित्व में आया तथा संविधान ने नये संस्थानों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। संस्थानों में निम्न संस्थानों का विवरण तथा विश्लेषण किया जाएगा।

(क) राष्ट्रपति (कार्यपालिका), (ख) संसद (व्यवस्थापिका), (ग) न्यायपालिका, (घ) राजनीतिक दल तथा दबाव समूह, (ड.) मीडिया, (च) नौकरशाही तथा (छ) चुनाव एवं चुनाव आयोग।

क. राष्ट्रपति (कार्यपालिका)

किर्गीस्तान में राष्ट्रपति पद का सृजन स्वतंत्रता से पूर्व 1990 में हुआ। जब ऑस्कर अकाऐव को इस पद पर नियुक्त किया गया। 15 अक्टूबर 1991 को पुनः किर्गीस्तान के राष्ट्रपति पद पर आस्कर अकाऐव निर्विरोध निर्वाचित हुए।[50]

---

[50] Oliver Roy, *The New Central Asia: The Creation of Nations* (New York, 2002), p.136.

किर्गीस्तान का संविधान 5 मई 1993 को अस्तित्व में आया। संविधान के अध्याय 4, के अनुच्छेद 42 (1) में राष्ट्रपति को राष्ट्र प्रमुख का दर्जा प्रदान किया गया है। वह गणराज्य की जनता तथा राज्य शक्ति तथा संविधान को मान्यता प्रदान करने वाला अधिकारी है। अध्याय–चार, के भाग–एक में राष्ट्रपति के चुनाव उल्लेख किया गया है। किर्गीज गणराज्य का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। एक व्यक्ति दो बार से अधिक इस पद पर नहीं चुना जा सकता है।[51] किर्गीज राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख अनुच्छेद 43 (4) में किया गया है।

राष्ट्रपति को किर्गीज गणराज्य के नागरिकों द्वारा सार्वभौमिक समान प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान द्वारा चुना जाता है।[52] किर्गीस्तान में राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवारों की संख्या निश्चित नहीं की गई है कोई भी किर्गीज नागरिक इस पद हेतु आवेदन कर सकता है। इसके लिए उसे 50,000 मतदाताओं का हस्ताक्षरयुक्त प्रपत्र आवेदन पत्र के साथ देना होगा। संपूर्ण मतदान प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद– 44 (3,4,5) में किया गया है। चुनावों के सम्पन्न हो जाने के पश्चात 7 दिन बाद में किर्गीज गणराज्य के संवैधानिक न्यायालय के चेयरमैन द्वारा परिणामों की घोषणा की जाती है अनुच्छेद– 45 (1)।

संविधान के अध्याय– तीन के भाग दो के अनुच्छेद 46 (i, ii, iii, iv, v) राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंध रखता है। राष्ट्रपति सरकार के ढांचे का निर्माण करता है, जिसमें कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, (प्रधानमंत्री वह व्यक्ति होगा जो असेम्बली ऑफ पीपुल्स का सदस्य) विभिन्न मुख्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है, जैसे संसद की सहमति से राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति, क्षेत्रीय प्रशासन के अध्यक्षों को स्थानीय निर्वाचित अंगों की सहमति से नियुक्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति व्यवस्थापन के प्रारंभिक सभी शक्ति अधिकारों को अपने में निहित रखता है तथा संसद द्वारा पास कानूनों को पुनर्रावृत्ति के लिए वापस भेजता है। यद्यपि वे अपना विशेषाधिकार 2/3 बहुमत से ऊपर ले जा सकता है। (अनुच्छेद–46) केवल कानून तोड़ने या संविधान उल्लंघन पर संसद राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है दो तिहाई बहुमत से संवैधानिक न्यायालय के उचित शासन से उसे हटाया जा सकता है।[53]

---

[51] Article-43 (1,2)

[52] Article-44 (2)

[53] John Anderns, n. 2, pp.306-307.

किर्गीस्तान में राष्ट्रपति पद हेतु अब तक चुनाव एवं नेतृत्व

स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रपति पद हेतु दिसंबर 1995 तथा 20 अक्टूबर 2000 में चुनाव हुए। दोनों ही चुनावों में राष्ट्रपति पद हेतु ऑस्कर अकाऐव का निर्वाचन हुआ। 1990 से लेकर वर्तमान में इस पद को ऑस्कर अकाऐव सुशोभित कर रहे हैं।
29 दिसंबर 1995 के राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव हुए। चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों ने आवेदन पत्र भरे। परंतु केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा 3 उम्मीदवारों के आवेदन पत्र निरस्त किए गए। चुनाव आयोग ने कहा कि इन उम्मीदवारों ने वांछित संख्या (50,000) तक हस्ताक्षर युक्त आवेदन पत्र के साथ प्रपत्र देना आवश्यक था, वह ऐसा नहीं कर पाए। इन चुनावों में अकाऐव ने अवैध रूप से चुनाव जीतने का प्रयास किया तथा विपक्षी उम्मीदारों को इस बात के लिए दंडित करवाया कि वे चुनावों में कजाक तथा किर्गीज जनता के मध्य द्वेष फैला रहे थे।[54]

पुनः 29 अक्टूबर 2000 को राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव सम्पन्न हुए, जिसमें आस्कर अकाऐव, ओमुरबेक तेकेबयेव, अल्माजबेक अतामबकेयव, मेलिस इशिमकामेव, बकिर अेल्लू तुर्शुनबाय तथा नुरूसनबेक अकुनोव ने भाग लिया। इनका मत प्रतिशत– 74.4, 13.9, 6. 0, 1.1, 1.0 तथा 0.4 रहा। अकाऐव राष्ट्रपति पद हेतु पुनः लगातार चौथी बार निर्वाचित हुए।[55]

संविधान संशोधनों के समय राष्ट्रपति समय–समय पर संसद को जनमत संग्रह के लिए बाध्य करते रहे हैं। आस्कर अकाएव के यह संशोधन 1994, 1996 तथा 1998 में सदैव कार्यपालिका एवं राष्ट्रपति की शक्ति में वृद्धि के संबंध से ही रहे हैं। इन संशोधनों के माध्यम से उसने प्रांतीय गवर्नर, सरकार के मंत्रियों,जो कि प्रधानमंत्री के परामर्श, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के परामर्श से करना, राज्य सचिव को नियुक्त करने का अधिकार, प्रोस्क्यूटर तथा जजों, केंद्रीय चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, राष्ट्र की सेनाओं के प्रमुखों, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पर नियंत्रण रखना, संसद को भंग करने तथा राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित करने की समस्त शक्तियां अपने अधीन कीं।

---

[54] Mahavir Singh, "Democratisation and political development in Kyrgyzstan," *Contemparey central Asia* (New Delhi), Vol. 14, nos. 1-2, April-August 2002, p. 35.

[55] Rafis Abazov, " Democracy in Kyrgyzstan: in the content of Recent Elections," *Contemporary central Asia* (New Delhi), Vol. 4 nos. 1-2, 2000, p. 54.

विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां तथा प्रधानमंत्री पद से लेकर स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की नियुक्तियों में राष्ट्रपति का हस्तक्षेप देखा जा सकता है। इन समस्त नियुक्तियों का अधिकार राष्ट्रपति को देकर संविधान ने व्यवस्था में जड़ता सी ला दी है। लम्बी अवधि तक एक ही व्यक्ति द्वारा पद पर आसीन रहना न केवल उसकी लोकप्रियता पर प्रश्न चिह्न लगाता है अपितु सर्वाधिकारवादी प्रवृति को भी उजागर करता है।[56]

ऑस्कर अकाऐव ने किर्गीस्तान को "मध्य एशिया का स्वीट्जरलैण्ड" तथा "लोकतंत्र के द्वीप" नामों से सम्बोधित किया है लेकिन वर्तमान में उठ रहे आंतरिक विद्रोह उसके लोकतंत्र के निर्माण के दावों को खोखला साबित करते हैं।

स्वतंत्र एवं निस्पक्ष चुनावों की मांग करने वाले ऑस्कर अकाऐव ने स्वयं अपने विरोध में खड़े हुए उम्मीदवारों को चुनावों से पहले तथा बाद में क्षति पहुंचाने की नाकाम कोशिशें भी की हैं। पीपुल पार्टी के नेता इशेम कारॉन ने राष्ट्रपति अकाऐव की आलोचना करते हुए कहा है कि "ऑस्कर अकाएव एक कठपुतली है या पिछली पार्टी की नामावली का कैदी है।"

राष्ट्रपति ऑस्कर अकाऐव को पूर्व में साम्यवादी दल के नेता के रूप में अधिक अनुभव नहीं था फिर भी उसे इस पद पर आसीन किया गया लेकिन वर्तमान में उसकी स्थिति मजबूत नहीं कही जा सकती है। 2001 में यदि उनके स्वयं के इस वक्तव्य को ध्यान में रखा जाए तो स्वंय उनका मूल्यांकन हो जाता है। स्वयं वे स्वीकार करते हैं कि आगामी राष्ट्रपति चुनावों से पहले अपना उत्तराधिकारी ढूंढ लेंगे। उनके द्वारा राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा दिया गया, लेकिन कई नियुक्तियां मनमाने तथा स्वविवेक पूर्व रवैये से की, जो इस पद पर आसीन व्यक्ति की छवि पर कूठाराघात करती है। गर्वनरों के कार्यकाल 18 महिने का होना उसकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिह्न लगाता है। राष्ट्रपति की पत्नि द्वारा नियुक्तियों में सक्रिय भूमिका का निभाना यहां तक कि बिसकेक में कार्यरत अधिकारियों को 1/4 राष्ट्रपति की पत्नि के जिले से होना धांधलियों को उजागर करता है।[57]

एक नेता ने आई.सी.जी. को बताया कि "अकाऐव ने सरकार की तीनों शाखाओं पर दबदबा बना रखा है जैसे लोकतांत्रिक देश में अगर सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास

---

56 Alexei Vessilive, n.3, p, 23.

57 Kyrgyzstan At Ten: Trouble in the "Island of Democracy" *ICG Asia Report No.22,* 28 August 2001, pp.5-6.

हैं तो कोई बुरी बात नहीं। हालांकि राजनीतिक स्थाईत्व राजनीतिक दल या संगठन की बात नहीं करता है।"

ख. संसद (व्यवस्थापिका)

स्वतंत्रता के पश्चात किर्गीस्तान में प्रारंभिक वर्षों में संसद का एक सदनीय स्वरूप अस्तित्व में रहा जिसमें 323 डैप्यूटीज प्रतिनिधित्व प्रदान करते थे। 22 अक्टूबर 1994 को राष्ट्रपति ऑस्कर अकाऐव ने एक जनमत संग्रह का आयोजन किया जिसमें 323 डैप्यूटीज से प्रतिनिधियों की संख्या घटाकर 100 डैप्यूटीज कर दी गई।[58]

1994 के संविधान संशोधन के द्वारा संसद के द्विसदनीय स्वरूप को स्वीकार किया गया है। किर्गीज संसद को जोगरकू केनेश के नाम से जाना जाता है। इसके दोनों सदन यथा 1. लैजिस्टलेटिव असेंबली (मियाजम चिगरु पितालसी) तथा 2. असेंबली ऑफ पीपुल्स (इल अकदोर पलोनसी) है लेजिसलेटिव एसेम्बली में 35 डैप्यूटीज होते हैं तथा असेंबली ऑफ पीपुल्स में 70 सदस्य होते हैं। लेकिन 17 अक्टूबर 1998 के संवैधानिक संशोधन के द्वारा दोनों सदन के प्रतिनिधियों की संख्या में फेरबदल किया गया है, जिसमें असेंबली ऑफ पीपुल्स के सदस्यों की संख्या 35 से बढ़ाकर 45 कर दी गई है तथा असेंबली ऑफ पीपुल्स के सदस्यों की संख्या 70 से घटाकर 60 कर दी गई है।[59]

संविधान के अध्याय–चार के अनुच्छेद 54 से लेकर 68 तक संसद के गठन, कार्यकाल, शक्तियों तथा इसके भंग होने के प्रावधान दर्शाए गए हैं।

संसद की लेजीस्लेटिव एसेम्बली हेतु गणराज्य का कोई भी नागरिक जिसने 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो वह डैप्यूटीज के रूप में चुनाव लड़ सकता है। यह चुनाव क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर होते हैं। उच्चसदन तथा निम्न सदन दोनों का कार्यकाल पांच वर्ष तक का रहता है।

अध्याय–चार, के भाग–2 में लैजिस्लेटिव असेंबली तथा असेंबली ऑफ पीपुल्स की शक्तियों का वर्णन किया गया है लैजिस्लेटिव असेंबली– संविधान के संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है, कानून निर्माण, राष्ट्रपति को संवैधानिक न्यायालय के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन तथा न्यायाधीशों के नामों की सूची प्रेषित करती हैं, राज्य

---

58 Shireen T. Hunter, n. 28, p.43.
59 Kyrgyzstan: *Europa Year Book*, n.49, p.2490.

आपातकाल, नई डिक्री आदि के बारे में राष्ट्रपति को परामर्श देती हैं, सैन्य शक्ति के प्रयोग का अधिकार तथा राज्य के वीरता पुरस्कारों को प्रदान करती हैं।

असेंबली ऑफ पीपुल्स– संवैधानिक संशोधन, राज्य के बजट को स्वीकृत, क्षेत्रीय प्रशासन के ढांचे का निर्माण, राष्ट्रपति के चुनावों की घोषणा, प्रधानमंत्री के नाम का प्रस्ताव, प्रोस्क्यूक्टर जनरल की नियुक्ति का प्रस्ताव, राष्ट्रीय बैंक के चेयरमैन की नियुक्ति का प्रस्ताव तथा राष्ट्रीय चुनाव आयोग के सदस्यों का चुनाव आदि।

संसद के द्विसदनीय स्वरूप को अपनाए जाने के पश्चात अब तक दो बार 1995 तथा 2000 को संसदीय चुनाव सम्पन्न हुए। 1995 के संसदीय चुनावों में 1,021 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इन चुनावों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो कि 6 दिसंबर 1994 को गठित हुई थी, ने सर्वाधिक 14 स्थानों पर विजय प्राप्त की। इन चुनावों ने आर्थिक मुद्दों तथा राजनीतिज्ञों की सोच में परिवर्तन किया। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को गति मिली। कुछ उपद्रवी घटनाएं इन चुनावों में घटीं। जैसे कि जलालाबाद में राज्य के कृषि निदेशक ने मतदान को प्रभावित करने हेतु स्थानीय नेताओं तथा मतदाताओं को प्लोज (Plows) वितरित किए। इन चुनावों पर ओ.एस.सी.ई. ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह चुनाव लोकतांत्रिक चरित्र के चुनाव कहे जा सकते हैं।[60]

फरवरी–मार्च 2000 के संसदीय चुनाव सम्पन्न हुए। इन चुनावों में 15 स्थान पार्टी सूची के आधार पर भरे गए जिसमें कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ किर्गीस्तान के 6 सदस्यों को संसद में स्थान मिला, यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक को 8 स्थान के साथ 4 पार्टी सूची को मिलाकर 12 सीटों पर विजय हासिल की। स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 73 सीटों पर विजय प्राप्त की।[61]

1995 तथा 2000 के संसदीय चुनावों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तो जहां 1995 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 14 स्थानों पर विजय प्राप्त कर बड़े दल के रूप में सामने आई थी। परंतु 2000 के चुनावों यूनियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज ने 12 स्थानों पर विजय प्राप्त कर बड़े दल के रूप में उभरी। दोनों चुनावों में देखा गया है कि स्वतंत्र उम्मीदवारों ने काफी अच्छी सीटें पाई हैं। जैसा कि 2000 के संसदीय चुनावों में 73 उम्मीदवार स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में चुने गए। स्वतंत्र विधायिका, कार्यपालिका के दबाव से पीड़ित है। डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी के नेता जेकशेरद तथा रिपब्लिकन

---

[60] Mahavir Singh, n. 54, p. 35

[61] Kyrgyzstan: *Regional Survey of World, Eastern Europe, Russia and Central Asia* (London, 2003), Edition II, p.254.

पार्टी के नेता गेज तकामबेव दोनों ने कहा है कि प्रशासन राष्ट्रपति समर्थित डैप्यूटीज को चुनावों में उनके पक्ष में सहमति प्रदान कर रहा है।

1995 के चुनावों के पश्चात किर्गीस्तान में एक नवीन राजनीतिक द्वेष को बढ़ावा मिला है। 1995 के पश्चात सर्वाधिकार प्रवृत्ति के चलते व्यवस्थापिका अपने आपको काफी हद तक असहाय महसूस कर रही हैं। संसद यदि राष्ट्रपति के विरोध में कदम उठाती है तो नया संविधान संशोधन या फिर भंग होने का डर उसके ऊपर बना रहता है। हालांकि संसद की शक्तियां व्यापाक है लेकिन सर्वाधिकारवादी नेतृत्व ने इसे प्रयोग में लाने से काफी हद तक प्रतिबंधित कर रखा है।

संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियां विस्तृत कर व्यवस्थापिका को अपने अधीन करने की जी तोड़ कोशिश की है। संसद में सुदृढ़ विपक्ष के अभाव तथा राष्ट्रपति के दबावों ने संसद की कार्यप्रणाली को पूर्ण रूप से प्रभावित किया है। राष्ट्रपति ने संसद पर दबाव के लिए उसका द्विसदनीय से एकसदनीय स्वरूप पुनः करना तथा 50 प्रतिशत डैप्यूटीज को दलीय सूची के आधार पर चुनने की धमकी इत्यादि बातें संसद के ऊपर हावी हैं।

ग. न्यायपालिका

लोकतंत्र के विकास के 'तीसरे पैर' के रूप में स्वतंत्र एवं निस्पक्ष न्यायपालिका का होना आवश्यक है। किर्गीस्तान में एक प्रभावी एवं विकसित शाखा के रूप में न्यायपालिका अपने कार्यों को ठीक प्रकार से कर रही हैं। संविधान के अध्याय–छः के अनुच्छेद–79 से लेकर 90 तक न्यायिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है जिसके तहत संवैधानिक न्यायालय, सर्वोच्च न्यायल, उच्च पंच निर्णय (Arbituration) न्यायालय तथा स्थानीय न्यायालय (ओस्लाण्ट न्यायालय, बीसेक नगरीय न्यायालय, तथा नगरपालिका न्यायालय, पंचनिर्णय न्यायालय ओब्लास्ट तथा बिसेक, सैन्य न्यायालय)।

संवैधानिक न्यायालय, सर्वोच्च न्यायाल, पंच निर्णय न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर वे व्यक्ति चुने जाते हैं जिनकी आयु 35 से 70 वर्ष के मध्य हो, कानून की डिग्री के साथ–साथ कम से कम 10 वर्ष का अनुभव अनिवार्य हैं।[62]संवैधानिक न्यायाल 15 वर्ष के लिए गठित किया जाता है और इसका पुनःगठन राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति से करता है। समस्त न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। स्थानीय न्यायालय के न्यायाधीश 4 वर्ष से 7 वर्ष तक के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

---

[62] Articl 79, *Constitution of Kyrgyztan*, 1993.

संवैधानिक न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था की उच्चतर शाखा है। जिसमें एक चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन तथा 7 जज होते हैं।

संविधान स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का दावा करता रहा है। लेकिन कुछ कारण रहे हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि न्यायपालिका का नेताओं द्वारा दुरुप्रयोग भी किया है। यहां तक बताया जाता है कि न्यायालय चुनावी नतीजों में छेड़छाड़ करके मीडिया को दबाने, निर्दलीय प्रत्याशियों के खिलाफ क्षतिपूर्वक नतीजे दिखाने में किया जाता है।

न्यायधीशों का वेतन न्यायापालिका के कार्य पर प्रश्न चिह्न लगाताहै। बिना किसी प्रभावी तथा कार्यकारी कानूनी प्रथा के निवेशक सतर्क रहने लगे, भ्रष्टाचार फलफूला है, विश्व बैंक के अनुसार किर्गीस्तान की 80 प्रतिशत जनसंख्या का न्यायिक व्यवस्था से विश्वास उठ चुका है।[63]

2000 के संसदीय चुनावों में न्यायालयों ने प्रतिबंधों को लेकर महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। विपक्ष के नेता दानीयार उसेनोव जो कि पीपुल्स पार्टी से थे तथा दो अन्य स्वतंत्र उम्मीदवारों – इसेमुंबई कादूरबेकोव तथा मारत कैरोव को न्यायालय ने 2000 के संसदीय चुनावों की पूर्व संध्या पर एक विपक्षी एवं दोनों स्वतंत्र प्रत्याशियों पर पिछले कुछ वर्षों पूर्व की बात को लेकर दंडित किया। राष्ट्रीय लीगल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष शमराई मैचेयेव ने कहा कि "जज स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।" चुनावों में कुछ नेता जो अकाऐव के विरोध में स्वर उठा रहे थे उन्हें जेल में डाला गया।

मीडिया भी न्यायालयों की कार्रवाइयों से त्रस्त है इसमें अस्बा जैसे प्रसिद्ध अखबार को कई बार प्रतिबंधित किया गया। न्यायिक व्यवस्था वर्तमान में किर्गीज राष्ट्रपति ऑस्कर अकाऐव की सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति के चलते अपने आप में बौनी साबित हुई है, यहां तक कि संवैधानिक न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली भी प्रभावित हुई है।

घ. राजनीतिक दल एवं दबाव समूह

अन्य मध्य एशियाई राष्ट्रों की भांति किर्गीस्तान में भी राजनीतिक दलों का विकास गोरबच्योव की सुधार नीतियों का परिणाम है। सोवियत संघ के विघटन तथा स्वतंत्रता के पश्चात नई राजनीतिक संस्कृति का किर्गीस्तान में अभ्युदय हुआ किर्गीस्तान

[63] ICG, n.57, pp.10-13.

में स्वतंत्रता के पश्चात बहुदलीय व्यवस्था का सूत्रपात किर्गीस्तान में देखा जा सकता है जो कि लोकतंत्र के आधारों में से एक है। 1995 तथा 2000 में संसदीय चुनाव संपन्न हुए। किर्गीस्तान में राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों की स्थिति निम्नानुसार है– आसाबा, किर्गीस्तान में लोकतांत्रिक आंदोलन समर्थित दल नवंबर 1991 में स्वतंत्र राजनीतिक दल के रूप में बना। इसका चेयरमैन एहसान फोर्मूसेव एक इतिहासविज्ञ। इसकी विचारधारा लोकतांत्रिक, लोकप्रिय व राष्ट्रीय विकास के ऊपर आधारित हैं। 1995 के चुनावों में इस दल ने 4 स्थानों पर विजय हासिल की। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ किर्गीस्तान, यह उदारवादी बाजारी अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है। दल ने 1995 के संसदीय चुनावों में 3 स्थानों पर जीत हासिल की। कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ किर्गीस्तान, जून 1992 में अस्तित्व में आई। इसका पंजीकरण सितंबर 1992 को हुआ। संसदीय चुनावों में इस पार्टी ने 4 स्थानों पर विजय प्राप्त की। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ किर्गीस्तान, जुलाई 1993 को गठित हुई, जिसका 6 दिसंबर 1994 को पंजीकरण किया गया। इसका सम्बंध गणराज्य के राष्ट्रपति ऑस्कर अकाऐव से रहा है। 1995 के संसदीय चुनावों में 14 स्थानों पर विजय हासिल की। यह लोकतांत्रिक सुधार, बाजारीकृत अर्थव्यवस्था में विश्वास करती है। यह 2000 तक सत्ताधारी दल रहा। अत्ता–माकेन पार्टी, 1992 में गठित की गई तथा 1995 के संसदीय चुनावों में तीन स्थानों पर विजय हासिल की इसका ऑस्कर अकाऐव के राजनीतिक सुधारों में विश्वास है। रिपब्लिकन पॉपुलर पार्टी ऑफ किर्गीस्तान, मई 1993 में गठित की गई थी। 1995 के संसदीय चुनावों में 3 स्थानों पर विजय हासिल की। यह एक क्षेत्रीय दल है। इसका राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक प्रभाव नहीं है। यूनिटी पार्टी ऑफ किर्गीस्तान, जून 1994 मुरालेवाके नेतृत्व में स्थापित की गई। इसने 1995 के संसदीय चुनावों में 5 स्थानों पर विजय हासिल की तथा डेमोकेटिक मूवमेंट ऑफ किर्गीस्तान– इसकी स्थापना 1990 में हुई थी लेकिन जून 1993 को इसका पंजीकरण हुआ। इसका विश्वास आदर्श लोकतंत्र तथा देश में राजनीतिक एवं आर्थिक सुधारों का समर्थन करती है।[64]

1995 के संसदीय चुनाव के पश्चात 26 फरवरी 1998 को किर्गीज संसद में एक नियम प्रारूप पेश किया गया जिसका संबंध संगठन निर्माण तथा सभाओं, रैली (जुलूस), धरना आदि से संबंधित था। इस कानून द्वारा संगठन के निर्माण, सभाओं, रैली, धरना, प्रदर्शन आदि करने की वैधता संबंधी नियमों की जांच के उपरांत ही अनुमति दी

[64] John Anderson, *The International Politics of central Asia* (New York, 1997), p. 97.

जाएगी। कानून द्वारा राजनीतिक दलों तथा संगठन की स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया।[65]

2000 के संसदीय चुनावों में मुख्य रूप से यूनियन डेमोक्रेटिक फोरसेज ने 12 स्थानों पर विजय प्राप्त की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ किर्गीस्तान ने 6 स्थानों पर, माई कंट्री पार्टी ऑफ एक्सन ने 4 स्थानों पर, अतामेकन शोसलिस्ट पार्टी ने 2 स्थानों पर, डेमोक्रेटिक वूमेन पार्टी ऑफ किर्गीस्तान ने 2 स्थानों पर, अग्रेरियन लेबर पार्टी तथा प्रोग्रेसिव एंड डेमोक्रेटिक ने 1–1 स्थान पर विजय प्राप्त की।[66]

संसद में लगभग 20 के करीब डैप्यूटीज विपक्ष में हैं, लेकिन अच्छी स्थिति में न होने के कारण वे राजनीति को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आस्कर आकऐव के दबाव के कारण ये डैप्यूटीज खुलकर मुद्दों पर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ किर्गीस्तान की दक्षिण में अच्छी स्थिति है, लेकिन दबावी राजनीति के चलते वह अपनी मांगे मंगवाने में असफल रही है। इसी तरह उत्तरी क्षेत्र में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थिति मजबूत कही जाती है लेकिन कुछ कर गुजरने की ताकत इसमें भी नहीं है।

सरकार विपक्षी दलों पर प्रतिबंध लगाती है। मई 2001 को एक प्रमुख विपक्षी दल को रैली का आयोजन करने की अनुमति नहीं दी गई। 2000 के संसदीय चुनावों के पश्चात् दलीय स्थिति कमजोर हुई है।

किर्गीस्तान में राजनीतिक दलों के अतिरिक्त अन्य समूह जो सरकार के समक्ष अपनी मांगें मनवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिसमें रूसी भाषा बोलने वालों का संघ–स्लाविक फंड,[67] यह पहला संगठन है जिसने सांस्कृतिक मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। ओस क्षेत्र का ऑस्कर जो कि विद्यार्थी आंदोलन है। यह भी सरकार के सम्मुख अपनी मांगे रखता रहा है।

1994 के पश्चात किर्गीस्तान में बहुदलीय व्यवस्था का विकास हुआ है। 1995 तथा 2000 के संसदीय चुनावों का विश्लेषण करे तो यह बात सामने आती है कि जो दल 1995 में सत्तासीन थे उनकी 2000 में स्थिति विषम हुई है इसके साथ–साथ नये दलों का भी अभ्युदय हुआ है लेकिन राजनीतिक दलों पर अवांछीनय प्रतिबंध तथा रोक इनकी स्वतंत्रताओं के साथ कुठाराघात कर रही है। 2000 के चुनावों से पहले 32 में से

---

65 "Law on Ralies, Pickets adopted in first reading" *Kyrigyz Radio First Programme*, 26 February 1998: *Summary of World Broadcast (*Prart-I), 28 Febrary, 1998, p. 54/3163G/2
66 "Kyrgyzastan", *Regional Survey of the world,* n.61, p. 254.
67 Shireen T. Hunter, n.28, p.51.

15 दलों को केंद्रीय चुनाव आयेाग द्वारा मान्यता प्रदान करना, इस बात को साबित करता है कि दलीय स्थिति कमजोर हुई तथा विपक्षी नेताओं के साथ दुरुव्यवहार में वृद्धि हुई है। 2000 के चुनावों से पहले न्यायपालिका ने प्रमुख तीन नेताओं को प्रतिबंधित किया।

उक्त समस्त बातें यह दर्शाती हैं कि आस्कार अकाऐव ने न्यायपालिका तथा चुनाव आयोग की मदद से विपक्ष को कमजोर किया है। यह सब इसको साबित करता है कि राजनीतिक दल जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाना लोकतंत्र के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना है।

ड. मीडिया

किर्गीज संविधान में स्वतंत्र एवं निस्पक्ष प्रेस एवं मीडिया की बात कही गई है। किर्गीस्तान में न्यायिक मंत्रालय में 600 से अधिक मीडिया समूहों का पंजीकरण हो चुका है। जिसमें 30 प्रतिशत से अधिक सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।[68]

1996 के आंकड़ों के अनुसार 146 के करीब नॉन डेली अखबार किर्गीजस्थान से प्रकाशित होते हैं, जिसमें असबा, बिसकेक ऑबजर्वे, बिसकेक सर्वे, चूल बयानी, डिलो नं. इर्कन टू, स्लोवो इत्यादि प्रमुख हैं। किर्गीस्तान में ए.के.आई., बेलमी पारोखोद तथा खबर समाचार एजेंसियां कार्यरत हैं।

रेडियो तथा दूरदर्शन के क्षेत्र में देखा जाए तो स्टेट नेशनल टेलीविजन एंड रेडियो बोर्डकास्टिंग कॉर्पोरेशन, किर्गीज रेडियो, डोम रेडियो, किर्गीज टेलीविजन तथा टीवी पेरामिड प्रमुख हैं।

हालांकि मीडिया की तादात बढ़ी है लेकिन विज्ञापन बाजार का छोटा आकार, पाठकों की कमी, राजनीतिक दबाव, पत्रकारों पर बढ़ते हमले इत्यादि किर्गीज मीडिया की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिह्न लगाते हैं। इसको देश के अन्य मार्गों में वितरीत करना कठिन कार्य हो गया है। आम जनता अखबारों की अधिक दामों के कारण खरीदने में समर्थ नहीं हैं।

राजनीति तथा न्यायपालिका के प्रतिबंधों ने मीडिया की स्वतंत्रता के साथ कुठाराघात किया है। स्वयं ऑस्कर अकाऐव द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के समय डिलो नं. अखबार का दुरुपयोग किया। टी.वी. तथा प्रसिद्ध भाषाई अखबार वेचरयेनी बिसकेक तथा पैरामिड टीवी पर अकाऐव के दामाद ने कब्जा कर रखा है। आसबा तथा डीलो नं.

---

[68] IGC: n.57, pp.21-22.

अखबार को दबाव में काम करना पड़ रहा है। 2000 के राष्ट्रपति के चुनावों में राष्ट्रपति ने स्वयं अपने प्रचार हेतु एक मुख्य पृष्ठ पर कॉलम सुरक्षित किया। यदि अखबार एवं प्रेस किसी सत्तासीन के विरोध में समाचार देती है तो उसकी मुद्रण सामग्री बंद कर दी जाती है या फिर न्यायालय के माध्यम से उसे दंडित किया जाता है। ऐसा पब्लिका के पत्रकार के साथ हो चुका है।

13 नवंबर, 1997 को किर्गीस्तान में मीडिया कानून बनाया गया, जिसके तहत पत्रकारों एवं मीडिया की स्वतंत्रता को कम करने का प्रयास किया गया। जिससे पत्रकार एवं मीडिया जगत काफी परेशिानियों का सामना कर रहा है। इस कानून के लागू होने के पश्चात मानवाधिकार संसदीय सीमित करता है।[69]

संविधान स्वतंत्रता प्रेस एवं मीडिया की बात करता है लेकिन राज्य के सत्तासीनों का इस पर पूर्णतया अधिकार देखने को मिलता है। इसके अन्य कारण भी हैं जो मीडिया के विकास में बाधक कहे जा सकते हैं यथा – आर्थिक मदद का अभाव, लाइसेंस न मिलना, मुद्रण सामग्री होना, विज्ञापन बाजार का छोटा होना है।

च. नौकरशाही

राष्ट्रीय विकास एवं प्रशासनिक कुशलता में नौकरशाहों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सोवियत व्यवस्था के तहत समस्त गतिविधियां मास्को से संचालित होती थी। जो कि साम्यवादी दल के नियंत्रण में थी। स्वतंत्रता के पश्चात नई व्यवस्था का सूत्रपात किर्गीज गणराज्य में हुआ। अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों की भांति किर्गीस्तान की नौकरशाही सोवियत संघ की व्यवस्था का अनुसरण मात्र ही कहा जा सकता है हालांकि किर्गीस्तान में जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से देखा जाए तो रोजगार का प्रतिशत अधिक है। लेकिन नौकरशाही पूर्णतया विकसित नहीं हो पाई है अर्थात नौकरशाही का व्यवसायीकरण नहीं हो पाया है।

छ. चुनाव तथा चुनाव आयोग

स्वतंत्रत एवं निष्पक्ष चुनावों में चुनाव आयोग की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। किर्गीस्तान में केंद्रीय चुनाव आयोग तथा क्षेत्रीय स्तर पर जिला चुनाव आोग का गठन किया गया है– दोनों सदनों के स्थानों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है तथा उम्मीदवारों का नामांकन स्थानीय श्रमिक समूह, आवासीय राजनीतिक दलों के आधार पर होता है। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति चुनाव, संसदीय चुनावों, स्थानीय निकायों

---

[69] "New Media Law", *Keesing's Record of World Events*, Vol.43, no.11, November 1997, p.41912.

के चुनावों के साथ–साथ जनमत संग्रह में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। लोकतंत्र की स्थापना एवं राजनीतिक बहुलवाद की स्थापना में चुनावों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। किर्गीस्तान में भी इस ओर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात समय–समय पर चुनाव हुए हैं। 1995 को प्रथम बार संसदीय चुनाव करवाये गए तथा 2000 में पुनः समय पर संसदीय चुनाव संपन्न हुए। चुनावों का समय पर होना तथा दलीय भागीदारी का विस्तार किर्गीज चुनावों में देखा गया है लेकिन चुनावों से पहले विपक्षी राजनीतिक दलों तथा दलीय नेताओं को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है।

1995 के संसदीय चुनाव को एक नजर से विश्लेषण किया जाय तो सर्वप्रथम इस चुनाव में द्विसदीनय व्यवस्था हेतु चुनाव संपन्न हुए। जिसमें लगभग 1,021 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया। जो कि 15 संजातीय समूहों के संबंध रखते थे। इन चुनावों में सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 14 स्थानों पर विजय हासिल की थी। चुनाव आयोग ने विपक्षी उम्मीदवारों पर प्रतिबंध भी लगाए।

2000 को संसदीय चुनाव में 15 स्थान दलीय सूची के आधार पर भरे गए। इन चुनावों में यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी ने सर्वाधिक 12 स्थानों पर विजय प्राप्त की। 1995 के संसदीय चुनाव के मुकाबले 2000 के संसदीय चुनाव में 73 निर्दलीय उम्मीदवारों ने विजय हासिल की। स्वतंत्रता के पश्चात 2 बार राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव संपन्न हो चुके हैं। लेकिन 2000 के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में ओ.एस.सी.ई. ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनावों में काफी हेराफेरी हुई हैं।

चुनाव आयोग चूंकि एक संवैधानिक निकाय है लेकिन सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति के चलते समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में होना इसकी कार्यप्रणाली को काफी प्रभावित करता है। यह वह निकाय है जिसके अंतर्गत समस्त चुनाव प्रक्रिया संचालित होती हैं तथा जनप्रतिनिधित्व एवं जनहितों के रखवाले संसद में पहुंचते हैं लेकिन ये स्वयं अपने आप को दबाव में तथा शीर्षस्थ आदेशों के चलते स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कज़ाखस्तान एवं किर्गीस्तान में स्वतंत्रता के पश्चात् नए संविधान अस्तित्व में आए। दोनों गणराज्यों के संविधानों में लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष तथा एकीकृत राज्य की स्थापना की बात की गई है। संविधानों में संस्थाओं को एक–दूसरे से पृथक रखते हुए व्यापक शक्तियां सौंपी गई हैं। जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, नौकरशाही,

मीडिया तथा चुनाव आयोग का स्पष्टतया उल्लेख किया गया है। संविधानों में समय–समय पर संस्थाओं की शक्तियों में वृद्धि एवं कमी हेतु जनमत संग्रह के माध्यम से संशोधन किए गए। प्रारंभिक वर्षों में ये संस्थान काफी हद तक कार्यकुशल रहे परंतु 1994 के पश्चात् सत्तासीनों की सर्वाधिकारवादी प्रवृति ने इन पर प्रतिबंध लगाने तथा अपनी इच्छा से इनको परिवर्तित किया जो संस्थाओं की कार्य प्रणाली को काफी हद तक प्रभावित कर रहा है। हालांकि संस्था निर्माण में संविधान काफी हद तक सफल रहा है परंतु संवैधानिक संशोधनों में सत्तासीनों द्वारा इनकी शक्तियों को कम करना काफी हद तक चिंता का विषय कहा जा सकता है।

अध्याय चार

अध्याय चार

कजाखस्तान एवं किर्गीस्तान में लोकतंत्र तथा संस्था निर्माण के मार्ग में चुनौतियां

तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में, संक्रमण काल से गुजर रहे पूर्व सोवियत संघ से विलग (अलग) हुए राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, पिछले दशक में सबसे बड़ी चुनौती रहा है। 20वीं शताब्दी में अगर कोई अवधारणा एकमत से स्वीकार की गई है, तो वह है लोकतंत्र की अवधारणा। यद्यपि पूर्व सोवियत संघ के विचारकों का दावा था कि उनके यहां की राजनीतिक व्यवस्था अधिक लोकतांत्रिक है क्योंकि उनके अनुसार वहां आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई थी, जबकि इसके विपरीत पश्चिम का दावा था कि सोवियत संघ में आर्थिक लोकतंत्र के नाम पर राजनीतिक समानता, स्वतंत्रता का गला घोंट दिया गया था। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात पश्चिम का दावा सच माना गया। अतः नए उदित हुए राष्ट्रों ने भी इस सत्य को स्वीकार किया और पश्चिम के समान बहुलवादी राजनीतिक स्वतंत्रता की गारंटी देने वाली, विचारधारा के स्थान पर मनुष्य के व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता देने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अनुसरण किया। लोकतंत्र की स्थापना के लिए कुछ तत्त्व अनिवार्य माने जाते हैं जिनमें प्रमुख हैं – जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था द्वारा संविधान का निर्माण, निश्चित समयान्तराल पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, लोकतांत्रिक मूल्यों यथा राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक समानता एवं आर्थिक स्वतंत्रता व कम से कम असमानता आदि का न केवल सिद्धांत वरन् व्यवहार में भी संरक्षण निष्पक्ष कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था, जन इच्छाओं को प्रतिबिंबित करते राजनीतिक दल, दबाव समूह, मीडिया इत्यादि प्रमुख तत्त्व हैं। उपर्युक्त परिपेक्ष्य में अब हमारा अध्ययन इस ओर मुड़ता है कि इन संक्रमण से गुजरती राजनीतिक व्यवस्था में से दो राष्ट्रों कजाखस्तान एवं किर्गीस्तान के समक्ष लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना एवं संविधान में निहित मूल्यों की रक्षा के मार्ग में कौन सी बाधाएं हैं।

स्वतंत्रता से पूर्व कजाख गणराज्य में लोकतांत्रिक तत्त्वों का अभाव रहा है, अर्थात लोकतंत्र का अनुभव कजाख गणराज्य को नहीं था। यह इस बात से जाहिर होता है कि स्वतंत्रता के पश्चात् वहां पर मानवीय अधिकारों का हनन तथा चुनावी हिंसाएं प्रमुख रूप से देखी गईं। राजनीतिक पदसोपान की दृष्टि से देखा जाए तो गणराज्य प्रारंभ में खान शासकों, जार, बुर्जुग साम्राज्यवादी गवर्नरों एवं ओबकम

कार्यकर्त्ताओं तथा साम्यवादी दल के सचिवों के नियंत्रण में रहा। इन सभी ने राजनीतिक दृष्टि से गणराज्य को पूर्णतया दबा कर रखा। स्वतंत्रता के पश्चात जनता की इच्छाओं पर प्रतिबिंब डालने वाली राजनीतिक संस्थाओं यथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मीडिया, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल तथा दबाव समूह, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका अस्तित्व में आए।

सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् मध्य एशिया के राष्ट्र किर्गीस्तान में राजनैतिक एवं आर्थिक सुधार हुए। गणराज्य के राष्ट्रपति ऑस्कर अकाऐव ने घोषणा की कि यह पहाड़ियों से घिरा देश "मध्य एशिया का स्वीटरजलैंड" बनेगा लेकिन इस लोकतंत्र के द्वीप को लोकतंत्र का पूर्व में कोई अनुभव नहीं था। अन्य मध्य एशियाई राष्ट्रों की तुलना में किर्गीस्तान अधिक लोकतांत्रिक माना जाता है क्योंकि वहां पर स्वतंत्र मीडिया, दलीय प्रणाली, एन. जी. ओ. और नागरिक समाज की गतिविधियां काफी हद तक स्वतंत्र देखी गयी हैं। आंतरिक संजातीय वर्गों में शांति बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन यह लोकतांत्रिक प्रयास अधिक समय तक सफल नहीं हो सके। किर्गीस्तान की राजनीति में कुछ इस प्रकार के विघटनकारी तत्त्व उभरे हैं जिससे सुधारवादी नीतियों की गति धीमी हो गई है तथा किर्गीस्तान के विकास के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। उनमें तीन प्रमुख कारण थे जिसके चलते वहां अस्थिरता को बढ़ावा मिला है–

पहला, किर्गीस्तान के राष्ट्रपति एवं उसके समर्थकों ने सामान्य नागरिकों की स्वतंत्रताओं को कम किया है तथा ऐसे तरीके प्रयोग में लाए गए हैं जिससे आलोचक पत्रकारों एवं प्रतिद्वंद्वी राजनेताओं की स्थिति दयनीय हो गई है।

दूसरा, प्रारंभिक सुधार काफी हद तक सुधारवादी थे परंतु गरीबी में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई तथा सामान्य जनता का जीवन स्तर लगातार घटता जा रहा है तथा तीसरा, गणराज्य की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि किर्गीस्तान में गुरिल्ला संगठन (आई.एम.यू. तथा हिज्जबुल ताहिरर अल इस्लामी उज्बेकिस्तान का इस्लामिक आंदोलन) आंतरिक अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करते रहते हैं। परिणामस्वरूप संजातीयता घर कर रही है। संसाधन और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण पड़ोसी राज्यों से सीमा के लेकर विवाद उत्पन्न हुए और ये मनमुटाव के कारण बने।

गणराज्य राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतया परिपक्व नहीं थे क्योंकि सोवियत संघ की साम्यवादी दल तथा संघ के शीर्ष नेताओं ने सदस्य गणराज्यों को राजनीतिक दृष्टि

से प्रताड़ित किया था। स्वतंत्रता के पश्चात नवगठित गणराज्यों में नवीन चुनौतियां जो लोकतंत्र, संस्था निर्माण एवं संवैधानिक विकास के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती आ रही हैं इन सभी का संक्षिप्त विवरण अग्रलिखित हैं जिसमें – (क). सर्वाधिकारवादी व्यवस्था का परचम, (ख). दलीय राजनीति एवं सुदृढ़ विपक्ष का अभाव, (ग). प्रेस एवं मीडिया की स्थिति, (घ). संजातीयता का प्रश्न एवं इस्लामिक रूढ़ीवादिता, (ङ.) महिलाओं की स्थिति तथा मानवाधिकारों का हनन तथा (च). आर्थिक स्थायित्व का प्रश्न प्रमुख है –

क. सर्वाधिकारवादी व्यवस्था का परचम

कजाखस्तान स्वतंत्रता के समय राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व नहीं था। सोवियत कालीन नेता सत्तासीन हैं तथा वे अपने आप को पूर्व की व्यवस्था से अलग नहीं कर पाए हैं। जिसके परिणामस्वरूप एक सर्वाधिकारवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिला है जो कि लोकतंत्र, संस्था निर्माण एवं संवैधानिक विकास को बाधित कर रहा है।

स्वतंत्रता के पश्चात लोकतंत्र एवं संस्था निर्माण की ओर राष्ट्रपति नजरबायेव ने कदम उठाए लेकिन स्वयं द्वारा इन संस्थाओं को अपने अधीन करना न केवल संस्थानिक विकास अपितु लोकतंत्र के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है।

1993 को गणराज्य का संविधान अस्तित्व में आया। संवैधानिक आयोग की अध्यक्षता स्वयं राष्ट्रपति नजरबायेव ने की। राष्ट्र का संविधान विश्व के अन्य संविधानों की तरह विकासात्मक प्रक्रियाओं से नहीं गुजरा है अर्थात् एक व्यक्ति जो शीर्षस्थ पदासीन है, जब चाहा तब उसमें परिवर्तन कर दिए। संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद को अपरंपार शक्तियां प्रदान करते हुए उसे एक राष्ट्र निर्माता के बजाय सर्वाधिकारवादी की तरह शक्तियां सौंपी हैं जिसकी झलक 1995 के संविधान तथा 1998 के संविधान संशोधन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं।[1]

संविधान बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, राजनीतिक गतिविधियों की स्वतंत्रता, निष्पक्ष चुनाव इत्यादि की बात करता है लेकिन दलगत राजनीति एवं शीर्षस्थ सत्तासीन ने इसकी कार्यप्रणाली को काफी हद तक बाधित किया है।

1995 संविधान के अनुच्छेद 57 (05) में सामाजिक संगठनों की स्थापना को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो कि संवैधानिक आदर्शों के परिवर्तन, राज्य की सुरक्षा, एकीकृत प्रादेशिक हिंसा, सामाजिक प्रोन्नति आदेशों के परिवर्तन, जातीयता, राष्ट्रीयता, धार्मिक वर्ग तथा जनजातीय समुदाय को परिवर्तित करना चाहता है। नवीन संविधान

[1] Shireen T. Hunter, *Central Asia Since Independence* (New York, 1996), p.39.

की व्यवस्था एक निरंकुश तरीके तथा प्रचार के आधार पर की गई है। दोनों संविधानों (1993 तथा 1995) के क्लोसेस का इस्तेमाल कजाक सरकार द्वारा विपक्ष तथा मीडिया को प्रतिबिंबत करने के लिए किया गया है।

संविधान द्वारा राष्ट्र निर्माण की नीति के लिए जो प्रयास किए हैं वे संक्रमण के रूप में देखे जा सकते हैं जो कि इसकी सफलता केवल कजाख भाषा की लोकप्रियता तथा संस्कृति को ऊपर उठाने में देखी जाती है। इसके द्वारा स्थानों एवं नामों को परिवर्तित कर दिया गया है जैसे कि रूसी से कजाकः कजाख भाषाई पुस्तकें, समाचार पत्र, रेडियो कार्यक्रम तथा दूरदर्शन को प्रोन्नत किया गया। कजाख भाषा को सभी विद्यालयों में परिचित करवाया गया तथा नवीन कजाख भाषाई विद्यालय खोले गए। लेकिन रूसी भाषा को इतना महत्व नहीं दिया गया है।

सरकार ने लोकतांत्रिक सुधारों के स्थान पर कजाख राष्ट्र निर्माण को प्रमुखता प्रदान की है और इसी के परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक अधिकारों– बोलने, अभिव्यक्ति, प्रेस की आजादी, राजनीतिक गतिविधियों की स्वतंत्रता को दबाया गया है। यद्यपि प्रारंभिक वर्षों में इसका लाभ भी देखा गया है। स्थायित्व के कारण कजाखस्तान को पश्चिम में सबसे महत्त्वपूर्ण 15 सहयोगी के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि नजरबायेव ने प्रथम राष्ट्रीय प्रतिरोध को संबोधित करते हुए, राष्ट्र निर्माण की योजना कजाख नीति का एक केंद्र बिंदु थी; जिसमें कजाख भाषा का पुनर्जीवन, शहरों के परम्परागत नाम तथा भूमि संकेतों का भंडारण, इतिहास की पुनरावृत्ति, राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर प्रतिबिंबि एवं इस्लाम से संबंधित थी।[2]

नजरबायेव की कजाखस्तानीकरण की नीति के तहत राजनीतिक तथा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में रूसी अल्पसंख्यकों को समान अवसर प्रदान करना, रूसी भाषा एवं संस्कृति के प्रति सहनशीलता को बढ़ावा, रूसियों को स्वाभाविक नागरिकता तथा रूसियों के प्रभाव वाले उद्योगों को सरकार द्वारा छूट प्रदान की गई। परंतु नाजरबायेव की यह नीति रूसी अल्पसंख्यकों के लिए आर्थिक एवं सामाजिक अभीमुखीकरण मात्र थी।

कानून निर्माण संस्था एवं जनता के प्रतिनिधियों का आश्रय स्थल संसद भी राष्ट्रपति के हथकंडों का शिकार रही है। 1994 को स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम चुनाव

---

2 Ian Bremmer and Cory Welt, "The Trouble with Democracy in Kazakhstan" *Central Asian Survey* (Oxford), vol.15, No.2, June 1996, p.180.

करवाए गए लेकिन इन चुनावों में राष्ट्रपति समर्थित कार्यकताओं तथा उम्मीदवारों ने व्यापक रूप से धांधलियों का सहारा लेते हुए संसद में स्थान पाया।

1990 में कम्युनिस्ट बहुमत की संसद ने कजाक राष्ट्र में आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन में नजरबायेव के लिए कई बाधाएं खड़ी कीं। नजरबायेव ने रूसी राष्ट्रपति येल्तसिन से प्रभावित हो संसद को भंग करने की चेतावनी दी परंतु राष्ट्रपति और संसद के बीच का तनाव नियंत्रण से बाहर नहीं हुआ और कजाक संसद ने राष्ट्रपति को नये चुनाव की इजाजत दे दी।

ससंद के 1/3 स्थान जो आरक्षित थे उस पर उम्मीदवार राज्य सूची से लिए जाते थे, जिनमें से 64 सदस्य स्वयं राष्ट्रपति नजरबायेव व्यक्तिगत रूप से नामित करते थे तथा शेष 42 सदस्य निर्वाचित होते थे। नजरबायेव स्वयं का मानना था कि संविधान उसे संसद को भंग करने की अनुमति नहीं प्रदान करता हैं लेकिन उच्च केनेगस में एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका पक्षधर सदैव से रहा है जो कि उसकी नीतियों को समर्थन करता रहा है। लेकिन राज्य सूची सदैव उसे एक नई व्यवस्थित ढांचे की अनुमति प्रदान करता हैं जिसमें संजातीय मिश्रण कई मुद्दों में यह देखा गया हैं कि रूसी बाहुल्य क्षेत्र से भी कजाख प्रतिनिधि चुने गए हैं बजाए अन्य संजातीय समूहों के।

सरकार के अनुसार चुनाव पूर्णतया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रहे हैं। 1992 संसदीय चुनावों का मतदान 73 प्रतिशत रहा। चरमपंथी दल पूर्णतया आगे की ओर अग्रसर हुए। कजाकों ने 59 प्रतिशत मत हासिल कर 105 स्थानों पर विजय प्राप्त की तथा रूसियों ने 27 प्रतिशत वोट प्राप्त कर 48 स्थानों पर विजय प्राप्त की। नजरबायेव को जो आशा स्नेक (SNEK) जैसे समूह से थी उस पर खरी नहीं उतर पाई।

चुनाव के बारे में कहा जाता है कि मतदाताओं को यह पता नहीं था कि उन्हें वोट किसे देना है। मतदाता केंद्रों पर नियुक्त अधिकारियों ने मतदाताओं को बताया कि उन्हें वोट किसे देना है। चुनावों में अराजकता किस कदर थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ ने तो अपने दोस्तों व परिवार वालें के भी वोट डाले। ऐसा सी. एस. एल. ई. के अनुसार 30–35 प्रतिशत मतों के साथ हुआ।[3]

प्रथम संसदीय चुनावों के पश्चात नाजरबायेव ने एक सर्वाधिकारवादी शासक की भांति व्यवहार करना शुरू कर दिया है। सभी विपक्षी राजनीतिक दल नाजरबायेव के आर्थिक सुधारों के विरुद्ध थे। विपक्षी दलों ने, नेताओं ने सरकार को भंग करने हेतु

---

[3] Ibid., p.191.

अविश्वास प्रस्ताव लाने का एक असफल प्रयास किया। लेकिन इसका कोई वैधानिक मूल्य नहीं था।

संवैधानिक न्यायालय ने निर्णय दिया कि पिछले संसदीय चुनाव में संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया गया था तथा चुनावों में व्यापक तौर पर धांधलियां व्याप्त थीं। अतः नाजरबायेव ने इसे सुधारने हेतु नये चुनावों का निर्णय लिया चूंकि सांसदों के पास राष्ट्रपति को रोकने की कोई कानूनी शक्ति नहीं थी उन्हें पुनः चुनाव स्वीकार करने पड़े। विपक्षियों ने भूख हड़ताल कर विरोध प्रकट किया। यह हड़ताल 22 दिनों तक जारी रही।

1995 में नजरबायेव ने अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाने हेतु एक जनमत संग्रह करवाया जिसमें 95 प्रतिशत मतदाताओं ने भाग लिया तथा इसमें 91 प्रतिशत ने राष्ट्रपति के कार्यकाल को 2000 तक बढ़ाने की सहमति व्यक्त की। राष्ट्रपति ने संविधान संशोधन के माध्यम से कई कार्यपालिकीय शक्तियों को अपने हाथों में केंद्रित किया। उसने मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा संसद को भंग करने की शक्ति अपने हाथों में ले ली।

इस पूरे घटनाक्रम में एक मात्र संस्था जिसने सफलतापूर्वक राष्ट्रपति के समक्ष चुनौती पेश की वह थी– संवैधानिक न्यायालय जिसने राष्ट्रपति के विपक्ष में निर्णय देने में कोई भी हिचक नहीं दिखाई और साथ ही कई कार्यपालिका आदेशों को रद्द कर दिया।

जाहिर था कि राष्ट्रपति न्यायालय को एक चुनौती के रूप में सहन नहीं कर सकते थे अतः नये संविधान में संवैधानिक न्यायालय के स्थान पर संवैधानिक परिषद की स्थापना की गई जिसमें 6 में से दो की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसके निर्णय पर राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार भी प्राप्त है।

स्वतंत्रता के पश्चात् द्वितीय संसदीय चुनाव 1995 को सम्पन्न हुए। इन चुनावों के बारे में कहा जाता है कि यह चुनाव काफी हिंसात्मक था। इनमें विपक्षी उम्मीदवारों को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। अक्टूबर 1999 में कजाक संसद के चुनाव हुए जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं कहे जा सकते हैं।

10 जनवरी 1999 को नाजरबायेव पुनः राष्ट्रपति पद हेतु 81.7 प्रतिशत मतदाताओं के समर्थन से चुने गए। इस चुनाव में ओर्गेनाइजेशन फॉर सिक्युरिटी एंड कॉर्पोरेशन (ओ. एस. सी. ई.) ने कहा की चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं कहे जा सकते

हैं, क्योंकि सत्ताशीन नजरबायेव ने प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों को रोकने तथा चुनाव धांधलियां खुलेआम की हैं।[4]

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कजाखस्तान में स्वतंत्रता के पश्चात एक व्यक्ति का नेतृत्व इस हद तक हावी है कि कार्यपालिका के साथ–साथ न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका शाखा का भी अपनी मनमर्जी से उपयोग तथा प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों तथा मीडिया कर्मियों के साथ दुरुव्यवहार ने व्यवस्था में अलोकतांत्रिक तत्त्वों को बढ़ावा दिया तथा राजनीतिक सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति का बोझ बढ़ाया है।

कज़ाखस्तान की भांति किर्गीस्तान में भी सर्वाधिकारवादी व्यवस्था का बोलबाला रहा है क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात् लोकतंत्र तथा संस्थान निर्माण का कार्य बाधित देखा गया है। स्वतंत्रता के पश्चात ऑस्कर अकाऐव को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया। सामान्य जनता ने यह आशा की कि सोवियत संसद में जो सुधारों की प्रक्रिया रुक गई थी अब पुनः शुरू की जा सकेगी। इसलिए ऑस्कर अकाऐव ने मई 1993 को गणराज्य का प्रथम संविधान लागू किया। जो कि पूर्णतया सर्वाधिकारवादी व्यवस्था का प्रतीक था। दिसंबर 1995 में पुनः अकाऐव को राष्ट्रपति पद हेतु चुना गया। चुनावों में अनियमितताओं व अलोकतांत्रिक हथकंडों का सहारा लिया गया। अपने तीन प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों को अयोग्य करार दिया क्योंकि उन पर यह आरोप लगाया गया कि चुनाव प्रार्थना (आवेदन पत्र) पत्र पर "अमान्य" हस्ताक्षर किए गए थे अर्थात केवल उनका चुनाव आवेदन पत्र निरस्त कर दिया कि उन्होंने आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।

संवैधानिक संस्था न्यायापालिका पर भी आस्कर अकाऐव का अप्रत्यक्ष अधिकार देखा जा सकता है। जुलाई 1998 को संवैधानिक न्यायालय ने निर्णय दिया कि अकाऐव 2000 में होने वाले चुनावों के लिए योग्य हैं जबकि 1993 के संविधान में स्पष्ट प्रावधान था कि एक व्यक्ति अपने जीवन में अधिकतम दो बार राष्ट्रपति बन सकता है।[5]

संवैधानिक संशोधन का दायित्व संसद का था तथा जनमत संग्रह द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता था। परंतु ऑस्कर अकाऐव ने जनमत संग्रह के लिए सर्व सत्तावादी रवैये को अपनाया तथा संसद की स्वीकृति को आवश्यक नहीं समझते हुए 94, 96 और 98 में संविधान में संशोधन हेतु जनमत संग्रह करवाए।

---

4 Kazakhstan: *Regional Survey of the world, Esten Europe, Russia and central Asia*, Europa publication, Tayler and Francis group (Landon and New York, 2002) p. 205.

5 Sally N. Cumming, *Power and Change in Central Asiai* (New York, 2002), p.85.

संविधान संशोधनों में अकाऐव ने अपनी स्थिति को अत्यधिक मजबूती प्रदान की। प्रमुख पदों पर नियुक्ति की शक्ति अपने हाथ में ली जिसमें मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा पदमुक्ति तथा यहां तक की संसद को भंग करने का अधिकार भी अपने पास सुरक्षित रखा। प्रोस्क्यूटर जनरल, न्यायाधीशों तथा चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तय की गई। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष तथा सेना प्रमुख के रूप में तथा आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के अधीन हैं।

2000 के राष्ट्रपति चुनावों में सरकार ने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों को गलत तरीकों से रास्ते से हटाया। पूर्व उपराष्ट्रपति फिलिक्स कुलोव जिन्हें मई 2000 को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपनी शक्तियों का अपने शासन काल के दौरान गलत उपयोग किया था। इस मामले की जांच सैनिक न्यायालय द्वारा करवाई गई।[6]

कार्यपालिका की शक्तियों को पूर्वरूप से अपने अधीन कर रखा है। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति में अपने संबंधियों को अत्यधिक अवसर प्रदान किए। अत्यधिक नियुक्तियां भी वहां से की जहां उसका अपना राजनीतिक आधार मजबूत है। भ्रष्टाचार का आलम चरम पर है। उच्च पदों पर भ्रष्टाचार देखा जा सकता है। गवर्नर की नियुक्ति यू.एस. डॉलर 2,50,000 तथा मेयर की नियुक्ति यू.एस. डॉलर 50,000 में मिलती हैं। भ्रष्टाचार गतिविधियों में राष्ट्रपति की पत्नी मेसन अकाऐव महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिस क्लेन से राष्ट्रपति और उसकी पत्नी संबंधित हैं वहां से अधिकतर नियुक्तियां प्रदान की गई।[7]

गत संसदीय चुनाव दो चरणों में 20 फरवरी और 12 मार्च 2000 को हुए। उसमें 14 राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिनमें से प्रमुख तीन विपक्षी दल– पीपुल्स पार्टी, डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऑफ किर्गीस्तान तथा दि डिग्नीटि पार्टी हैं। सरकार ने विपक्षी नेताओं के आवेदन पत्रों के संबंध में कई कठिनाइयां पैदा की। ओ.एस.सी.ई. द्वारा टिप्पणी की गई कि सरकारी प्रशासकों द्वारा भारी मात्रा में चुनावी प्रक्रिया में विपक्षी प्रत्याशियों के साथ नकारात्मक हस्तक्षेप किया।[8]

---

6 Mahavir Singh, "Democratisation and Political Development in Kyrgyzstan", *Contemporary Central Asia* (New Delhi), Vol.iv, nos.1-2, April-August, 2002, p.35.

7 Kyrgyzstan at Ten: "Trouble in the "Island of Democracy" *ICG Asia Report, No.22*, 28 August 2001, p5.

8 Rafis Abazov, "Democracy in Kyrgyzstan: In the contex of recent Election", *Contemporary Central Asia* (New Delhi), vol.iv, nos.1-2, April-August 2002, p.52.

किर्गीस्तान में स्वतंत्र न्यायालयों पर भी सरकार पूर्णतया हावी देखी गई है। स्वतंत्र व्यवस्थापिका पर कार्यपालिका द्वारा जबर्दस्त दबाव बनाया गया कि वह मतदान राष्ट्रपति के पक्ष में करें।

कुछ भरोसेमंद स्रोत से आई. सी. जी. ने जानकारी पाई है कि प्रोसक्यूटर, कार्यालय में कर संरचना के विरोध में संसद के विरोध एफ. आई. आर. दर्ज की जाएगी। परंतु राष्ट्रपति के प्रशासकीय अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर इस तरह के एफ. आई. आर. चलायमान बनाए गए तो इस कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों के चयन पर अकाऐव सरकार द्वारा पुनः विचार किया जा सकता है।[9]

किर्गीस्तान में न्यायपालिका अभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं प्रभावी नहीं हो पाई है। अकाऐव सरकार ने लोकतंत्र के "तीसरे स्तंभ" को लोकतांत्रिक ढंग से विकसित नहीं होने दिया है। अकाऐव एवं उसके सहयोगियों ने अपने विरोधियों का दमन व मीडिया पर नियंत्रण, चुनाव प्रक्रिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करने हेतु न्यायपालिका की शक्तियों का उपयोग राजनीतिक उपकरण के रूप में किया। 1993 के संविधान द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया। कई इस तरह के समझौते सामने आए जहां न्यायपालिका या निर्णय, राष्ट्रपति के औजार साबित हुए हैं। शमराई मेचैव जो कि नेशनल लीगल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष थे ने कहा कि "न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं हैं न्यायधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, वेतन कम दिया जाता है।"

न्यायाधीशों के चयन व निष्कासन प्रक्रिया अतार्किक हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि न्यायधीश लगातार अन्य अधिकारियों से दबाव महसूस करते रहे हैं क्योंकि वे निर्णय अपने पक्ष में करवाना चाहते थे। न्यायाधीशों को हटाने की कोई स्थाई प्रक्रिया नहीं हैं इसलिए वे कोर्ट ऑफ कंडक्ट की परवाह नहीं करते हैं। नियमों को ताक पर रखकर फैसला करते हैं। न्यायपालिका में घूसखोरी आम बात है।

उक्त समस्त तथ्य इस बात को स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्र में राजनीतिक सूझबूझ के अभाव में एक व्यक्ति का सत्ता पर आसीन होना तथा समस्त संस्थानों यथा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा नौकरशाही को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना न केवल सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति का द्योतक है अपितु लोकतंत्र, संस्था निर्माण एवं संविधान की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिह्न लगा देता है।

---

9 Kyrgyzstan at Ten: *ICG Asia Report No.22*, n.7, pp.12-14.

ख. दलीय स्थिति एवं सुदृढ़ विपक्ष का अभाव

कजाखस्तान में राजनीतिक दलों के विकास एवं स्वतंत्रता को यदि देखा जाए तो काफी हद तक दबाकर रखा गया है जिनमें कई संजातीयता आधारित संगठन एवं दल सम्मिलित हैं। कजाखों के राष्ट्रवादी दल अलास का नारा "इस्लाम, तुर्कीम, लोकतंत्र था" तथा राजनैतिक एजेंडे के तहत यह पहला रूसियों से कजाखस्तानियों की तरफ प्रतिबंधित दल था जो एक बहुत बड़े जनसमुदाय के अधिवक्ता का कार्य करता था।[10]

कजाखस्तान में रूसी समर्थित समूहों ने भारी प्रतिबंधों का सामना किया। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात साम्यवादी दल को प्रतिबंधित कर दिया गया। पुनः 1992 को इस दल को पंजीकरण की मान्यता मिली जो स्वतंत्रता के पश्चात प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरा। इसी प्रकार रूसी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले इडिंस्टवो (यूनिटी) संगठन का पंजीकरण रद्द किया गया। 1994 को कजाख सरकार ने प्रथम कोसास्क संगठन को पंजीकृत किया जो कि रूसी संजातीय समाज की सहायता कर सके। संघ के चेयरमैन को यह चेतावनी दी गई कि यदि वह सीमाओं का उल्लंघन करेगा जिसमें, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा सैनिक मामले सम्मिलित थे, में हस्तक्षेप करेगा तो संघ पर रोक लगा दी जाएगी। संजातीय संगठनों के पंजीकरण बंद किए गए तथा संजातीय संघ के नेताओं को राष्ट्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तथा स्थानीय गतिविधियों पर सरकार ने प्रतिबंध लगाए। संगठनों के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार अलारा द्वारा एक राजनीतिक आंदोलन किया गया। 1992 को सरकार ने इन्हें एक अनाधिकृत रैली के कारण दंडित किया। मई 1992 को जब अजात तथा झेलतक्शीन के सदस्यों ने पंजीकरण संबंधी प्रतिबंधों को हटाने के लिए राष्ट्रपति के आवास के सामने धरना दिया तो सरकार द्वारा आंदोलनकारियों पर सैन्य कार्रवाई करते हुए इसके पांडाल को उखाड़ फेंका तथा कई संगठन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया।

इतिहास के आचार्य कारीशल असनोव ने अलास का समर्थन करते हुए जशल में एक लेख में राष्ट्रपति नाजरबायेव की कजाक राष्ट्रीयता के सम्मान को लेकर आरोप लगाया। राष्ट्रपति ने उसे गिरफ्तार करवाया तथा अल्माटी शहर न्यायालय ने उसे अपराधी घोषित किया तथा तीन माह की सजा सुनवाई। यह न्यायालय का निर्णय

[10] Kazakhstan: *Regional Survey of the World*, n.4, p.55.

पूर्णतया नाजरबायेव का समर्थन करता प्रतीत होता है। एक अखबार पत्रकार बोरिस सुप्रयेंग जिसने बड़ी मात्रा में लेख रूसीयों के साथ भेदभाव को लेकर लिखे थे। इन लेखों के माध्यम से उसने सरकार की भेदभाव पूर्ण नीतियों का पर्दाफास किया लेकिन 1994 में उन्हें भी गिरफ्तार कर कैद में डाल दिया गया।

रूसी कोसक के संबंध सरकार के साथ तनावपूर्ण थे। कोसेक्स कजाख स्वतंत्रता के विरुद्ध थे तथा वे जनमत संग्रह को उत्तरी प्रदेश में कराए जाने के पक्ष में थे। लेकिन स्थानीय सत्ता द्वारा आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। राजनीतिक दलों के पंजीकरण के संबंध में नाजरबायेव ने 15 जुलाई 2002 को एक कानून संसद में पारित करवाया जिसके तहत राजनीतिक दलों के पंजीयन हेतु 50 हजार सदस्य संख्या अनिवार्य की गयी तथा यह सदस्य राष्ट्र के प्रत्येक भाग का प्रतिनिधित्व करते हों।[11] इस कानून को संविधान भी मान्यता प्रदान नहीं करता है लेकिन नाजरबावेय ने राजनीतिक स्वतंत्रता को कम करने तथा अपने विरोधियों को दबाने हेतु एक महत्वपूर्ण कानून संसद के माध्यम से पारित किया।

किर्गीस्तान में अभी तक कोई राजनीतिक दल विपक्षी दल (प्रतिपक्ष) का दर्जा प्राप्त नहीं कर सका है। जो कि जमीनी स्तर, सामान्य लोगों के हितों के लिए सत्तारूढ़ों के समक्ष अपनी बात रख सके। प्रतिपक्ष दलों में संगठनीय कमजोरियां तथा सदस्यों की संख्या भी कम है। सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ किर्गीस्तान' है, जिसका अबसमद म्रासालेव प्रमुख नेता हैं। अन्य विपक्षी दल के रूप में पीपुल्स पार्टी ऑफ किर्गीस्तान है।

संसद में 20 के करीब डेप्यूटीज विपक्षी दलों से है। किसी के पास कोई ऐसा प्रभावी पद नहीं है कि वे देश की राजनीति को प्रभावित कर सकें। अधिकतर विपक्षी दल क्षेत्रीयता पर आधारित हैं। इन पर अमीर लोगों का प्रभाव देखा जा सकता है। किर्गीस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी दक्षिण में मजबूत स्थिति में है। सोसल डेमोक्रेटिक दल उत्तर में मजबूत स्थिति में हैं। क्षेत्रीयता एवं संजातीयता ने विपक्षी दलों को एकजुट होने के अवसर कम ही दिए हैं। विपक्ष के पास संसाधनों की कमी, दल व्यक्तिवादी प्रवृत्ति से ग्रस्त हैं उनका कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है। जिसके कारण वे अपनी मांगों को मनवाने में विफल रहे हैं।

---

[11] Kazakhstan "Final approval of political parties law", *Keesing's Record of World Events,* vol.48, no.5, July 2002, p.4487.

सरकार सदैव विपक्षी दलों के मार्ग में कानूनी बाधाएं उत्पन्न करती रही है ताकि इन दलों का विस्तार अधिक न हो पाए। सभाएं तथा रैलियां निकालने पर प्रतिबंध लगाए गए। मई 2001 को विपक्षी दलों ने रैली निकालने की अनुमति सरकार से मांगी लेकिन सरकार ने अनमुति नहीं दी विपक्षी दलों का अपना एकजुट संगठन नहीं है।

सरकार की नीतियों तथा प्रतिबंधों ने लोकतंत्र के महत्त्वपूर्ण जन इच्छाओं की पूर्तिकारक तत्त्व राजनीतिक दल एवं विपक्ष को किर्गीस्तान में दबा कर रखा गया है तथा इसके नेताओं को समय–समय पर प्रताड़ित भी किया है। इस प्रकार सशक्त राजनीतिक दलों एवं विपक्ष के अभाव में लोकतांत्रिक बीजों का प्रस्फुटित होना संदेहास्पद है।

ग. प्रेस एवं मीडिया की स्थिति

कजाखस्तान में मीडिया की स्वतंत्रता को सामान्य रूप से परिस्थितियों के अनुसार रखा गया, जबकि कज़ाक गणराज्य में काफी मात्रा में मीडिया स्रोत पहले से ही विद्यमान थे। टीवी एवं रेडियो की सुविधा, प्रिंटिंग (मुद्रण) सुविधा तथा मुद्रण सामग्री की आपूर्ति को सरकार द्वारा संचालित किया जाता था। सामाजिक संगठनों के साथ मीडिया अंगों को सरकार की आलोचना की छूट निश्चित सीमा तक दी गई थी। अखबारों ने मुद्रण सामग्री तथा पेपरों के अभाव में अपने आपको तंग महसूस किया। कजाख राष्ट्रवादी कजाखकाया प्रव्दा तथा ओरबा को कई बार प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा।[12]

अप्रैल 2001 को संसद के निम्न सदन मजलीस में मीडिया की स्वतंत्रता को कम करने हेतु एक विधेयक पारीत किया गया जिसमें मीडिया की सामग्री से संबंधित तथा नये मीडिया संस्थान स्थापना हेतु न्यायिक मंत्रालय से मान्यता अर्थात् पंजीकरण आवश्यक किया गया तथा वेबसाइट को मीडिया का आवश्यक अंग माना गया।[13]

किर्गीस्तान में 600 से अधिक पंजीकृत प्रेस एंव मीडिया है। लेकिन वर्तमान में 30 प्रतिशत ही अस्तित्व में हैं। समाचार पत्रों की मुद्रण सामग्री महंगी हो गई हैं, विज्ञापन बाजार का अभाव, समाचार पत्रों की कीमतों की अधिकता इसे आम नागरिकों से दूर रखे हुए हैं। स्थानीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर बहुत ही कम समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं।

---

12 Martha Brill Olcott, "Taking Stock of Central Asia" *Journal of International Affairs* (Columbia), vol.56, no.2, Spring 2003, p.30.

13 "Media Legislation" *Keesing Record of World Events* (Washington D.C.), vol.47, no.4, April 2001, p.44104.

प्रेस एवं मीडिया इन आर्थिक समस्याओं के अतिरिक्त सरकार के प्रतिबंधों का भी सामना कर रहे हैं सरकार सुव्यवस्थित तरीके से प्रेस की स्वतंत्रता का अपहरण करने तथा हथियाने की कोशिश कर रही है। प्रसिद्ध रूसी भाषाई समाचार पत्र वेचैरणी बिसकेक तथा पैरामिड टीवी को अब ऑस्कर अकाऐव के दामाद ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। दामाद अदिल त्रगुम्बयेव उच्कुम की स्वयं की प्रिंटिंग प्रेस भी है।

पत्रकारों के खिलाफ हिंसात्मक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। किर्गीज रून्स (Ruuhes) समाचार पत्र के संपादक बेकन नाजगएलेव को बिशकेक में 16 अप्रैल 2001 को एक बस स्टॉफ पर चार लोगों द्वारा बुरी तरह पीटा गया। समाचार पत्रों की गुणवत्ता में भी गिरावट देखी जा सकती है। अधिकांश स्वशिक्षित लोगों द्वारा इन्हें संचालित किया जाता है क्योंकि वित्त के अभाव से ग्रसित समाचार पत्र तथा टी वी चैनल इस स्थिति में नहीं है कि पत्रकारों को पत्रकारिता संबंधी अच्छी शिक्षा एवं सुविधाएं प्रदान करा सके।[14] किर्गीस्तान में निवास कर रहे उज्बेक संजातीय समूहों को निष्पक्ष समाचार प्राप्त करने की भी समस्या है। दक्षिणी किर्गीस्तान के लिए उज्बेक भाषा में कोई प्रसारण नहीं होता है। 13 नवंबर 1997 को किर्गीस्तान में नया मीडिया कानून बनाया गया जिसके तहत पत्रकारों एवं मीडिया की स्वतंत्रता को कम करने का प्रयास किया गया जिससे पत्रकार एवं मीडिया जगत काफी परेशानियों का सामना कर रहा है। इस कानून के लागू होने के पश्चात् मानवाधिकार संसदीय समीति के अध्यक्ष दोरोन बेग सदर बावेज ने कहा कि 'नया कानून प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करता हैं'।[15]

किर्गीस्तान में चुनावों से पहले प्रेस एवं मीडिया को भारी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। कई समाचार पत्र इस अवधि में पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाते हैं। सरकार द्वारा दी जा रही मुद्रण सामग्री पर रोक तथा अन्य प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। किर्गीस्तान पत्रकारों के साथ मार–पीट एवं हिंसक घटनाएं लोकतंत्र के मार्ग एवं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रेस एवं मीडिया के मार्ग में बाधा का कार्य कर रहा है।

घ. संजातीयता का प्रश्न एवं मुस्लिम रूढ़िवाता

कजाखस्तान में जनसंख्या के कुल प्रतिशत में 1994 के आंकड़ों के अनुसार कजाक 44 प्रतिशत, रूसी 36 प्रतिशत तथा अन्य 20 प्रतिशत संजातीय समूह निवास करते है।[16] हालांकि संजातीयता समूहों में इतनी द्वेषता नहीं देखी जाती है जितनी अन्य

---

14 Kyrgyzstan at Ten: *ICG Report No.22*, n.7, p.23.

15 "New Media Law" *Kessing's Record of World Events*, vol.43, no.11, November 1997, p.41912.

16 Ian Bremmer and Cory Welt, n.2, p179.

मध्य एशियाई गणराज्यों में देखी जाती है। लेकिन संविधान द्वारा कजाख भाषा को कार्यालयी तथा राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जो कि रूसी भाषाई तथा अन्य संजातीय समूहों में भाषाई द्वेष को बढ़ावा देता है। भाषा की मांग को लेकर प्रदर्शन भी हुए हैं। दिसंबर 1992 में कजाखस्तान में हजारों रूसियों ने प्रदशर्न किया तथा रूसी भाषा को कार्यालयी भाषा, नागरिकता की मान्यता तथा प्रदेश की स्वायत्तता की मांग उठाई। प्रादेशिक स्वायतता के आधार पर उत्तरी कजाखस्थान के प्रदेशों में रूसियों ने चुनावों में उम्मीदवारों के रूप में भाग लिया। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात् रूसियों का पलायन कजाखस्तान से बाहर की ओर देखा गया है। जिससे कजाखस्तान में रूसी संजातीय समूह की संख्या में कमी देखने को मिलती है। इस्लामीकरण कजाखस्तान को उत्तरी तथा दक्षिणी भागों में मुसीबतें पैदा की हैं जिसमें उजबेक तथा कजाक लोग रहते हैं।

अन्य मध्य एशियाई गणराज्य की तुलना में कजाखस्तान में मुस्लिम रूढ़िवादिता का अभाव है लेकिन नाजरबायेव ने स्वयं कजाखीकरण की नीति तथा इसको बढ़ावा दिया लेकिन नाजरबायेव का मानना है कि राष्ट्र निर्माण के लिंए ऐसा करना अनिवार्य है क्योंकि राष्ट्र निर्माण में कजाख भाषा, कजाख अधिकार अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

कज़ाखस्तान की भांति किर्गीस्तान में शांति एवं सौहार्द के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि संजातीय संबंध बिगड़ रहे हैं। किर्गीस्तान में जनसंख्या का अधिकांश भाग जिसमें किर्गीज 52 प्रतिशत, रूसी 22 प्रतिशत, उज्बैक 13 प्रतिशत, उक्रेनीयन 3 प्रतिशत तथा शेष 3 प्रतिशत अन्य संजातीय समूह निवास करते हैं।[17]

स्वतंत्रता के पश्चात् किर्गीज तथा उज्बैकों के मध्य हिंसक घटनाएं घटित हुई। सरकारी पदों पर नियुक्तियां अधिकतर मनोनयन के आधार पर की जाती है। जिसमें उज्बैक लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। यहां तक कि उन क्षेत्रों में किर्गीज लोगों को नियुक्तियां प्रदान की जाती हैं जो कि पूर्णतया उज्बैक बाहुल्य क्षेत्र हैं। संजातीय दलों तथा पार्टी ऑफ नेशनल यूनिटी जो कि उज्बैक नागरिकों के हितों की पोषक है इस राजनीतिक दल को 2000 के संसदीय चुनावों से बेदखल कर दिया गया।

संजातीय संघर्ष किर्गीस्तान में परंपरावादी व कट्टरवादी एवं मुस्लिम हुक्मरानों द्वारा भड़काया जा रहा है। प्रथम औरा मेडंट जून 1990 और बस्टकेन मेडंट आफ

[17] Mahaveer Singh, n.6, p.37.

अगस्त–नवंबर 1994 के संजातीयता संघर्ष की घटनाएं कट्टरपंथी मुस्लिमों द्वारा करवाई गई।

इन घटनाओं पर ओ.एस.सी.ई. (ओर्गनाइजेशन फोर सिक्युरिटी एण्ड कॉ–ओपरेशन इन यूरोप) ने चेतावनी दी कि यदि यह स्थिति चलती रही तो हो सकता है कि मध्य एशिया नया कोसोवो बन जाएगा।

दक्षिणी किर्गीस्तान में उज्बैक तथा किर्गीज में ओस तथा जलालाबाद ओब्लास्ट में संजातीय उपद्रव 1991 को भड़का जिसमें 200 व्यक्ति मारे गए।[18]

उज्बेकिस्तान द्वारा किर्गीज नागरिकों पर बीमा संबंधी आवश्यकता थोपी थी। अब जो किर्गीज तीन वर्ष से अधिक उज्बैकिस्तान में रहना चाहता है उसे किर्गीज सरकार से उज्बैक नागरिकता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसलिए उज्बैक अल्पसंख्यक जो कि किर्गीस्तान से हैं उनके लिए किर्गीस्तान की सरकार द्वारा बीजा संबंधी आवश्यकता तथा औपचारिकताएं कड़ी कर दी जो कि उज्बैकों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया है।

हिजब उल ताहिर जो कि उज्बेकिस्तान में एक धार्मिक संगठन है तथा किर्गीस्तान में उज्बैकों के साथ किए जा रहे संवेदनात्मक तथा भावनात्मक मामलों को उठाने के कारण इस संगठन को चारों तरफ से उज्बैकिस्तान तथा दक्षिणी किर्गीस्तान में भी किर्गीज समर्थन मिला।

इस संगठन ने घोषणा की है कि किर्गीस्तान में उज्बैक अल्पसंख्यकों को और अधिकार दिए जाने चाहिए। इसका प्रसार किर्गीस्तान में बढ़ रहा है क्योंकि यह संगठन अपने आपको नॉन मिलिटेंट इस्लामिक ग्रुप कहता है। इस संगठन का उद्देश्य मध्य एशिया में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना है।

इस संगठन को किर्गीज अधिकारियों ने धार्मिक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी के रूप में गैर कानूनी घोषित किया तथा इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके सदस्यों की गिरफ्तारियां की गईं। 21 मार्च 2001 में सदस्यों की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन भी हुए। दक्षिण किर्गीस्तान के लोग कट्टर मुस्लिम हैं। मुस्लिम रूढ़ीवादी आंदोलन इस्लामी, किर्गीज सीमा क्षेत्र में फल–फूल रहा है। सऊदी अरब द्वारा वित्तीय संसाधन उपलब्ध

---

[18] Lori M. Handrahan, "Gender and Ethnicity in the 'Transitional' 'democracy of Kyrgyzstan", *Central Asian Survey* (Oxford), vol.20, no.4, 2001, p.482.

करवाए जा रहे हैं। इसका संबंध ओसामा बिन लादेन से रहा है। इन्होंने अपने आपको मुस्लिम जेहादी घोषित किया है।[19]

वर्तमान समय में एक तरफ अंधाधुंध इस्लामीकरण की पहल बढ़ी हैं, वहीं दूसरी ओर किर्गीस्तान में आस्कर अकाऐव ने रूढ़ीवादियों के लिए कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन दक्षिणी किर्गीस्तान में यह पूर्ण रूप से चरम पर है जो कि किर्गीस्तान में लोकतंत्र के मार्ग में बाधा कही जा सकती है।

ड. आर्थिक स्थायित्व का प्रश्न

कज़ाखस्तान स्वतंत्रता के पश्चात् रूसी अर्थव्यवस्था का अनुसरण करता आ रहा है तथा संसाधनों का सही रूप से दोहन नहीं कर पाने तथा तकनीकी कमियों तथा अपूर्ण व्यवस्था के मार्ग पर अटका रही हैं। जी. डी. पी. 1992–1994 के मध्य 15 प्रतिशत तक घटी। मुद्रास्फीति प्रतिवर्ष 1500 से 2000 प्रतिशत थी। अमीरों एवं गरीबों के मध्य दूरियां बढ़ी हैं, आय का ध्रुवीकरण हो रहा था। नाजरबायेव ने बताया कि प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय यू. एस. डॉलर 1500 है जो कि अन्य सी. आई. एस. गणराज्यों में सर्वाधिक है लेकिन वास्तविक आय मात्र 65 यू.एस. डॉलर से लेकर 87 यू.एस. डॉलर थी।[20]

1990–98 तक के आंकड़ों को देखा जाए तो जीडीपी की दर में कमी हुई है, जो कि 6 दशमलव 9 प्रतिशत थी। लेकिन 1994 में 9 दशमलव 6 तथा 2000 में 13 दशमलव 2 प्रतिशत रही। 2001 में जी.डी.पी. में 13.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

निजीकरण कार्यक्रम 1992 से प्रारंभ किए गए लेकिन विदेशी निवेश के अभाव में अर्थव्यवस्था को सफलता नहीं मिली। रेडक्रास सोसाइटी के अनुसार 73 प्रतिशत जनसंख्या कज़ाखस्तान में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है।[21] उक्त सभी को ध्यान में रखा जाय तो यह स्पष्ट होता है कि कज़ाखस्तान में स्वतंत्रता के पश्चात् निजीकरण एवं विदेशी विनिवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए परंतु रूस की ओर झुकाव कजाखस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाया तथा विनिवेशक राष्ट्रों की रूचि कजाखस्तान में कम रही है।

---

19 Martha Brill Olcott, n.12, pp.32-33.

20 Ian Bremmer and Corry Welt, n.2, p.195.

21 Anna Matveena, "Democratization, Legitimacy and Political Change in Central Asia" *International Affairs* (Tehran), vol.75, no.1, 1999, p.39.

पिछला दशक किर्गीस्तान में गरीबी एवं आर्थिक असंतोष के वातावरण को बढ़ाने वाला रहा। नागरिकों को मुहैया करवाई जा रही सुविधाएं तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का अभाव तथा अन्य आर्थिक कारणों ने राष्ट्रीय आर्थिक स्थायित्व के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत की है जो न केवल अर्थव्यवस्था अपितु लोकतंत्र के मार्ग में बाधक कही जा सकती है।

1992 से 1996 के बीच नागरिकों की आय में कमी आई जो कि 86.3 प्रतिशत तक कम हुई है। सामाजिक सुधार संसदीय समिति के चेयरमैन जंगरोज कनीमेटोक के अनुसार नगरों में रहने वाले लोगों का 41 प्रतिशत तथा गांवों में रहने वाले लोगों का 75 प्रतिशत गरीबी से त्रस्त्र हैं जिनकी मासिक आय यू.एस. डॉलर 26 से भी कम है।[22]

विश्व बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति आय यू.एस. डॉलर 300 प्रति वर्ष से भी कम है तथा 1998 में 60 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। न्यूनतम मजदूरी यू.एस. डॉलर 2 प्रतिदिन थी। मुद्रास्फीति भी भयावह स्थिति में है।

किर्गीस्तान की अर्थव्यवस्था विदेशी आर्थिक सहायता से संचालित हो रही है। विदेशी ऋण 1999 में यू.एस. डॉलर 1.2 बिलियन जो जी. डी. पी. का 100 प्रतिशत के लगभग था। किर्गीस्तान में औद्योगीकरण का आंदोलन नहीं है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को अधिक नियंत्रित कर रखा है। राजस्व वसूली के स्रोतों का अभाव है।

सरकार के पास राजस्व की सीमित साधन है, बजट घाटा स्वतंत्रता के पश्चात निरंतर बढ़ा हैं। 2000 की ई. आई. यू. रिपोर्ट के अनुसार बजट घाटा यू.एस. डॉलर 167.0 मिलियन है।[23]

गणराज्य में क्षेत्रीय असमानता ने विनियोजन के अवसरों को कम किया है। स्वतंत्रता के पश्चात बेरोजगारी के आंकड़ों में निरंतन वृद्धि देखी गई है। 59.000 लोग बेरोजगार हैं जो कि 30–35 प्रतिशत ही तस्करी तथा ड्रग्स पूर्ति जो कि अफगानिस्तान के रास्ते से होती है ने किर्गीज अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है।

च. महिलाओं की स्थिति एवं मानवाधिकार

कज़ाखस्तान में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। शिक्षा एवं अन्य अधिकारों से उन्हें को वंचित रखा गया है। महिलाओं को पुरुष की संपति के रूप में

---

[22] Ibid., pp.39-40.
[23] Rafis Abazov, n.8, pp.54-55.

देखा गया है। कई शीर्षस्थ पदों पर महिलाओं ने सुमारी की है लेकिन भागीदारी का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में काफी कम है।

मानवाधिकारों की दृष्टि में देखा जाए तो आम नागरिकों का जीवन स्तर दयनीय स्थिति में है। पत्रकारों तथा दलीय उम्मीदवारों को हिंसक वारदाताओं से गुजरना पड़ता है तथा वे इतने समझदार नहीं हैं कि सरकार का विरोध कर सकें। चुनाव हिंसाओं, महिलाओं की स्थिति, गरीबी, बेरोजगारी तथा अन्य कई कारण हैं जिससे मानवाधिकारों का हनन देखा जा सकता है।

2001 के आंकड़ों को देखा जाय तो कज़ाखस्तान मानवीय अधिकारों की दृष्टि से काफी बुरा रहा है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में सरकार ने अच्छा काम किया है लेकिन अभी तक गंभीर समस्या यह है कि सरकार ने नागरिक अधिकारों को बुरी तरह से हड़प रखा है तथा लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई हैं। पुलिस का दुर्व्यवहार, जेल में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार, लोगों की मनमाने ढंग से सरकार द्वारा गिरफ्तारी करना इत्यादि ने जीवन में कई अवरोध खड़े किए हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब सरकार ने मीडिया का शोषण किया तथा स्वतंत्रता तथा निष्पक्ष मीडिया को अपने नियंत्रण में किया इसके लिए अप्रैल 1999 को संसद द्वारा मीडिया कानून लाया गया। महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के साथ सौतेला व्यवहार, मजदूरों के हितों को सीमित कर दिया गया है। ट्रेड यूनियन के प्रभाव को कम कर दिया गया है। कृषि में बाल मजदूरी को बढ़ावा मिला है।

उक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता के पश्चात कजाक जनता ने जो सपना देखा है वह अभी तक साकार नहीं हो पाया हैं। सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति राजनीति पर हावी हैं तथा लोकतांत्रिक मुद्दों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जो न केवल संस्था निर्माण एवं विकासवादी राष्ट्र की ज़नता के अहित में है। बल्कि लोकतंत्र की स्थापना में रूकावट का काम भी कर रही है।

किर्गीस्तान में महिलाओं की स्थिति काफी सोचनीय है। किर्गीस्तान में महिला गुलामी, वेश्यावृत्ति, सामुहिक बलात्कार, अपहरण, हत्या इत्यादि की शिकार रही हैं। वर्तमान में पूर्व सोवियत संघकालीन लैंगिक प्रदर्शन अभी तक किर्गीस्तान में प्रभावी है। महिलाओं को समाज एवं राजनीति में अत्यधिक सम्मानजनक स्थान नहीं प्रदान किया गया है। कट्टर मुस्लिम रूढ़ीवादी पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं की भावनाओं के साथ

खिलवाड़ किया है। गणराज्य में महिलाओं को पुरुष की धरोहर के रूप में समझा जाता है।

पितृसत्तात्मक एवं पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं समाज और राजनीति में विशेष स्थान नहीं ले पाई हैं।

किर्गीस्तान में बढ़ते जातीय संघर्ष तथा भाषाई मुद्दों ने समाज व्यवस्था में एक जड़ता को प्रबलित किया है। चुनावी हिंसाएं, नागरिकों के अधिकारों, महिलाओं के साथ बढ़ रहे दुर्व्यवहार तथा मीडिया कर्मियों के साथ मार–पीट एवं कट्टर इस्लामिक रूढ़ीवादिता ने गणराज्य में मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई हैं।

उक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात कज़ाखस्तान एवं किर्गीस्तान में राष्ट्रपति नजरबायेव तथा ऑस्कर अकाऐव ने लोकतंत्र के निर्माण तथा संस्थाओं के विकास हेतु जो प्रयास किए वह अपने चरमोत्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि स्वयं राष्ट्रपतियों द्वारा सर्वाधिकारवादी नीति का अनुसरण करना जिससे संवैधानिक विकास, संस्था निर्माण तथा लोकतंत्र का मार्ग अवरुद्ध होता देखा गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का अभाव, दलीय पक्षपात, संवाद तथा अन्याय जैसी घटनाएं पिछले 12 वर्षों में गणराज्यों पर पूर्णतया छाई रहीं हैं। हालांकि 12 वर्षों का समय यह निर्धारित नहीं करता है कि पूर्णतया लोकतंत्र का मार्ग अवरुद्ध है लेकिन आगामी समय ही बताएगा कि कजाख एवं किर्गीज गणराज्य में लोकतंत्र की स्थापना के प्रयास कहां तक सफल रहे हैं।

अध्याय पाँच

अध्याय पांच

निष्कर्ष

स्वतंत्रता के पश्चात कजाखस्तान एवं किर्गीस्तान में पश्चिम आधारित राजनीतिक मॉडल को अपनाते हुए लोकतंत्र की ओर अग्रसर होने का प्रयास किया है। गणराज्यों में संवैधानिक विकास एवं संस्था निर्माण के कार्य को गति जरूर मिली है लेकिन सोवियत संघ की व्यवस्था का अनुसरण वर्तमान में भी गणराज्यों की राजनीतिक व्यवस्था पर देखने को मिलता है। स्वतंत्रता पूर्व गणराज्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभाव था क्योंकि सोवियत काल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे कि लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया जा सके। परंतु गोरबाच्योव ने सोवियत संघ में लोकतंत्र की स्थापना हेतु कुछ प्रयास किए जो कि असफल रहे। कजाखस्तान एवं किर्गीस्तान के राजनेता अपने–अपने देश में इस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करना चाहते हैं जिन पर उनका सदैव वर्चस्व बना रहे। गणराज्यों में सरकारी संस्थाओं का विषयागत विश्लेषण किया जाए तो यह पश्चिमी मॉडलों से भिन्न है। यहां सर्वसत्तावादी विचार ने पूर्ण रूप से संस्थाओं को दबाए रखा है। हाइड्रोकार्बन संसाधनों की उपलब्धिता ने विश्व समुदाय को आकर्षित करने का प्रयास किया है। सर्वसत्तावादी विचारधारा ने परंपराओं एवं संस्कृति को भी आघात पहुंचाया है। गणराज्य अभी भी राष्ट्रनिर्माण तथा सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विकास के पुनर्गठन में लगे हुए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भी सोवियत व्यवस्था एवं रूसी प्रभुत्व की संभावना को निरस्त नहीं किया जा सकता है। गणराज्यों के संवैधानिक विकास एवं संस्था निर्माण को समझने से पहले दोनों ही गणराज्य सोवियत व्यवस्था के अधीन 7 दशकों तक रहे थे इसलिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सोवियत शासन से संबद्ध है।

संविधानों का निर्माण स्वतंत्रता के पश्चात् एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता थी। जिस पर गणराज्यों के नेताओं ने खरा उतरने का प्रयास किया है परंतु संविधान निर्माण के समय स्वयं द्वारा संविधान निर्माण के आयोग की अध्यक्षता करना एवं अपनी शक्तियों के

विस्तार हेतु बार–बार जनमत संग्रह करवाना तथा संसद की शक्तियों के विस्तार के बजाय अपने अधीन कठपुतली मात्र बनाना पिछले 12 वर्षों से जारी रहा है। बहुदलीय व्यवस्था को 1994 के पश्चात कजाखस्तान एवं किर्गीस्तान में लागू किया गया परंतु पंजीकरण एवं चुनावों से पहले विपक्षी दलों के प्रत्याशियों को जेल की हवा भी खानी पड़ी हैं। हालांकि दोनों राष्ट्रों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका हेतु प्रयास किए गए हैं लेकिन न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा पदमुक्ति का अधिकार स्वयं राष्ट्रपति ने अपने हाथ में रखा है तथा इससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिह्न लगाया जाना स्वाभाविक ही है।

संवैधानिक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रपति की शक्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है जिससे राष्ट्रपतियों की मानसिकता एवं कार्य प्रणाली सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति से ग्रसित होती लगती है।

स्वतंत्र्योत्तर कजाखस्तान एवं किर्गीस्तान में राजनीतिक प्रक्रिया लोकतांत्रिक नियमों तथा नागरिक समाज के आगमन, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों एवं राजनीतिक संस्कृति ने लोकतंत्र की तरफ पहला कदम बढ़ाया। लेकिन कोई भी प्रारंभिक स्थिति राजनीतिक बहुलवाद के विस्तार की स्वीकृती स्वयं नेतृत्व द्वारा प्रदान नहीं की गई है।

गणराज्यों में संजातीय मिश्रण जो कि राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। दोनों ही गणराज्यों में कजाक एवं किर्गीजों के पश्चात रूसियों की संख्या अत्यधिक है। लेकिन गणराज्यों में यथा कजाखस्तान में कजाक भाषा तथा किर्गीस्तान में किर्गीज भाषा को कार्यालयी एवं राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है जिसने रूसियों एवं अन्य संजातीय समूहों में भाषाई द्वेष को बढ़ावा दिया है। रूसी भाषाई लोगों ने समय–समय पर नेतृत्व से मांग भी की है कि भाषाई असमानता को समाप्त किया जाए लेकिन मुस्लिम रूढ़िवादिता तथा अन्य कारणों से ऐसा होना संभव नहीं हो पा रहा है। दोनों देशों के राष्ट्रपति ऐसी नीतियां बना रहे हैं तथा उसका पालन भी कर रहे हैं जिससे गणराज्यों में निवास कर रहे कजाख एवं किर्गीज के

अतिरिक्त रूसी जनता का प्रवजन पुनः रूस की तरफ न हो तथा जिससे राष्ट्रीय जनता भी नाराज न हो। रूसी भाषा को समाप्त कर दिया जाता है तो कज़ाखस्तान दो भागों में विभक्त हो सकता है क्योंकि कज़ाखस्तान का उत्तरी भाग रूसी बाहुल्य क्षेत्र है। यदि नजरबायेव उन्हें नाराज करते हैं तो वे रूस के साथ मिलने की बात उठा सकते हैं। जबकि किर्गीस्तान में 21 प्रतिशत रूसी जनता है जो कि कार्यकुशल श्रमिक (skilled workers) हैं। किर्गीज राष्ट्रपति इस तरह की नीतियों का पालन कर रहे हैं ताकि रूसी जनता देश को छोड़कर वापस रूस न चली जाए। यदि वे चले जाते हैं तो इसका प्रभाव किर्गीज अर्थव्यवस्था पर बुरा पड़ सकता है यही कारण है कि ऑस्कर अकाऐव रूसी जनता को रोकने के लिए तरह–तरह की नीतियों का पालन करते हैं यहां तक कि बिसकेक में एक स्लाविक विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा भी की है ताकि रूसी जनता का प्रवजन न हो।

प्रशासन एवं नौकरशाही का ढांचा गणराज्यों में रूसी प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाया है। नौकरशाह अभी भी वैसे ही नियुक्त किए जाते हैं जैसे की पहले सोवियत व्यवस्था में नियुक्त किए जाते थे। भ्रष्टाचार एवं कार्य की जटिलता ने प्रशासनिक व्यवस्था को पंगु बनाने की कोशिश जारी रखे हुए है।

प्रेस एवं मीडिया को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। कई पत्रकारों को मार–पीट एवं प्रताड़ना का शिकार भी होना पड़ा है। सर्वसत्तावादी व्यवस्था ने अपना शिकंजा इस प्रकार कसा है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मीडिया तंत्र भी मूक दर्शक होकर रह गया है। चुनावी हिंसाओं एवं अनियमितताओं का समाचार देना अखबारों एवं टेलीविजन प्रसारण के लिए दुष्कर हो गया है। यदि कोई समाचार पत्र या मीडिया सरकार की नीतियों की आलोचना करता है तो उसे बंद कर दिया जाता है या फिर उसकी मुद्रण सामग्री में कटौति कर दी जाती है यहां तक कि सत्तासीनों ने मीडिया को नियंत्रित करने हेतु समय–समय पर ऐसे कानून भी बनाए हैं जिससे मीडिया की

स्वतंत्रता को काफी हद तक दबाया गया है। नए मीडिया संस्थानों को पंजीयन संबंधी खानापूर्तियों की जटिलता ने काफी हद तक पीछे धकेला है।

आर्थिक रूप से अक्षम होने के कारण गणराज्यों में गरीबी एवं बेरोजगारी का आलम चरम पर है। प्रतिव्यक्ति आय एवं आम नागरिकों का जीवन कई प्रश्नों को जन्म देता है। निरंतर विकास की दर का घटना एवं विनियोजन एवं विदेशी ऋण का बढ़ता भार न केवल आम नागरिकों को अपितु राष्ट्रीय विकास को पूर्णतया प्रभावित कर रहा है।

सोवियत सत्ता के शोषण तथा वर्तमान में स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की स्थिति, जातीय विद्रोह तथा मानवाधिकारों के हनन ने एक नई सोच को विकसित किया है। जहां दोनों गणराज्यों के राष्ट्रपतियों ने स्वतंत्रता के पश्चात संविधान में लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, एकीकृत... राष्ट्र निर्माण का दावा किया था। वह अपने लक्ष्य से काफी हद तक दूर होता नजर आ रहा है।

हालांकि 12 वर्ष का समय समस्त लोकतंत्र के निर्माण एवं मूल्यांकन के लिए काफी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सांख्यिकीय आंकड़े तथा व्यवहार में जो देखने को मिलता है उससे यह पता चलता है कि दोनों ही गणराज्यों की राजनीतिक व्यवस्था को एक सर्वसत्तावादी नेतृत्व ने अपने अधीन कर लिया है तथा वे अपने हिसाब से संस्था निर्माण, स्थापना एवं संविधान को परिवर्तित करते आ रहे हैं पूर्णतया यह कहना निरर्थक होगा कि गणराज्यों में लोकतांत्रिक तत्वों का अभाव है। क्योंकि संविधान का निर्माण, बहुदलीय व्यवस्था चुनावों का समय पर होना, मीडिया की स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते लोकतांत्रिक तत्त्वों को कुछ आश्रय अवश्य मिला है।

अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों यथा उज़्बेकिस्तान, तुर्कमिनिस्तान तथा तज़ाकिस्तान की तुलना में कज़ाखस्तान एवं किर्गीस्तान की स्थिति काफी हद तक सुदृढ़ कही जा सकती है क्योंकि इन गणराज्यों की तुलना में कज़ाखस्तान एवं किर्गीस्तान में संस्था

निर्माण, संवैधानिक विकास तथा लोकतंत्र की स्थापना एवं आर्थिक मामलों की दृष्टि से देखा जाए तो काफी हद तक विकास देखा जा सकता है।

यह आशा की जाती है कि कजाखस्तान एवं किर्गीस्तान में संवैधानिक प्रावधान एवं संस्थाओं की स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी जो कि सभ्य समाज की स्थापना में न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक मूल्यों एवं परंपराओं को बढ़ावा देगी।

BIBLIOGRAPHY

PRIMARY SOURCES

Basic Facts about the United Nations (New York; United Nations, 2000).

"Kazakhstan: Republic Constitution", *FBIS Report, Central Eurasia*, nos. 48-54, 19 April 1993, pp. 68-79.

Kazakhstan: O.S.C.E. says presidential election did not meet required standards, *Interfax news agency*, 11Jan.1999, *Summary of World Broadcast* (Part-1),13Jan.1999,PSU/3431G/1

Kazakhstan: Media monitoring institute criticizes election coverage *RIA News agency*, 11 Jan 1999, *Summary of World Broadcast* (Part-1), 13 Jan, 1999, PSU / 3431G/1

Kyrgyzstan at Ten, ICG Asia Report No.22, August 2002,pp.1-28.

Kyrgyzstan Human Development Report (UNDP Report, Bishkek, 1995).

"Kyrgyzstan: Republic Constitution", *FBIS Report, Central Eurasia*, nos. 99-105, 9 August 1993, pp. 88-101.

"Kyrgys Radio and TV See Threat to independence", Kyrgyzs Television, 9 June 1995. *Summary of World Broadcast* (Part I) 9 June 1998, PSU/2328G/1.

"Kyrgyzia: Government Resigns" Sevodriya, 7 September 1994, p.1, *Current Digest of Post Soviet Press*, vol. 46, 36, 5 October 1994, p.21.

Kyrgyzstan: 'O.S.C.E. observers criticize parliamentary elections, *Interfax News Agency*, 13 March 2000, *Summary of World Broadcast*, 15March, 2000. PSU/3789G/1

"N. Nazarbayev's addresses at the republican conference of heads of administration and chairman of local Soviets of Peoples deputies on Constitution of Kazakhstan", *FBIS Report, Central Eurasia*, nos. 1-7, 13 January 1993, pp. 93-105

SECONDARY SOURCES

A. BOOKS

Akiner, Fadir, Victor, Sarjeev and Yurity (eds), *Central Asia After the Empire*, (New York; CSA Publications, 1998).

Anderson, John, *The international politics of central Asia* (New York; Manchester university press, 1997).

Badan, Phool, *Dynamics of Political Development in Central Asia* (New Delhi; Lancers Books, 2001).

Bruce, Parrctt and Dawisha Karen (eds), *Political Culture and Civil Society in Russia and the New States of Eurasia*, (New York and London; M E Sharpe Press,1995).

Chapman, Brian, *Russian Political institution* (London;George Allen & Unwin Ltd., 1969).

Christian, David, *A history of Russia, Central Asia and Mongolia* (Blackwell Publisher, 1998).

Coquest, Robert, *The Soviet political system* (London; The Bodily Headd, 1968).

Cumming, Sally N. (ed), *Power and Change in Central Asia*, (London; Routledge Publishers, 2000).

Curtis, Michael, *Comparative government politics* (London; Harper &Row Publishers, 1968).

Dani, Ahmed Hussain, *New Light on Central Asia* (Delhi; Renaissance Publishing House, 1993).

Dewisha, Karen and Parrot, Bruce (eds.), *Conflict, Cleavage and Change in_Central Asia and the Caucasus* (Cambridge University Press, 1997).

Glenn, John, *The Soviet Legacy in Central Asia* (Macmillan Press; 1999).

Haywood, Andrew, *Key Concepts in Politics* (London; Macmillan, 1999).

Haywood, Andrew,"Politics" (New York; Palgrave Publications, 2003).

Hazak, Johan, *The soviet system of government* (London; The university of Chicago press, 1980).

Hunter, Shireen T, *Central Asia since Independence* (New York; CSIC/Preger, 1996).

Islam, Riazul, *Central Asia: History, Politics and Culture* (Karachi; Institute of Central and West Asian Studies, 1999).

Jalazai Musa khan, *Central Asia; political situation and economic opportunities* (Lahore; The Frontier post publication, 1994).

Jha, S.K. and Sharma R.R., *Reform, Conflict and change in the CIS and_Eastern Europe* (New Delhi; Radiant Publishers).

Joshi, Nirmla, *Central Asia; The great game replayed, entire perspective* (New Delhi; Century Publication, 2003).

Kaushik, Devendra, *Central Asia in Modern Times* (Moscow; Progress Publication, 1970).

Kausik, Devendra, *Soviet political system* (Moscow; Progress Publication, 1983).

Lung, Jones Paccline, *Institutional change and political continuity in post Soviet Central Asia* (Cambridge university press; 2002).

Manz, Beatric F, *Central Asia in Historical Perspective* (Washington D.C.; Westview Press, 1994).

Martha Brillolcott, *Kazakhstan: Unfulfilled Promise,* (Washington D.C.; Carnegie Endowment for International Press, 2002.)

Masbahi, Mohiaddin (Ed), *Central Asia and the Causcasus after the Soviet__Union: Domestic and International Dynamics* (University Press of Florida, 1994).

Mitchell, R.Judson, *Getting to the top in the USSR* (California; Hove Institutions press; Stoford, 1990).

Norbu, Dawa and Warikoo, K., *Ethnicity and Politics in Central Asia* (New Delhi; South Asian Publication, 1992).

Paksoy, H.B. (Ed), *Central Asia Reader* (London; M.E. Sharpe, 1994).

Patanaik, Ajay, *Nations Minorities and states in Central Asia* (New Delhi; Anamika Publishers & Distributors (P) Ltd., 2003).

Rahul, Ram, *Bukhara the Empire* (New Delhi; Vikas publishing house, 1995).

Rahul, Ram, *Central Asia a Historical survey* (New Delhi; Vikas publishing house, 1996).

Rahul, Ram, *Modern Central Asia* (New Delhi; Vikas publishing house,1979)

Research Board, *The Constitutional development of the Soviet Union* (Delhi; Research Board social science, 1975).

Ridely, F.F., *The Study of Government political science & public Administration* (London;George Allen & Unwin Ltd., 1975).

Roy, Olivier, *The new central Asia The creation of Nations* (London; I.B.Taris, publishers, 2000).

Rubin, Burnett R, and Jack Snyder (eds.), *Post Soviet Political Order: Conflict_and State Building* (London; Routledge Press, 1998).

Rumer, Boris and Zhukov Stanislav (Eds.), Central *Asia: the Challenges of Independence* (New York; M.E. Sharpe, 1994).

Rumer, Boris, *Central Asia in Transition: Dilemmas of Political and Economic Development* (New York; M.E. Sharpe, 1994).

Sally N. Cumming, *Power and Change* (London; Routledge Publishers, 2000).

Sengupta, Anita, *Frontiers into Borders, the Transformation of Identities in Central Asia* (Kolkatta; Maulana Abdul Kalam Azad Institute of Advance Studies, 2002).

Shams-ud-Din, *Nationalism in Russia and Central Asian Republics* (New Delhi; Lancer Book, 1999).

Vassiliev, Alexei, (Ed.), *Central Asia, Political and Economic Challenges in the Post Soviet Era* (London; Saqi Books, 2001)

Warikoo, K. (Ed.), *Central Asia: Emerging New Order* (New Delhi; Har-Anand Publications, 1995).

Wheeler, Geoffrey; *The people of Soviet Central Asia: A back ground book* (The Boldly Head; Londn,1966).

B. Articles

Abazov, Rafis, "Democracy in the Kyrgyzstan; In the Context of Recent Election", *Contemporary Central Asia* (New Delhi), vol. 4, nos.1-2, April-August 2000, pp.51-58.

Abazov, Rafis, "Policy of Economic Transition in Kyrgyzstan", *Central Asian Survey* (Oxford), vol. 18, no. 12, 1999, pp.197-223.

Abazov, Rafis, "Presidential Election in Kazakhstan; winner takes all?," *Contemporary Central Asia* (New Delhi), Vol. 3, no. 28, August 1999, pp. 22-32.

Akbararzadeh, Shahram, "Political Shape of Central Asia", *Central Asian Survey* (Oxford), vol. 16, no.4, December 1997, pp.517-42.

Anderson, John, "Constitutional Development in Central Asia", *Central Asian Survey* (Oxford), vol.16, no.3, September 1997, pp. 301-320.

Badan, Phool, "Emerging Political System in Central Asia in the Post Soviet Period", *India Quarterly* (New Delhi), Vol. 57, no.7, July-September 2001, pp.97-118.

Badan Phool "Modernization in Central Asia the Post Soviet period", *Journal of Central Asian Studies* (Srinagar), vol. X, no.1, 1999, pp.9-32.

Braver, Birgilt, "Presidential Election in Kyrgyzstan: A Step Forward, A Step backward or Manirgov the Wrong Track", *Central Asia Monitor* (London), vol.13, no 2, 1999, pp.8-14.

Brudny, A.A., "Kyrgyzstan, Islands of Democracy" *Contemporary Central Asia* (New Delhi), vol. 11, no. 2, September 1998, pp.6-8.

Bremmer, Ian and Welt Cory, "Trouble With Democracy in Kazakhstan" *Central Asian Survey* (oxford), vol.15,no.2, June 1996, pp.179-99.

Broeck, Mark de and Other, "Infilation Dynamic in Kazakhstan" *Economic Process* (New Delhi), vol. 5, no.1, 1997, pp.195-223.

Coppienterms, Burno and others "Central Asian Region in New International Environment" *NATO Review* (London), vol. 44, no.51, September 1996, pp.26-31.

Dave,Bhavna, "National revival in Kazakhstan; Language shift and identity change. *Post Soviet Affairs* (Berkeley), vol.12, no.1, Jan.-Mar. 1992, pp.51-72

Donanbav, A., "Political Culture in Kyrgyzstan: Trends to Democratization" *Himalaya and Central Asian Studies* (New Delhi), vol.2, nos.3-4, July-December 1998.

Dzhunnushallev, D., "1916 Uprising in Kyrgyzstan", *Contemporary Central Asia (New Delhi)*, vol. 11, no. 2, September 1998, pp. 34-39.

El Yanov A., "Central Asia-Transformation towards globalization" *Contemporary Central Asia* (New Delhi), vol. 11, no.1, March 1998, pp. 21-32.

Galgmova, D, "Division of Powers in Kazakhstan: Constitutional Development Experience in Independent Development" *Contemporary Central Asia* (New Delhi), December 1998, vol.2, no.3, pp.27-38.

Handrahan, Lori M, "Gender and Ethnicity in the Transitional Democracy of Kyrgyzstan", *Central Asian Survey* (Oxford), vol. 20, no.4, December 2001, pp.467-496.

Horton, Scott, "Is Kazakhstan Taking Reforms Seriously", *Central Asian Monitor*(London), vol. 3, 1995, pp.1-5.

Hyman Anthony, "Central Asian Republics, Independence and After", *Roundtable* (Oxford), vol. 341, Jan. 1997, pp.67-79.

Ishiyama, John T. and Kennedy, "Super Presidentalism and Political Party Development in Kyrgyzstan", *Europe-Asia Studies* (Glasgow), vol.53, no.8, December 2001, pp.1177-1191.

Jha, Manish, 'Islam and Central Asia; a case study of Kazakhstan '*BIIS Journal,* Vol.20, no.2, Apr. 1997, pp.137-159.

Kerimbekova, N., "Formation of the Ethno-Political Territory and Boundaries of Kyrgyzstan." *Himalayan and Central Asian Studies* (New Delhi), vol.2, nos.3-4, July-December 1998, pp.51-66.

"Kyrgyzstan" *Contemporary Central Asia,* vol.11 no.2, September 1998, pp.1-70. Series of Articles.

"Kyrgyzstan Special," *Himalayan and Central Asian Studies*(New Delhi), vol.2,no.3-4, July-Dec.1998,pp.1-155.

Long, Nick, "After the Break up: Institutional design in Transitional States" *Contemporary Political Studies* (London), vol. 33, no.5, June 2000, pp.563-92.

Matveeva, Anna, "Democratization, legitimacy and political change in Central Asia", *Iranian Journal of International Affairs* (Tehran), vol. 7, no. 4, Winter 1996, pp.834-53.

Megoran, Nick "Theorizing Gender, Ethnicity and the Nation State in Central Asia", *Central Asian Survey* (Oxford), vol. 18, no.1, March 1999, pp.99-110.

Michael Burawoy and Pavel Krotov, "The Soviet Transition from Socialism to Capitalism", *American Journal of Sociology* (Chicago), vol. 57, 1992, pp.16-38.

Moldokasimtegin, Kiyas, "Name Change of Geographical Location in Kyrgyzstan" *Eurasian Studies*(Ankara), *vol.* 2,no. 2, Winter 1996, pp.105-17.

Nuri, Mashdel Wison, Kazakhstan, Challenge of National Building" *Regional Studies* (Islamabad), vol.15, no.3, summer 1999, pp.90-136.

Olcolt, Martha Brill, "Taking Stock of Central Asia", *Journal of International Affairs* (New York), vol. 56, no. 2, Spring 2003, pp.133-146.

Ovin, Rasto, "The Nature of Institutional Change", *Post Communist Economies* (London), vol. 13, no. 2, June 2001, pp.133-146.

Patnaik, Ajay, "State Building in Kazakhstan of Decade's Experience", *Contemporary Central Asia* (New Delhi), vol.5, no.1April 2001, pp.18-33.

Pioshikh, V., "Kyrgz People: History and Culture" *Contemporary Central Asia* (New Delhi), vol. 11, nos.2, Sept. 1998, pp.1-5

Palat, Madhavan K. "Emergence of Central Asia's" *Indian Historical Review,* (New Delhi), vol.18, no. 1- 2, July1992- and Jan.1992, pp91-105.

Sengupta, Anita, "Minorities and Nationalizing in Central Asia", *International Studies* (New Delhi), vol. 34, no.3, July-September 1997, pp. 269-300.

Shams-ud-din,"New Great game in Central Asia "*International Studies* (New Delhi), vol.33, no.3, July-Sept.1997, pp.329-341.

Shomanov, Askar Zh, "Social modernization of Kazakh Society" *Contemporary Central Asia* (New Delhi), vol.1, no.1, 1997, pp.1-18.

Silverstein, Brain, "Discipline, Knowledge and Imperial Power in Central Asia: 19th Century notes for a genealogy of social forms", *Central Asian Survey* (Oxford), vol. 2, no.1, 2002, pp.91-105.

Starr, S. Frederick, "Making Eurasia Stable", *Foreign Affairs* (New York), vol. 75, no.1, January-February 1996, pp.80-92.

Zhang, B., "Institutional Aspects of Reforms of Democratization of the Communist Regimes", *Communist and Post-Communist Studies*, (Washington, D.C.), vol. 26, no.2, June 1993, pp.165-181.

Newspaper and Periodicals

Asian Affairs (London)

BBC Summary World Broadcast (London)

Central Asian Newsletter (Oxford)

Contemporary Central Asia (New Delhi)

Central Asian Survey (London)

Current Digest of Pos- Soviet Press (Columbus)

Europe-Asia Studies (Glasgow)

FBIS: Central Eurasia (U.S.A.)

Foreign Affairs (New Delhi)

Post –Soviet Affairs (Columbia)

Jawaharlal Nehru University Library